INDEX

Sl. No.	Description	Pg. No.
3.	**Annexure R-2** - A Copy of all the Published Notifications under Section 7 of the Aadhaar Act, 2016. (Contd. In Volume III)	**301-600**

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Social Justice and Empowerment through NSKFDC and its implementing agencies which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block, Taluka or Tehsil, the Ministry of Social Justice and Empowerment through NSKFDC and its implementing agencies may facilitate in providing Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI).

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(iii) Ration Card, or

(iv) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(v) any other documents specified by the Ministry of Social Justice and Empowerment for the purpose;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry of Social Justice and Empowerment for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry of Social Justice and Empowerment through NSKFDC and its implementing agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) in case, the beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in Block, Taluka or Tehsil, the Ministry of Social Justice and Empowerment through NSKFDC and its implementing agencies are required to facilitate Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the implementing agencies or through a web portal provided for that purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 14016/04/2017-DBT]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.28 13:32:26 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1008] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939
No. 1008] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2017

का.आ.1134(अ).—जबकि, सेवाओं अथवा प्रसुविधाओं अथवा सहायकियों को प्रदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करने से सरकारी परिदान की प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इसमें पारदर्शिता आती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से तथा बिना किसी कठिनाई के अपनी पात्र सुविधाओं को सीधे प्राप्त करने में सुविधा होती है तथा आधार से किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने हेतु बहुविध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं होती है;

तथा जबकि, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (जिसे इसके पश्चात प्रतिष्ठान कहा जाएगा) की स्थापना भारत सरकार द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 24 मार्च, 1992 को पूर्ववर्ती कल्याण लय (अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) के तत्वावधान में की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात इसे मंत्रालय कहा जाएगा), भारत सरकार प्रतिष्ठान की कार्पस निधि के लिए अंशदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान अपने स्वयं के संसाधनों और निवेशों से भी राजस्व सृजित करता है।

तथा जबकि, प्रतिष्ठान, निम्नलिखित 6 योजनाओं (जिन्हें इसके पश्चात योजनाएं कहा जाएगा) के तहत 'चिकित्सा सहायता के लिए नकद सहायता, अन्तरजातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन, छात्रों को छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति के अत्याचार पीड़ितों को राहत (जिसे इसके बाद लाभार्थी कहा जाएगा)' प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता (जिसे इसके पश्चात लाभ कहा जाएगा) के लिए योजनाएं संचालित करता है:-

क) डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना।

ख) अन्तरजातीय विवाहों के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना।

ग) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता योजना।

घ) माध्यमिक परीक्षा के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेधा पुरस्कार।

ङ) वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा हेतु डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय मेधा पुरस्कार।

च) अनुसूचित जाति के अत्याचार पीड़ितों को डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत।

तथा जबकि, प्रतिष्ठान द्वारा कार्यान्वित की जा रही उपर्युक्त योजनाओं में किया जाने वाला पूर्ण अथवा आंशिक व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

अतः, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, नामतः—

1.(1) योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार प्रमाण पत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करें अथवा आधार प्रमाणीकरण कराएं।

(2) योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिनके पास आधार नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं कराया है परन्तु वह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है, से एतदद्वारा यह अपेक्षित है कि वह 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करे, बशर्ते कि वह आधार अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यीआईएडीआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, यह अपेक्षित है कि मंत्रालय प्रतिष्ठान जिसे व्यक्ति द्वारा आधार प्रदान करना अपेक्षित है, के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए जिनका अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं हुआ है तथा ऐसे मामलों में जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो मंत्रालय प्रतिष्ठान के माध्यम से ऐसे सभी मामलों में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यीआईडीएआई) के मौजूदा पंजीयकों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर अथवा मंत्रालय स्वयं यूआईडीएआई पंजीयक बनकर आधार नामांकन सुविधा प्रदान कराए।

बशर्ते कि उस समय तक जब लाभार्थी को आधार सौंपा जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ ऐसे लाभार्थियों को निम्नलिखित पहचान संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रदान किया जाएगा, नामतः—

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति।

(i) फोटो सहित बैंक पासबुक, या (ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; अथवा (iii) राशन कार्ड, या (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा (v) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस; या (vi) पासपोर्ट; अथवा (vii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय लैटर हैड पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो की पहचान का प्रमाण-पत्र; या (viii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते यह भी कि, उक्त दस्तावेजों की जांच, इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय अथवा प्रतिष्ठान द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

बशर्ते यह भी कि, जब 'अनुसूचित जाति के अत्याचार पीड़ितों को डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना' के तहत किसी लाभार्थी को समयबद्ध ढंग से अथवा आपातकालीन उपाय के रूप में सहायता प्राप्त करने की जरूरत

होती है तब उसे पैरा 1 के उप पैरा (3) में उल्लिखित उपर्युक्त अपेक्षित समय जो तीस दिन से अधिक नहीं है, का पालन करने पर ऐसे लाभ लेने से मना नहीं किया जाए।

2. योजना के तहत योजना के लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से और बिना किसी कठिनाई के लाभ उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय प्रतिष्ठान के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्थाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्था करेंगे:-

(क) योजनाओं के तहत आधार की अपेक्षा के बारे में लाभार्थियों को अवगत करने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो 30 जून, 2017 तक अपने क्षेत्रों के समीपवर्ती आधार नामांकन केन्द्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) उपलब्ध करायी जाए।

(ख) यदि योजना के लाभार्थी अपने निवास के समीप यथा प्रखंड अथवा तालुक अथवा तहसील के भीतर नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं, यह अपेक्षित है कि प्रतिष्ठान सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं और लाभार्थियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे प्रतिष्ठान अथवा मंत्रालय के संबंधित कार्मिक को या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेबपोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नं. तथा अन्य ब्यौरा देकर आधार नामांकन हेतु अपना अनुरोध पंजीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू व कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11017/87/2016-एससीडी-1(खंड-2)]

आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2017

S.O. 1134(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency, efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity.

And whereas, Dr. Ambedkar Foundation (hereinafter referred to as the Foundation) was established by the Government of India under the aegis of the erstwhile Ministry of Welfare (now Ministry of Social Justice and Empowerment) on 24th March, 1992 as a registered society under the Societies Registration Act, 1860. The Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Ministry), Government of India is contributing towards corpus funds of the Foundation. Apart from the said contribution of funds by the Central Government the Foundation generates revenue through its own resources and investments.

And whereas, the Foundation implements the following six Schemes (hereinafter referred to as the Schemes) for providing financial assistance (hereinafter referred to as the benefit) for Medical Aid, incentives for inter-caste Marriages, scholarships to students and relief to Scheduled Caste victims of atrocities (hereinafter referred to as the beneficiaries), namely:-

a) Dr Ambedkar Medical Aid Scheme;
b) Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages;
c) Dr. Ambedkar Foundation National Essay Competition Scheme;
d) Dr. Ambedkar National Merit Awards for Secondary Examination;
e) Dr. Ambedkar National Merit Awards for Senior Secondary Examination; and
f) Dr. Ambedkar National Relief to Scheduled Caste Victims of Atrocities;

And whereas, the aforesaid Schemes being implemented by the Foundation involves expenditure incurred partially or fully from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) An eligible individual desirous of availing the benefits under the Schemes is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Schemes, who does not possess an Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to apply for Aadhaar enrolment by the 30th June 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through Foundation is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block, Taluka or Tehsil, the Ministry through Foundation is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or the Ministry itself becoming UIDAI Registrar

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub- paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card, or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Passport; or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) any other documents specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or Foundation for that purpose.

Provided further that when a beneficiary needs to avail assistance in a time bound manner or in an emergency measures, under the Scheme of 'Dr. Ambedkar National Relief to Scheduled Caste Victims of Atrocities', he or she shall not be denied such benefits subject to his or her subsequently complying to above requirement in sub-para (3) of para 1 not later than thirty days.

2 In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Schemes the Ministry through the Foundation shall make all the required arrangements including the following, namely:-

a) wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

b) In case, the beneficiaries are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in Block, Taluka or Tehsil, the Ministry through the Foundation is required to facilitate Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers with other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Foundation or the Ministry or through a web portal provided for that purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 11017/87/2016-SCD-I (Pt.II)]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.12 12:26:10 +05'30'

(32)

306

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938

No. 639] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 3 मार्च, 2017

का. आ. 711(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियो को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने मे समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, (जिसे इसके पश्चात विभाग कहा गया है) दिव्यांगजनों को सहायक यन्त्रों और उपकरणों की खरीद और, या फिटिंग के लिए सहायता स्कीम (एडिप) (जिसे इसके पश्चात योजना कहा जाएगा) का एक केन्द्रीय स्कीम के रूप में प्रशासन कर रहा है।

और, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, आवश्यकतायुक्त दिव्यागजनो के लिए टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक, मानक सहायक यन्त्रों और उपकरणों के संपादन में सहायता प्रदान करना, दिव्यागजनो को पुनर्वास हेतु शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, बढ़ावा देकर दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने के लिए और साथ ही साथ उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है;

और, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, उनके द्वारा स्वतंत्र रुप से कार्य करने की क्षमता में सुधार और दिव्यागता के विस्तार और अनुषंगी दिव्यागता घटित होने को सीमित करने के उद्देश्य से दिए जाते है;

और, यह स्कीम, राष्ट्रीय संस्थानों, संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रो, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों, राज्य विकलांग विकास निगमो, अन्य स्थानीय निकायों, गैर–सरकारी संगठनों (जिन्हें इसके पश्चात क्रियान्वयन एजेंसियां कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है और स्कीम के अधीन प्रसुविधाओ, जिसके अंतर्गत सहायक यंत्र और सहायक साधनों (उपकरणों) का उपापन और वितरण भी है और दिव्यागजनों एवं उनके सहायकों और मार्गरक्षियों को भारत की संचित निधि के गैर–आवर्ती व्यय में शामिल नियमो के अनुसार यात्रा भत्ते, आवास और भोजन व्यय (जिन्हें इसमे इसके पश्चात प्रसुविधाएं कहा गया है) उपलब्ध कराना भी सम्मलित है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियो, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात –

1 (1) इस स्कीम के अंतर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

2 इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा और इस हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों) की सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकेंगे।

3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, इस स्कीम को लागू करने वाले विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे और जो अभी तक आधार संख्याओं में नामांकन नहीं हुए हैं और यदि उनके आस–पास में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो इस स्कीम को लागू करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा।

परंतु ऐसे व्यष्टि को, आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात :–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक,

(i) मतदाता पहचान–पत्र, या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, या

(iii) पासपोर्ट, या

(iv) सम्पत्ति कार्ड, या

(v) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र; या,

(vi) राशन–कार्ड; या,

(vii) कर्मचारी का सरकारी पहचान–पत्र; या

(viii) शस्त्र अनुज्ञप्ति; या

(ix) पेंशनर कार्ड, या

(x) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित, या

(xi) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति और अन्य पिछडे वर्गों के लिए जारी किया गया फोटो पहचान–पत्र; या

(xii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी फोटो पहचान–पत्र, या

(xiii) रोजगार गारंटी योजना (ईजीएस) प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया रोजगार कार्ड, या

(xiv) श्रम मंत्रालय द्वारा रोजगार बीमा स्कीम (ईआईएस) के लिए जारी फोटो पहचान–पत्र; या

(xv) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति या

(xvi) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी, ऐसे सदस्य के फोटो सहित, पहचान–पत्र या

(xvii) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2 इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध करने के लिए इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक विभाग सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,–

(क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए कार्यान्वयन अधिकरणों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया

जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं, तो विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों से, उनके पते, मोबाईल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे।

3 यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा सं. 4-2(32)/2016/डीडी-I]

अवनीश कुमार, अवस्थी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan))

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O. 711(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment in the Government of India (hereinafter referred as the Department) is administering the Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase and, or, Fitting of Aids and Appliances (ADIP) (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme;

And whereas, the main objective of the Scheme is to assist the needy disabled persons in procuring durable, sophisticated and scientifically manufactured, modern, standard aids and appliances to promote physical, social, psychological rehabilitation of Persons with Disabilities by reducing the effects of disabilities and at the same time to enhance their economic potential;

And whereas, the assistive devices are given to Divyangjan with an aim to improve their independent functioning and to limit the extent of disability and occurrence of secondary disability;

And whereas, the Scheme is implemented through National Institutes, Composite Regional Centres, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), District Disability Rehabilitation Centres, State Handicapped Development Corporations, other local bodies and Non-Governmental Organizations (hereinafter referred to as the implementing agencies) and the benefits under the Scheme include procurement and distribution of aids, assistive devices (appliances) and providing travelling allowances, boarding and lodging expenses to the Persons with Disabilities and attendants or escorts as per norms (hereinafter referred to as benefits), that involve non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of India,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1.(1) An individual eligible for availing benefits under the Scheme are hereby required to furnish proof of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, in case he or she is entitled to

available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department is required to create Aadhaar enrollment facilities at convenient locations, in coordination with existing Registrars of UIDAI or by Department itself by becoming UIDAI Registrar themselves and beneficiaries under the Scheme may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the Department or through the web portal provided for the purpose

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 4-2 (32)/2016/DD-I]

AWANISH K. AWASTHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.06.30 18:45:30 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938

No. 654] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.आ. 728(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और वह आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसके पश्चात "विभाग" कहा गया है), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग छात्रों (जिसे इसके पश्चात "फायदाग्राही" कहा गया है) की शिक्षा के लिए निम्नलिखित केंद्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति स्कीम (जिसे इसके पश्चात "स्कीम" कहा गया है) कार्यान्वित कर रहा है।

(क) दिव्यांग छात्रों के लिए प्रि–मैट्रीक छात्रवृत्ति
(ख) दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रीक छात्रवृत्ति
(ग) दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति
(घ) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
(ङ) दिव्यांग छात्रों के लिए समुद्रपार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
(च) दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग

और, इस स्कीम के अधीन दिव्यागजनों को नकद फायदे अर्थात छात्रवृत्ति रकम, पुस्तक और तदर्थ अनुदान, दिव्यांगता विशिष्ट भत्ते जैसे पाठक भत्ता, परिवहन भत्ता मार्गरक्षी भत्ता, रखरखाव भत्ता, विशेष भत्ता, अध्येतावृत्ति रकम, आकस्मिक अनुदान, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक यात्रा भत्ता, उपकरण भत्ता, ट्यूशन शुल्क, हवाई यात्रा भत्ता, पोल टेक्स, विजा शुल्क, मेडिकल बीमा प्रीमियम, स्थानीय यात्रा, वृत्तिका (उक्त छात्रवृत्ति स्कीमों के सन्नियमों के अनुसार यथा लागू)(जिसे इसके पश्चात "प्रसुविधाएं" कहा गया है) और सेवाएं अर्थात नि:शुल्क कोचिंग (जिसे इसके पश्चात "सेवाएं" कहा गया है), में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात :–

2 (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा और इस हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों) की सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, इस स्कीम को लागू करने वाले विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियो के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे और जो अभी तक आधार संख्याओं में नामांकन नहीं हुए हैं और यदि उनके आस–पास में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो इस स्कीम को लागू करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा।

परंतु ऐसे व्यष्टि को, आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजो को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात :–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र; और

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:

(i) मतदाता पहचान–पत्र, या

(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पेन)कार्ड, या

(iii) पासपोर्ट, या

(iv) राशन–कार्ड; या,

(v) कर्मचारी का सरकारी पहचान–पत्र; या

(vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

(vii) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जन जाति तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिए किया गया फोटो पहचान–पत्र; या

(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए फोटो पहचान–पत्र; या

(ix) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति या

(x) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो सहित पहचान–पत्र या

(xi) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परंतु उपरोक्त दस्तावेजो की जांच इस प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध करने के लिए इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक विभाग सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:–

(क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में आवेदको या फायदाग्राहियों को जागरुक बनाने के लिए कार्यान्वयन अधिकरणों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक

उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते है, तो विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानो पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियो से, उनके पते, मोबाईल नबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट है, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 17–22(2)/2016–छात्रवृत्ति]

डौली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O. 728(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, bring in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Social Justice and Empowerment is implementing the following Central Sector Scholarship Schemes (hereinafter referred to as the Schemes) for education of Students with Disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries).-

(a) Pre-Matric Scholarship for Students with Disabilities;

(b) Post-Matric Scholarship for Students with Disabilities

(c) Scholarship for Top Class Education for Students with Disabilities;

(d) National Fellowship for Persons with Disabilities;

(e) National Overseas Scholarship for Students with Disabilities; and

(f) Free Coaching for Students with Disabilities;

And whereas, under the Schemes, cash benefits namely scholarship amount, Book and Ad-Hoc grant, Disability-specific allowances like Reader allowance, Transport allowance, Escort allowance, Maintenance allowance, Special allowance, Fellowship amount, Contingency grant, House Rent allowance, Incidental Journey allowance, Equipment allowance, Tuition Fees, Cost of Air Passage, Poll Tax, Visa Fees, Medical Insurance Premium Local Travel, Stipend (whichever is applicable as per norms of the said scholarship Schemes) (hereinafter referred to as benefits) and services namely, free coaching (hereinafter referred to as services) by the empanelled institutes (hereinafter referred to as the implementing agencies) involve recurring expenditures from Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1 (1) An individual eligible to receive benefits or services under the Schemes is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual entitled to receive the benefits or services under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits or services under the Schemes are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June,

2017, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 the Department which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities through its implementing agencies for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits or services under the Schemes shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) Disability certificate issued by the competent authority; and

(c) Any one of the following documents:-

(i) Voter identity Card; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or (vii) Photo identity card issued by competent authority for handicapped persons; or (viii) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under official seal of the school; or (ix) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (xi) Any other documents as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits or services under the Schemes to the beneficiaries, the Department through its implementing agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Schemes are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the implementing agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 17-22(2)/2016-Sch.]

DOLLY CHAKARABARTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

(34)

315

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938

No. 653] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.आ. 727(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और वह आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसके पश्चात् "विभाग" कहा गया है), दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन हेतु पेनलित प्रशिक्षण भागीदारों (जिसे इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसियां कहा जाएगा) के माध्यम से दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्रही कहा जाएगा) को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सेक्टर स्कीम (सिपडा) (जिसे इसके पश्चात् योजना कहा गया है) के अधीन दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वित कर रहा है।

और, इस स्कीम के अधीन दिव्यांगजनों को नकद फायदे अर्थात् परिवहन लागत, आवास और भोजन लागत, सुविधा लागत, नियोजन के पश्चात् सहायता लागत आदि (स्कीम के सन्नियमों के अनुसार यथा लागू)(जिसे इसके पश्चात् प्रसुविधाएं कहा गया है) और सेवाएं अर्थात् कौशल प्रशिक्षण (जिसे इसके पश्चात् "सेवाएं" कहा गया है), में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा और इस हेतु आवेदन करना होगा, परंतु यह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि

आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों) की सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, इस स्कीम को लागू करने वाले विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियो के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे और जो अभी तक आधार संख्याओं में नामांकन नहीं हुए है और यदि उनके आस-पास में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो इस स्कीम को लागू करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणो के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानो पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा।

परंतु ऐसे व्यष्टि को, आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात् :—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप, या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों मे से कोई एक:

(i) मतदाता पहचान-पत्र, या

(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड, या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन-कार्ड, या,

(v) कर्मचारी का सरकारी पहचान-पत्र; या

(vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

(vii) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किया गया फोटो पहचान-पत्र; या

(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फोटो पहचान-पत्र; या

(ix) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति या

(x) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो सहित पहचान-पत्र या

(xi) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध करने के लिए इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक विभाग सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

(क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए कार्यान्वयन अधिकरणों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नही होते हैं, तो विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानो पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और इस स्कीम के

अधीन फायदाग्राहियों से, उनके पते, मोबाईल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं 17–22(1)/2016–छात्रवृत्ति]

डौली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O. 727(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, bring in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity,

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (hereinafter referred to as Department), Ministry of Social Justice and Empowerment is implementing the National Action Plan for Skill Training of Persons with Disabilities under the Central Sector Scheme for Implementation of Persons with Disability Act, 1995 (SIPDA) (hereinafter referred to as the Scheme) for providing skill training to persons with disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries) through Empanelled Training Partners (hereinafter referred to as implementing agencies);

And whereas, under the said Scheme, cash benefits namely, transport cost, boarding and lodging cost, conveyance cost, cost for post placement support etc. (whichever is applicable as per norms of the Scheme) (hereinafter referred to as benefits) and services, namely, skill training (hereinafter referred to as services) provided to the persons with disabilities by the implementing agencies involve recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1 (1) An individual eligible to receive the benefits or services under the said Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual entitled to receive the benefits or services under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits or services under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities through its implementing agencies for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits or services under the Scheme shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) Disability certificate issued by the competent authority, and

(c) Any one of the following documents:-

(i) Voter identity Card, or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or (vii) Photo identity card issued by competent authority for handicapped persons; or (viii) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under official seal of the school; or (ix) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head, or (xi) Any other documents as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle benefits or services under the Scheme to the beneficiaries, the Department shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the concerned agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 17-22(1)/2016-Sch.]

DOLLY CHAKARABARTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1009] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2017/चैत्र 20, 1939
No. 1009] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2017/CHAITRA 20, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का. आ. 1135(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियो को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और यह आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात "विभाग" कहा गया है), दिव्यागजनो (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्रही कहा जाएगा) के पुनर्वास के लिए दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'स्कीम' कहा गया है) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम अधिशासित कर रहा है और स्कीम के अधीन फायदे और सेवाए (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधाएं कहा गया है) लेने के लिए निबंधनों और शर्तों सहित विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।

और, यह स्कीम मत्रालय के अधीन प्रचालित संस्थानों, कॉलेजों, स्कूलों, स्वैच्छिक संगठनों या गैर–सरकारी संगठनो (जिसे इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसियां कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और कार्यान्वयन एजेंसियां विभाग से प्राप्त वित्तीय सहायता की मदद से दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं या प्रसुविधाए प्रदान करती है जिनमें विशेष शिक्षा, शीघ्र हस्तक्षेप, समुदाय आधारित पुनर्वास, हॉफ वे होम, आश्रय, कार्यशालाएं आदि शामिल हैं।

और, इस स्कीम के अधीन दी गई अनुदान सहायता में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओ का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात :–

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाए प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा, और इस हेतु आवेदन करना होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार उक्त आधार प्राप्त करने के लिए

हकदार है तो ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों) की सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकते है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और उस दशा में जहां ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है वहाँ नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करें। विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाए उपलब्ध करा सकेगा या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा।

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि/फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है ऐसे व्यष्टि को, प्रसुविधाएँ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात :–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप, या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र; और

(ग) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:

(i) मतदाता पहचान–पत्र; या
(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पैन)कार्ड, या
(iii) पासपोर्ट; या
(iv) राशन–कार्ड; या,
(v) कर्मचारी का सरकारी पहचान–पत्र; या
(vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित, या
(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फोटो पहचान–पत्र; या
(viii) स्कूल के हैडमास्टर/प्रधानाचार्य द्वारा जारी ऐसे बच्चे के फोटो सहित पहचान पत्र, जिस पर स्कूल की मोहर लगी हो, या
(ix) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति, या
(x) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो सहित पहचान–पत्र, या
(xi) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच के प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2 इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विभाग सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:–

(क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र मे उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रो की सूचना वैबसाइट (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण इस स्कीम के अधीन फायदाग्रही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं, तो विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानो पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों से, उनके पते, मोबाईल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परन्तुक मे विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम मेघालय और जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. स. 22–33(02)/2017–डीडी–II/V)]

डौली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

S.O.1135(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Social Justice and Empowerment in the Government of India is administering a Central Sector Scheme namely Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS) (hereinafter referred to as the Scheme) for rehabilitation of Persons with Disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries) and the detailed guidelines including the terms and conditions of availing the benefits and services (hereinafter referred to as benefits) under the scheme are available on the website www.disabilityaffiars.gov.in;

And whereas, the Scheme is implemented through Institutes, Colleges, Schools, Voluntary Organizations or Non-Government Organizations (hereinafter referred to as the implementing agencies) operating under the Ministry and the Implementing Agencies offer a variety of services or benefits to the persons with disabilities that include special education, early intervention, community based rehabilitation, half-way home, sheltered workshops, etc. with the help of the financial assistance received from the Department,

And whereas, grant-in-aid given to the implementing agencies under the Scheme involves expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1.(1) An Individual eligible for availing benefits under the scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing benefit under the scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agencies which require an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Disability certificate issued by a competent authority; and

(c) Any one of the following documents:

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Employee Government ID Card; or

(vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vii) Photo identity card issued by the competent authority for handicapped persons; or

(viii) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under official seal of the school; or

(ix) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(xi) Any other document as specified by the Department.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the scheme, the Department through its Implementing Agencies shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled and the list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu & Kashmir.

[F. No. 22-33(02)/2017-DD-II/V]

DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.20 17:49:45 +05'30'

323

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1182] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939
No. 1182] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2017

का. आ. 1342(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियो को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियो को सीधे ही प्राप्त करने मे समर्थ बनाता है और यह आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है,

और, भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यागजन सशक्तिकरण विभाग, (जिसे इसके पश्चात "विभाग" कहा गया है) देशभर मे अनुमोदित जिलो में जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (जिसे इसमें इसके पश्चात 'स्कीम' कहा गया है) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अधीन फायदों एवं सेवाओं का लाभ लेने के लिए निबंधन और शर्तों सहित विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं;

और, स्कीम निचले स्तर पर दिव्यांगजनो (जिसे इसमे इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) के लिए व्यापक पुनर्वास सेवाओं की व्यवस्था करती है और यह पुनर्वास व्यावसायिकों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जिला पर अवसरचना सृजन एवं क्षमता निर्माण को भी सुकर बनाती है। स्कीम विहित जनशक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात कृत्यकारी कहा गया है) को मानदेय के भुगतान के लिए जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराती है। व्यष्टिक फायदाग्राहियो को उपलब्ध कराई गई व्यापक पुनर्वास सेवाओं और पुनर्वास पर जागरूकता उत्पन्न करने वाली सेवाओं और कृत्यकारियों को उपलब्ध कराए गए पुनर्वास व्यावसायिको के प्रशिक्षण को स्कीम के अधीन सामूहिक रूप से फायदे के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा और स्कीम के अधीन जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत कृत्यकारियों और व्यष्टिक फायदाग्राहियों को सामूहिक रूप से फायदाग्राहियो के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;

और, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से अंतर्वलित व्यय सम्मिलित है,

अत:, अब, केंद्रीय सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात :—

1. (1) स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है किन्तु स्कीम के अधीन जो फायदे प्राप्त करने के इच्छुक हैं को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है तो ऐसे व्यष्टि को आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों) की सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण का संबद्ध विभाग जो किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे और जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराए हैं और उस दशा में जहां उनके आस-पास में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है वहां स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण का संबद्ध विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा।

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि फायदाग्राही को, आधार संख्यांक समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात :–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फायदाग्राहियों को यथालागू दिव्यांगजन प्रमाणपत्र, और

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:

(i) मतदाता पहचान पत्र; या
(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पैन)कार्ड, या
(iii) पासपोर्ट, या
(iv) राशन कार्ड; या,
(v) कर्मचारी का सरकारी पहचान-पत्र, या
(vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या
(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगजन के लिए फोटो पहचान पत्र; या

(viii) स्कूल के हैडमास्टर/प्रधानाचार्य द्वारा जारी दिव्यांग विद्यार्थी के फोटो सहित पहचान पत्र, जिस पर स्कूल की मौहर लगी हो; या

(ix) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति, या

(x) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी सदस्य के फोटो सहित पहचान पत्र या

(xi) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज.

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे उपलब्ध करने के उद्देश्य से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन के संबद्ध भारसाधक विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं अर्थात–

(क) स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से व्यष्टिक सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए संबद्ध विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और फायदाग्राहियों से, उनके नाम, पते, मोबाईल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा

(3) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए संबद्ध विभाग या जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों के पदधारियों को उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करा सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा सं 22-36(53)/2017-डीडीआरसी]

डौली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April , 2017

S.O.1342 (E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment in the Government of India is implementing the Scheme of District Disability Rehabilitation Centres (hereinafter referred to as the Scheme) in the approved districts across the country. The detailed guidelines including the terms and conditions of availing of benefits and services under the Scheme are available on the website www.disabilityaffiars.gov.in;

And whereas, the Scheme provides for comprehensive rehabilitation services to the persons with disabilities (hereinafter referred to as individual beneficiaries) at the grassroot level and also it facilitates creation of infrastructure and capacity building at the district level for awareness generation on rehabilitation and training of rehabilitation professionals. The Scheme provides Grant-in-Aid to the District Disability Rehabilitation Centres for payment of honorarium to the prescribed manpower (hereinafter referred to as the functionaries). The comprehensive rehabilitation services provided to the individual beneficiaries and the services of awareness generation on rehabilitation and the training of rehabilitation professionals provided to the functionaries shall collectively be referred as benefits under the Scheme and the individual beneficiaries and the functionaries working in the District Disability Rehabilitation Centres under the Scheme shall collectively be referred to as the beneficiaries;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Social Justice and Empowerment hereby notifies the following, namely:-

1.(1) An Individual eligible for availing benefits under the scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing of the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30.06.2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department concerned for empowerment of persons with disabilities (Divyangjan) in the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhar enrolment facilities for the Beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhar and in case there is no Aadhar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department concerned for empowerment of persons with disabilities (Divyangjan) in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) Disability certificate as applicable to the beneficiaries, issued by a competent authority; and

(c) Any of the following documents:

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Employee Government ID Card; or

(vi) Bank or Post Office Passbook with Photo

(vii) Photo identity card issued by competent authority for persons with disabilities; or

(viii) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under official seal of the school; or

(ix) Driving License issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or

(x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(xi) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the Beneficiaries, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices through District Disability Rehabilitation Centres shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30.06.2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll for Aadhar due to non-availability of Aadhar enrollment centres in the nearby vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, Department concerned for empowerment of persons with disabilities (Divyangjan) in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the officials of the concerned Department or District Disability Rehabilitation Centres (DDRCs) or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories Administration except the States of Assam, Meghalaya and Jammu & Kashmir.

[F.No. 22-36(53)/2017-DDRC]

DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2017.04.28 15:29:13 +05'30'

~~36 & 35~~
327 35 & 36

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2017/माघ 17, 1938
No. 314] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2017/MAGHA 17, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2017

का.आ. 347(अ).—सेवाओं या फायदो या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, बालकों (0 से 6 वर्ष तक के) और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक सार्वभौमिक स्व:-नयन स्कीम के रूप में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम [आंगनवाडी सेवाओं] का प्रशासन कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन देश भर में फैले आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकारो और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है और यह छह सेवाओं की प्रस्थापना करती है, अर्थात्, (i) अनुपूरक पोषण, (ii) विद्यालय पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा, (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, (iv) टीकाकरण, (v) स्वास्थ्य जाच, और (vi) रेफरल सेवाएं और इन सेवाओं में से टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित हैं और इन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और लोक स्वास्थ्य अवसंरचना द्वारा उपलब्ध कराया जाता है;

और आंगनवाड़ी केंद्रों तथा लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियो और आंगनवाड़ी सहायिकाओ द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और ये कार्यकर्ता ऐसे अवैतनिक कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आए हैं और उनकी सेवाओ को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा और साथ ही राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा मासिक मानदेय का संदाय किया जाता है;

और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियो तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओ के मुद्दे संदत्त किए जाने वाले मानदेय में भारत की संचित निधि मे आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओ का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् : –

1. (1) आंगनवाड़ी केंद्रों तथा लघु आंगनवाडी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे ।

(2) किसी ऐसे आंगनवाडी कार्यकर्त्री या आंगनवाड़ी सहायिका को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा परंतु ऐसी कार्यकर्त्री या सहायिका उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रो की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर सम्पर्क कर सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनो के स्थानीय प्राधिकारी आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं तथा ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या आगनवाड़ी सहायिका, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों का या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्र को सम्पर्क कर सकेंगे।

(4) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियो और आगनवाडी सहायिकाओं को 1 अप्रैल, 2017 से केवल आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से मानदेय का संदाय किया जाएगा । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को आधार संख्या दिए जाने तक या 31 मार्च, 2017 तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए मानदेय का संदाय किया जाएगा, अर्थात् : –

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज, अर्थात् : –

बैंक फोटो पासबुक; या मतदाता पहचान पत्र; या राशन कार्ड; या किसान फोटो पासबुक; या पासपोर्ट; या चालक अनुज्ञप्ति; या पेन कार्ड; या एमजीएनआरईजीएम कार्य कार्ड; या सरकार या पब्लिक सेक्टर उद्यमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र; या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र, या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित; या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।

2. (1) आधार के लिए सुविधाजनक और निर्बाध नामांकन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे और आधार हेतु नामांकन की आवश्यकता और आधार नामांकन के लिए दी गई प्रसुविधाओं के ब्यौरों के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं में जागरुकता पैदा करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों के कार्यालयों के माध्यम से ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे, जो आवश्यक हों ।

(2) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के, ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, बाल विकास परियोजना अधिकारियों से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका, अपने पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ अपने नामों को बाल विकास परियोजना अधिकारी को देकर नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर उसके प्रकाशन की तिथि से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनो मे प्रभावी होगी ।

[सं.12/35/2015-सीडी-1]

डॉ. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2017

S.O. 347(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity,

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme [Anganwadi Services] as a universal self-selecting Scheme to children (0 to 6 years) and pregnant and lactating mothers which is implemented by the State Governments and Union territory Administrations through the Anganwadi Centres spread across the country and it offers six services, namely, (i) Supplementary Nutrition; (ii) Pre-School non-formal education; (iii) Nutrition and Health Education; (iv) Immunization; (v) Health check-up; and (vi) Referral services and out of these services the Immunization, Health check-up and Referral services are related to health and are provided by National Rural Health Mission and public health infrastructure;

And whereas, the services at Anganwadi Centres and Mini-Anganwadi Centres are provided by the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers and these functionaries are honorary workers who have come forward for rendering social services and in recognition of their services, they are paid monthly honorarium by the Central Government and also by the State Governments and Union territory Administrations;

And whereas, the honorarium paid towards the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Women and Child Development hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers working at the Anganwadi Centres or Mini-Anganwadi Centres are required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any Anganwadi Worker or Anganwadi Helper, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided such Worker or Helper is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 the local authorities in the State Governments or Union territory Administrations have become UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing registrars of UIDAI

(4) The Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers shall be paid honorarium only through Aadhaar seeded bank accounts with effect from 1st April, 2017. Till the time Aadhaar is assigned to the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers or till 31st March, 2017, whichever is earlier, honorarium shall be paid to the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers subject to the production of the following documents, namely:–

(a) (i) if she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) Any of the following documents, namely –

Bank photo passbook; or Voter ID Card; or Ration Card; or Kisan Photo Passbook; or Passport; or Driving License; or PAN Card; or MGNREGS Job Card; or Employee Photo Identity Card issued by the Government or Public Sector Undertakings; or any other Photo Identity Card issued by State Government or Union territory Administration; or Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer in his official letterhead; or any other document specified by the State Government or Union territory Administration.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free enrolment for Aadhaar, the State Governments and Union territory Administrations shall issue necessary instructions and make such arrangements as may be necessary through the offices of Child Development Project Officers and Supervisors for awareness of the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers about the necessity of enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrolment

(2) In case the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluks, the Child Development Project Officers are required to create enrolment facilities at convenient locations and the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers may register their request for enrolment by giving their names with other details, such as address, mobile number with the child development project officer.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Jammu and Kashmir.

[No.12/35/2015-CD.I]

Dr. RAJESH KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2017

का.आ. 348(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, बालकों (0 से 6 वर्ष तक के) और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक सार्वभौमिक स्वःचयन स्कीम के रूप में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम [आंगनवाड़ी सेवाओं] का प्रशासन कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन देश भर में फैले आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है और यह छह सेवाओं की प्रस्थापना करती है, अर्थात् (i) अनुपूरक पोषण, (ii) विद्यालय पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा, (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, (iv) टीकाकरण, (v) स्वास्थ्य जांच, और (vi) रेफरल सेवाए और इन सेवाओं में से टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित हैं और इन्हे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और लोक स्वास्थ्य अवसंरचना द्वारा उपलब्ध कराया जाता है;

और, आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रस्थापित पूर्वोक्त अनुपूरक पोषण कार्यक्रम में भारत की संचित निधि मे उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :–

1. (1) आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रस्थापित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम का उपभोग करने के इच्छुक व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या 01.04.2018 से आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रस्थापित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम का उपभोग करने के ऐसे किसी इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नही है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2018 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर सम्पर्क कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के स्थानीय प्राधिकारी आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं या बनने वाले हैं और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं तथा आंगनवाडी केंद्रों पर प्रस्थापित प्रसुविधाओं और सेवाओं में से किसी प्रसुविधा या सेवा का उपभोग करने का कोई ऐसा इच्छुक व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नही कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामाकन शिविरो का या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के पास आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्र को सम्पर्क कर सकेंगे।

(4) उक्त अधिनियम की धारा 5 में यथाविहित आधार नामांकन प्रक्रिया का पांच वर्ष से कम आयु के फायदाग्राही बालकों के लिए अनुसरण किया जाएगा।

(5) यदि आधार का उपयोग करने के लिए अधिप्रमाणन या आधार का कब्जे में होने के सबूत का प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो फायदाग्राही, आंगनवाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पोषण कार्यक्रम का, निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, समय या आयु वर्जित होने तक उपभोग करते रहेंगे अर्थात् :–

अ. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए (बालक के जन्म से छह मास तक):

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) (i) बैंक फोटो पासबुक; या मतदाता पहचान पत्र; या राशन कार्ड; या किसान फोटो पासबुक; या पासपोर्ट; या चालक अनुज्ञप्ति; या पेन कार्ड; या एमजीएनआरईजीएस कार्य कार्ड; या सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र; या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र; या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित; या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज; और

(ii) ऐसा परिवचन कि वह किसी अन्य आंगनवाड़ी केंद्र से सेवाओं या प्रसुविधाओं का उपभोग नहीं कर रही हैं।

आ. छह वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए:

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) माता-पिता में से किसी एक की, अधिमानत: माता की, या बालक के नाम, जन्म-तिथि, लिंग, फोटो जैसे जनसांख्यिकीय ब्यौरों के साथ, विधिक संरक्षक की, आधार संख्यांक या आधार नामांकन स्लिप; और

(ग) माता या पिता अथवा विधिक संरक्षक के साथ बालक के संबंध के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात् :–

(i) जन्म प्रमाणपत्र या समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख;

(ii) राशन कार्ड; या एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. कार्य कार्ड; या

(iii) ई.सी.एच.एस. कार्ड; या ई.एस.आई.सी. कार्ड; या सी.जी.एच.एस. कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या सेना कैंटीन कार्ड; या

(v) कोई सरकारी कुटुंब हकदारी कार्ड; या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज; और

(vi) माता या पिता अथवा विधिक संरक्षक द्वारा यह परिवचन कि बालक उसके साथ रहता है और वह किसी अन्य आंगनवाड़ी केंद्र से बालक के लिए सेवाओं या प्रसुविधाओं का उपभोग नहीं कर रहे हैं।

2. (1) आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, आधार के लिए नामांकन की आवश्यकता और आधार नामांकन के लिए दी गई प्रसुविधाओं के ब्यौरों के बारे में आई.सी.डी.एस. फायदाग्राहियों में जागरूकता पैदा करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करेंगे।

(2) फायदाग्राहियों के, ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, बाल विकास परियोजना अधिकारियों से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा गर्भवती माताओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, बालको और उनके माता-पिता या संरक्षकों से अपने पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरो के साथ अपने नामो को आंगनवाड़ी केंद्र को देकर नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना, उसके प्रकाशन की तारीख से, जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में प्रभावी होगी।

[सं. 12/35/2015-सीडी-I]

डॉ. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2017

S.O. 348(E).–Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity.

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme [Anganwadi Services] as a universal self-selecting Scheme to children (0 to 6 years) and pregnant and lactating mothers which is implemented by the State Governments and Union territory Administrations through the Anganwadi Centres spread across the country and it offers six services, namely, (i) Supplementary Nutrition; (ii) Pre-School non-formal education; (iii) Nutrition and Health Education; (iv) Immunization; (v) Health check-up, and (vi) Referral services and out of these services the Immunization, Health check-up and Referral services are related to health and are provided by National Rural Health Mission and public health infrastructure;

And whereas the aforesaid Supplementary Nutrition Program offered at Anganwadi Centres involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Women and Child Development hereby notifies the following, namely.–

1. (1) Individuals desirous of availing the Supplementary Nutrition Program offered at the Anganwadi Centres are required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication with effect from 01.04.2018.

(2) Any individual desirous of availing the Supplementary Nutrition Program offered at the Anganwadi Centres, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2018 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the local authorities in the State Governments or Union territory Administrations have become or are in the process of becoming UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and are organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and any individual desirous of availing any of the benefits and services offered at the Anganwadi Centres, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing registrars of UIDAI.

(4) The Aadhaar enrolment process as prescribed in section 5 of the said Act shall be followed for children beneficiaries below the age of 5 years.

(5) In case authentication using Aadhaar or submission of proof of possession of Aadhaar is not possible, the beneficiaries shall continue to avail the Supplementary Nutrition Program services at Anganwadi Centres till the beneficiaries become time or age barred, subject to the production of following documents, namely.–

A. For Pregnant Women and Lactating Mothers (upto six months from child birth):

(a) (i) if she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) (i) Bank photo passbook; or Voter ID Card; or Ration Card; or Kisan photo passbook; or Passport; or Driving Licence; or PAN Card, or MGNREGS Job Card; or Employee Photo Identity Card issued by Government or Public Sector Undertakings; or any other Photo Identity Card issued by State Government or Union territory Administration; or Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer in his official letter head, or any other document specified by the State Government or Union territory Administration; and

(ii) an undertaking that she is not availing services or benefits from any other Anganwadi Centre.

B. For Children upto to the age of six years:

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) Aadhaar number or Aadhaar Enrolment ID slip of any of the parents, preferably mother, or legal guardian alongwith demographic details of the child, such as, name, date of birth, gender, photograph: and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the child with the parent or legal guardian, namely: –

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate Government authority; or

(ii) Ration Card; or MGNREGS Job Card; or

(iii) ECHS Card; or ESIC Card; or CGHS Card; or

(iv) Pension Card, or Army Canteen Card; or

(v) any Government Family Entitlement Card; or any other document specified by the State Government or Union territory Administration, and

(vi) an undertaking by the parent or legal guardian that the child is residing with him or her and that he or she is not availing services or benefits for the child from any other Anganwadi Centre

2. (1) In order to provide convenient and hassle free services to the beneficiaries at the Anganwadi Centres, the State Governments and Union territory Administrations shall make wide publicity through the offices of Child Development Project Officers, Supervisors, Anganwadi Centres and local media for awareness of the Integrated Child Development Services (ICDS) beneficiaries about the necessity of enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrollment.

(2) In case the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluks, the Child Development Project Officers are required to create enrolment facilities at convenient location and the pregnant women and lactating mothers, children and their parents or guardians may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as name, address, mobile number with the anganwadi centre

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Jammu and Kashmir.

[No.12/35/2015-CD.I]

Dr RAJESH KUMAR, Jt Secy.

Uploaded by Dte of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.02.08 14:09:16 +05'30'

334 37 $ 98

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2017/फाल्गुन 2, 1938

No. 497] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2017/PHALGUNA 2, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2017

का.आ.559(अ).— सेवाओ या फायदों या सहायिकियो के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ,

और भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, कार्यरत माताओं, ऐसे कुटुम्बों की, जिनकी मासिक आय बारह हजार रुपए (12000 रुपए) से अधिक नहीं है, महिलाओं और अन्य सुपात्र महिलाओ के बालको (6 मास से 6 वर्ष तक के) को दिन परिचर्या सुविधा उपबन्ध कराने हेतु शिशुकक्ष केन्द्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय शिशुकक्ष स्कीम का प्रशासन कर रहा है । यह स्कीम अनुपूरक पोषण, टीकाकरण, पोलियो ड्राप्स जैसे स्वास्थ्य देखभाल अंत:निवेशो, आधारिक स्वास्थ्य मानीटरी, निद्रण सुविधा, बालकों (3 से 6 वर्ष तक के) को विद्यालय पूर्व शिक्षा, आपातकालीन औषध और आकस्मिकताए भी उपलब्ध करातीं है ;

और शिशुकक्ष केन्द्रों में प्रस्थापित पूर्वोक्त अनुपूरक पोषण में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करना है, अर्थात् :--

1. (1) शिशुकक्ष केन्द्रों में प्रस्थापित अनुपूरक पोषण का फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यष्टियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) शिशुकक्ष केन्द्रों में प्रस्थापित अनुपूरक पोषण का फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नही कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रो की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के स्थानीय प्राधिकारी आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं या बनने हेतु प्रक्रियाधीन हैं और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं तथा ऐसे शिशुकक्ष केंद्रों में प्रस्थापित किन्हीं फायदों और सेवाओं का फायदा लेने के लिए इच्छुक ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों में या आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्र में यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के पास भी जा सकेगा।

(4) 5 वर्ष से कम आयु के बालक फायदाग्राहियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 में यथाविहित आधार नामांकन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

(5) उस दशा में, जहां आधार का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणन या आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करना संभव नहीं है, वहां फायदाग्राही 6 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए शिशुकक्ष केन्द्रों में अनुपूरक पोषण सेवाओं का फायदा प्राप्त करना तब तक जारी रखेंगे जब तक कि वे समय या आयु के कारण वर्जित नहीं हो जाते, अर्थात् :--

(क)(i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) माता-पिता में से किसी की, अधिमानी रूप से माता या विधिक संरक्षक की आधार संख्या या आधार नामांकन पहचान स्लिप, बालक के जनसांख्यिकी ब्यौरों, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, लिंग, फोटोग्राफ के सहित ; और

(ग) माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ बालक की नातेदारी के सबूत के रूप में निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज, अर्थात् :--

(i) जन्म प्रमाणपत्र , या समुचित शासकीय प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख ; या

(ii) राशन कार्ड , या एमजीएनआरईजीएस कार्य कार्ड ; या

(iii) ईसीएचएस कार्ड ; या ईएसआईसी कार्ड ; या सीजीएचएस कार्ड ; या

(iv) पेंशन कार्ड , या सेना कैंटीन कार्ड ; या

(v) कोई शासकीय कुटुंब हकदारी कार्ड ; या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज; और

(vi) माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा यह वचनबंध कि बालक उसके साथ रह रहा है और वह बालक के लिए किसी अन्य शिशुकक्ष केन्द्र से किन्हीं सेवाओं या फायदों को प्राप्त नहीं कर रहा/रही है।

2. (1) शिशुकक्ष केन्द्रों के फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, शिशुकक्ष केन्द्रों और स्थानीय मीडिया के कार्यालयों के माध्यम से आधार हेतु नामांकन की आवश्यकता और आधार नामांकन के लिए दी गई प्रसुविधाओं के ब्यौरों के संबंध में फायदाग्राहियों में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार करेंगे।

(2) फायदाग्राहियों के, ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, बाल विकास परियोजना अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा बालकों और उनके माता-पिता या संरक्षकों से यह अनुरोध किया जाए कि वे अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ शिशुकक्ष केन्द्र के साथ नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[सं. सीआरडी-23/32/2016-क्रेच]

रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2017

S.O.559(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering National Crèche Scheme for establishment of Crèche Centres to provide day care facilities to children (age group of 6 months to 6 years) of working mothers and other deserving women belonging to families whose monthly income is not more than twelve thousand rupees (Rs. 12,000/-) The Scheme also provides for supplementary nutrition, health care inputs like immunization, polio drops, basic health monitoring, sleeping facilities, pre-school education of children (03 to 06 years), emergency medicine and contingencies;

And, whereas the aforesaid Supplementary Nutrition offered at Crèche Centres involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Women and Child Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Individuals desirous of availing the Supplementary Nutrition offered at the Crèche Centres are required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the Supplementary Nutrition offered at the Crèche Centres, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the local authorities in the State Governments or Union Territory Administrations have become or are in the process of becoming UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and are organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and any individual desirous of availing any of the benefits and services offered at the Crèche Centres, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing Registrars of UIDAI.

(4) The Aadhaar enrolment process as prescribed in section 5 of the said Act shall be followed for children beneficiaries below the age of five years.

(5) In case authentication using Aadhaar or submission of proof of possession of Aadhaar is not possible, the beneficiaries shall continue to avail the Supplementary Nutrition services at Crèche Centres till the beneficiaries become time or age barred, subject to the production of following documents for children upto the age of six years, namely:—

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) Aadhaar number or Aadhaar Enrolment ID slip of any of the parent, preferably mother, or legal guardian alongwith demographic details of the child, such as, name, date of birth, gender, photograph; and

(c) any one of the following document as proof of relationship of the child with the parent or legal guardian, namely:—

(i) Birth Certificate: or Record of birth issued by the appropriate Government authority; or

(ii) Ration Card: or MGNREGS Job Card; or

(iii) ECHS Card ; or ESIC Card; or CGHS Card; or

(iv) Pension Card, or Army Canteen Card: or

(v) any Government Family Entitlement Card, or any other document specified by the State Government or Union Territory Administration; and

(vi) an undertaking by the parent or legal guardian that the child is residing with him or her and that he or she is not availing services or benefits for the child from any other Crèche Centre.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free services to the beneficiaries at the Crèche Centres, the State Governments and Union Territory Administrations shall make wide publicity through the offices of Child Development Project Officers, Supervisors, Crèche Centres and local media for awareness of the beneficiaries about the necessity of enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrollment.

(2) In case the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluks, the Child Development Project Officers are required to create enrolment facilities at convenient location and the children and their parents or guardians may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as name, address, mobile number with the crèche center.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Jammu and Kashmir.

[No.CRE-23/32/2016-CRECHE]

RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2017

का.आ. 560(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और 'लायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति को पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, कार्यरत माताओं, ऐसे कुटुम्बों की, जिनकी मासिक आय बारह हजार रुपए (12000 रुपए) से अधिक नहीं है, महिलाओं और अन्य सुपात्र महिलाओं के बालकों (6 मास से 6 वर्ष तक के) को दिन परिचर्या सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शिशुकक्ष केन्द्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय शिशुकक्ष स्कीम का प्रशासन कर रहा है । यह स्कीम अनुपूरक पोषण, टीकाकरण, पोलियो ड्राप्स जैसे स्वास्थ्य देखभाल अंतःनिवेशों, आधारिक स्वास्थ्य सानीटरी, निद्रण सुविधा, बालकों (3 से 6 वर्ष तक के) को विद्यालय पूर्व शिक्षा, आपातकालीन औषध और आकस्मिकताएं भी उपलब्ध कराती है ;

और शिशुकक्ष केंद्रों में सेवाएं शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और ये कृत्यकारी ऐसे अवैतनिक कर्मकार हैं, जो सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आए हैं और उनकी सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा मासिक मानदेय का सदाय किया जाता है ;

और शिशुकक्ष कर्मकारों तथा शिशुकक्ष सहायकों के मानदेय के मद्दे संदत्त किए जाने वाले मानदेय में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ,

अतः अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, आधार वित्तीय और अन्य सहायिकियो, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :--

1. (1) शिशुकक्ष केंद्रों में कार्यरत शिशुकक्ष कर्मकारो और शिशुकक्ष सहायको से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अभिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) किसी ऐसे शिशुकक्ष कर्मकार या शिशुकक्ष सहायक को, जिसके पास आधार संख्या नही है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा परतु ऐसा कर्मकार या सहायक उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के स्थानीय प्राधिकारी आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे है तथा ऐसे

शिशुकक्ष कर्मकार और शिशुकक्ष सहायक, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों में या आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्र में यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के पास जा सकेंगे ।

(4) परंतु शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों को आधार संख्या दिए जाने तक शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों को निम्नलिखित दस्तावेजो को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए मानदेय का संदाय किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) (i) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज, अर्थात् ,--

बैंक फोटो पासबुक , या मतदाता पहचान पत्र ; या राशन कार्ड ; या किसान फोटो पासबुक ; या पासपोर्ट ; या चालन अनुज्ञप्ति ; या पेन कार्ड ; या एमजीएनआरईजीएस कार्य कार्ड ; या सरकार या पब्लिक सेक्टर उद्यमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र ; या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र ; या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित ; या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।

(ii) यह वचनबंध दिए जाने पर कि वह किसी अन्य शिशुकक्ष केन्द्र में सेवा प्रदान नहीं कर रहा है या वहां से कोई फायदे प्राप्त नहीं कर रहा है ।

2. (1) शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों के आधार के लिए सुविधाजनक और निर्बाध नामांकन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन बाल विकास परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों के कार्यालयों के माध्यम से आधार हेतु नामांकन की आवश्यकता और आधार नामांकन के लिए दी गई प्रसुविधाओं के ब्यौरो के संबंध में शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों में जागरुकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार करेंगे ।

(2) शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों के, ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, बाल विकास परियोजना अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा शिशुकक्ष कर्मकार और शिशुकक्ष सहायक, अपने पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ अपने नामों को बाल विकास परियोजना अधिकारी को देकर नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी ।

[सं. सीआरई-23/32/2016-केच]

नसीम सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2017

S.O. 560 (E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering National Crèche Scheme for establishment of Crèche Centre to provide day care facilities to children (age group of 6 months to 6 years) of working mothers and other deserving women belonging to families whose monthly income is not more than twelve thousand rupees (Rs. 12,000/-). The Scheme also provides for supplementary nutrition, health care inputs like immunisation, polio drops, basic health monitoring, sleeping facilities, pre-school education of children (03 to 06 years), emergency medicine and contingencies;

And whereas, the services at Crèche Centres are provided by the Crèche Workers and Crèche Helpers and these functionaries are honorary workers who have come forward for rendering social services and in recognition of their services, they are paid monthly honorarium by the Central Government, the State Governments and Union Territory Administrations,

And whereas, the honorarium paid towards the honorarium of the Crèche Workers and Crèche Helpers involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Women and Child Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Crèche Workers and Creche Helpers working at the Crèche Centres shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication

(2) Any Crèche Worker or Crèche Helper, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided such Worker or Helper is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the local authorities in the State Governments or Union Territory Administrations have become UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and the Crèche Workers and Crèche Helpers, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing Registrars of UIDAI:

(4) Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Crèche Workers and Crèche Helpers the honorarium shall be paid to the Crèche Workers and Crèche Helpers subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip, or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) any of the following documents, namely:—

Bank photo passbook; or Voter ID Card; or Ration Card; or Kishan Photo Passbook, or Passport; or Driving License or PAN Card; or MGNREGS Job Card, or Employee Photo Identity Card issued by the Government or Public Sector Undertakings, or any other Photo Identity Card issued by State Government or Union Territory Administration; or Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer in his official letter head, or any other document specified by the State Government or Union Territory Administration

(ii) an undertaking that he is not rendering service or availing benefits from any other Crèche Centre.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free enrolment for Aadhaar of the Crèche Workers and Crèche Helpers, the State Governments and Union Territory Administrations shall made wide publicity through the offices of Child Development Project Officer and Supervisors for awareness of the Crèche Workers and Crèche Helpers about the necessity of enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrolment

(2) In case the Crèche Workers and Crèche Helpers are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluks, the Child Development Project Officers shall be required to create enrolment facilities at convenient locations and the Creche Workers and Crèche Helpers may register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, address, mobile number with the Child Development Project Officer.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Jammu and Kashmir.

[No. CRE-23/32/2016-CRECHE]
RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.02.22 16:51:05 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2017/फाल्गुन 4, 1938
No. 536] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2017/PHALGUNA 4, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2017

का.आ. 599(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति मे उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और भारत सरकार का महिला और बाल विकास मन्त्रालय, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित सशर्त नकदी अंतरण स्कीम को उनके स्वास्थ्य और पोषण प्रास्थिति में सुधार लाने के लिए प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम का प्रशासन कर रहा है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर बेहतर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराया जा सके ,

और ऐसी गर्भवती महिलाओं और माताओं को, जिनकी आयु 19 वर्ष या उससे अधिक है और दो जीवित संतान तक, कतिपय स्वास्थ्य और आहार शर्तों को पूरा करने पर दो किस्तों में छह हजार रुपए (6,000 रुपए) का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है ,

और आंगनवाड़ी केन्द्रों मे उपलब्ध कराए गए उक्त प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम में भारत की सचित निधि मे आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. (1) प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम (एमबीपी) के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यष्टियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम (एमबीपी) के अधीन फायदो का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का महिला और बाल विकास विकास विभाग से फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नही है तो वहा राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग के स्थानीय प्राधिकारी यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे या रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधाए प्रदान कर सकेगे:

परंतु फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम (एमबीपी) के अधीन ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदे प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) मे यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) बैंक या डाकघर फोटो पासबुक, या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट; या (vi) चालक अनुज्ञप्ति; या (vii) पेन कार्ड; या (viii) मनरेगा रोजगार कार्ड ; (ix) सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र; या (x) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र; या (xi) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगी हो, या (xii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड; या (xiii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज और

(ग) एक ऐसा अभिवचन की वह किसी अन्य आंगनवाड़ी केन्द्र से कोई प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम के अधीन प्रसूति सुविधा का लाभ नहीं ले रही है।

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेज इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जाच की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए, प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम (एमबीपी) के कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनो के महिला और बाल विकास विभाग अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:—

(1) स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षको, आंगनवाड़ी केन्द्रो के माध्यम से व्यष्टिक सूचनाएं प्रसूति प्रसुविधा कार्यक्रम (एमबीपी) के भावी फायदाग्राहियों को दी जाएगी जिससे कि उनको स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे मे जागरूक बनाया जा सके और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रो पर आधार के लिए स्वयं को नामांकित करवाने के

लिए सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उनको उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राही, ब्लॉक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं सृजित करे और फायदाग्राही से अनुरोध किया जाए कि वे बाल विकास परियोजना अधिकारी या आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि के पास पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर आधार के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के सिवाय सभी राज्यों और सब राज्यक्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 13-7/2016-एम बी पी]

डॉ. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2017

S.O. 599(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering Maternity Benefit Programme (MBP), a Centrally Sponsored, Conditional Cash Transfer Scheme for pregnant women and lactating mothers to improve their health and nutrition status to provide better enabling environment by providing cash incentives to pregnant women and lactating mothers;

And whereas, the pregnant women and lactating mothers who are 19 years or above and up to two live births, are provided cash incentive of Rupees Six Thousand (Rs 6,000/-) in two instalments upon fulfilling certain health and nutritional conditions;

And whereas, the said Maternity Benefit Programme offered at Anganwadi Centres involves recurring expenditure from the consolidated fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely —

1 (1) Individuals desirous of availing the benefits under MBP are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under MBP, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to make application for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department of the States/Union Territory Administrations which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations may provide

enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, benefits under the Maternity Benefit Programme shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if she has enrolled her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub- paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) (i) Bank or Post Office photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kishan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License; or (vii) PAN Card; or (viii) MGNREGS job Card; or (ix) Employee Photo Identity Card issued by the Government or any Public Sector Undertaking; or (x) Any other Photo Identity Card issued by State Governments or Union Territory Administrations; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by a Gazetted Officer on official letterhead; or (xii) Health Card issued by Primary Health Centre (PHC) or Government Hospital; or (xiii) any other document specified by the State Government or Union Territory Administration; and

(c) an undertaking that she is not availing maternity benefits under Maternity Benefit Programme from any other Anganwadi Centre:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union Territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Women and Child Development Department of the States/Union Territory Administrations in charge of implementing the Maternity Benefit Programme, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through local media and individual notices through the offices of Child Development Project Officers, Supervisors, Anganwadi Centres shall be given to the prospective beneficiaries of Maternity Benefit Programme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the Blocks or Talukas or Tehsils, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the Child Development Project Office or Anganwadi Centre, etc.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 13-7/2016-MBP]

Dr. RAJESH KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

344

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2017/माघ 27, 1938
No. 430] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017/MAGHA 27, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

का.आ. 473(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है ;

और भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, किशोर बालिका स्कीम का प्रशासन कर रहा है जिसका उद्देश्य किशोर बालिकाओं (सभी विद्यालय न जाने वाली किशोर बालिकाओं पर फोकस सहित) का सर्वांगीण विकास है और इसे एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम के अधीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । इस स्कीम के दो मुख्य संघटक हैं: पोषण और गैर पोषण संघटक । स्कीम के पोषण संघटक के अधीन किशोर बालिकाओं को एक वर्ष में तीन सौ दिनों के लिए 600 कैलोरी, 18-20 ग्रोटीन और सूक्ष्म पौष्टिक तत्व वाला संपूरक आहार उपलब्ध कराया जाता है । यह पोषण राशन घर ले जाओ (टीएचआर) या गर्म पका हुआ खाना के रूप में दिया जाता है । गैर पोषक संघटक के अधीन, 11-18 वर्ष की आयु की विद्यालय न जाने वाली किशोर बालिकाओं को आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य, जांच और रेफरल सेवाएं पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, अभ्यास, परामर्श और परिवार कल्याण संबंधी मार्गदर्शन जीवन कौशल शिक्षा, लोक सेवाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण (केवल 16-18 वर्ष की किशोर बालिकाएं) तक पहुंच संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है । इसका उद्देश्य विद्यालय प्रणाली के लिए विद्यालय से बाहर की बालिकाओं को मुख्य प्रवाह में लाना भी है ,

और किशोर बालिका स्कीम भारत की संचित निधि में से आवर्ती व्यय उपगत करती है ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् --

1. (1) किशोर बालिका स्कीम के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यष्टियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) किशोर बालिका स्कीम के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार किशोर बालिका स्कीम के कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विकास विभाग, जो किसी फायदाग्राही से यह अपेक्षा करता है कि वह आधार प्रस्तुत करे, से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो वहां किशोर बालिका स्कीम के कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग के स्थानीय प्राधिकारी यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाए प्रदान कर सकेंगे या रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधाए प्रदान कर सकेंगे·

परंतु फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, किशोर बालिका स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदे प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) बैंक या डाकघर फोटो पासबुक; या (ii) राशन कार्ड; या (iii)) पासपोर्ट; या (iv) पेन कार्ड; या (v) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई फोटो पहचान पत्र; या (vi) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगी हो; या (vii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

(ग) एक ऐसा वचन कि वह किसी अन्य आंगनवाड़ी केन्द्र से कोई किशोर बालिका स्कीम के अधीन फायदों का लाभ नहीं ले रही है।

यह और कि उपरोक्त दस्तावेज इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए, किशोर बालिका स्कीम के कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:—

(1) स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी केन्द्रों और व्यष्टिक सूचनाओं के माध्यम से किशोर बालिका स्कीम के फायदाग्राहियों को दी जाएंगी जिससे कि उनको स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाया जा सके और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए स्वयं को नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उनको उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राही, ब्लाक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं किशोर बालिका स्कीम का कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्य सरकार राज्यों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं सृजित करे

और फायदाग्राही से अनुरोध किया जाए कि वे बाल विकास परियोजना अधिकारी या आंगनवाड़ी केन्द्र आदि के पास पैरा 1 के उप पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर आधार के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. 11012-108/2016-एस ए बी एल ए]

डॉ. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 473(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering Scheme for Adolescent Girls aiming at all-round development of adolescent girls (with a focus on all out-of-school adolescent girls) and is being implemented by the State Governments and Union Territory Administrations through the network of Anganwadi Centres under the Integrated Child Development Services (ICDS) scheme. The scheme has two major components. Nutrition and Non Nutrition Component. Under the Nutrition component of the scheme, the Adolescent Girls are provided Supplementary Nutrition containing 600 calories, 18-20 grams of protein and micronutrients, per day for 300 days in a year. The Nutrition is given in the form of Take Home Ration (THR) or Hot Cooked Meals. Under the Non Nutrition Component, out of school Adolescent Girls of 11-18 years age are being provided IFA supplementation, Health check-up and Referral services, Nutrition and Health Education, ARSH, counselling and Guidance on family welfare, Life Skill Education, Guidance on accessing public services and Vocational Training (only 16-18 year old adolescent girls). It also aims at mainstreaming out of school girls to school system:

And whereas, the Scheme for Adolescent Girls incurs recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of ancial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely.–

1. (1) Individuals desirous of availing the benefits under Scheme for Adolescent Girls are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under Scheme for Adolescent Girls, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrollment by 31st March, 2017 provided she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in charge of implementing Scheme for Adolescent Girls which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the local authorities of the

Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in charge of implementing Scheme for Adolescent Girls may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Individual, benefits under the Scheme for Adolescent Girls shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID slip: or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment. as specified in as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank or Post Office photo passbook; or (ii) Ration Card; or (iii) Passport; or (iv) PAN Card; or (v) Photo Identity Card issued by State Government or Union Territory Administration: or (vi) Certificate of identity with photograph issued by a Gazetted Officer on official letter head: or (vii) any other document specified by the State Government or Union Territory Administration; and

(c) an undertaking that she is not availing benefits under the Scheme for Adolescent Girls from any other Anganwadi Centre:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government or Union Territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Women and Child Development Department in the State Government or Union Territory Administration in charge of implementing the Scheme for Adolescent Girls, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through local media through the offices of Child Development Project Officers, Supervisors, Anganwadi Centers and individual notices shall be given to the beneficiaries of the Scheme for Adolescent Girls to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the Blocks or Tehsils or Talukas, the Women and Child Development Department in the States or Union Territory Administrations in charge of implementing Scheme for Adolescent Girls is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register a request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the Child Development Project Officer or Anganwadi Centre, etc.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 11012-108/2016-Sabla]

Dr. RAJESH KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.20 11:41:46 +05'30'

देने के लिए और अपनी सेवाओं की मान्यता स्वरूप आगे आए हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा और राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी फायदा के रूप में मासिक मानदेय का संदाय किया जाता है।

और फायदाग्राहियों को फायदे के रूप में संदत्त किए जाने वाले मानदेय में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्कीम के अधीन फायदों के रूप में मानदेय का उपभोग करने के लिए फायदाग्राहियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अधीन फायदों के रूप में मानदेय का उपभोग करने के ऐसे किसी इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विकास विभाग, जो किसी फायदाग्राही से यह अपेक्षा करता है कि वह आधार प्रस्तुत करे, से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो वहां राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे या रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे:

परंतु फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए मानदेय का संदाय किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) (i) बैंक या डाकघर फोटो पासबुक, या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट; (vi) या चालक अनुज्ञप्ति; या (vii) पेन कार्ड; या (viii) सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र (ix) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र; या (x) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो

लगा हो; या (xi) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड; या (xii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजो की इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध मानदेय प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(1) स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्कीम को कार्यान्वित करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्र/ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से आवश्यक अनुदेश और व्यष्टिक सूचनाएं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्कीम के भावी फायदाग्राहियों को दी जाएंगी जिससे कि उनको स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाया जा सके और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए स्वयं को नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है । स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उनको उपलब्ध करा दी जाएगी ।

(2) यदि फायदाग्राही, ब्लाक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलभ्यता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं सृजित करें और फायदाग्राही से अनुरोध किया जाए कि वे बाल विकास परियोजना अधिकारी, आदि के पास पैरा 1 के उप पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर आधार के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. एन एम ई डब्ल्यू/602/2016-प्रशासन(एन एम ई डब्ल्यू)]

चेतन बी. सांघी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 470(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering the scheme of National Mission of Empowerment of Women (hereinafter referred to as NMEW) to facilitate inter-sectoral convergence of schemes and programmes meant for women both at the Central and State or Union Territory level. The scheme is implemented by the State Governments and Union Territory Administrations through the State Resource Centre for Women (SRCW), Poorna Shakti Kendra (PSK) projects, Village Convergence and Facilitation Service (VCFS) which are executed by contractual staff;

And whereas, the services at State Resource Centre for Women (SRCW), Poorna Shakti Kendra (PSK), and Village Convergence and Facilitation Service (VCFS) are provided by the contractual functionaries like State Project Coordinators, Specialist Genders, Specialist Trainings, Research officers, Assistants, District Coordinators, Data Entry Operators, Support Staff at District ·els, Tehsil or Block Coordinators, Village Coordinators, etc and these functionaries are honorary workers (hereinafter referred to as beneficiaries) who have come forward for rendering social services and in recognition of their services, they are paid monthly honorarium as benefit by the Central Government and also by the State Governments and Union Territory Administrations;

And whereas, the honorarium paid as benefit to the beneficiaries involves recurring expenditure from the consolidated fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Beneficiaries desirous of availing the honorarium as benefit under NMEW are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any beneficiary desirous of availing the honorarium as benefit under NMEW, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to make application for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory ministrations which requires a beneficiary to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the respective Block or Taluk or Tehsil, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, honorarium under the NMEW scheme shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if he/she has enrolled her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his/her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank or Post Office photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kisan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License; or (vii) PAN Card; or (viii) Employee Photo Identity Card issued by the Government or any Public Sector Undertaking; or (ix) Any other Photo Identity Card issued by State Governments or Union Territory Administration; or (x) Certificate of identity with photograph issued by a Gazetted Officer on official letterhead; or (xi) Health Card issued by Primary Health Centre (PHC) or Government Hospital; or (xii) any other document specified by the State Government or Union Territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government or Union Territory Administration for that purpose.

In order to provide convenient and hassle free honorarium to the beneficiaries, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in charge of implementing NMEW scheme, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through local media, necessary instructions and individual notices through the offices of Child Development Project Officer/Anganwadi Centres/ Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in charge of implementing NMEW scheme shall be given to the prospective beneficiaries of the NMEW Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest Aadhaar enrolment centers available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case beneficiaries are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluka, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in charge of implementing NMEW Scheme is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for enrolment for Aadhaar by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the Child Development Project Officer, etc.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. NMEW/602/2016-ADMN (NMEW)]

CHETAN B. SANGHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.02.21 15:18:05 +05'30'

42

353

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2017/माघ 25, 1938

No. 376] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2017/MAGHA 25, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2017

का.आ 415(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है ;

और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, एकीकृत बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम कहा गया है) के अधीन क्षेत्रीय कृत्यकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रशासन कर रहा है और फायदाग्राहियों में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र कर्मचारिवृंद (एडब्ल्यू टीसी) या माध्यमिक स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (एमएलटीसी) अतिथि संकाय या रिसोर्स व्यक्ति और प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र कर्मचारिवृंद (एडब्ल्यू टीसी) या माध्यमिक स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (एमएलटीसी) में नामांकित किया गया है, सम्मिलित है;

एकीकृत बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान जारी किया जाता है और सरकारी संगठनों या स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा चलाए गए आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों (एडब्ल्यूटीएम) और माध्यमिक स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों (एमएलटीएस) में रिसोर्स व्यक्तियों या अतिथि संकाय को प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए मानदेय, परिवहन भत्ता और प्रोत्साहन, बोर्डिंग और वासा प्रदान किया जाता जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. (1) आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या

जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम, 12 के अनुसार आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग, जो किसी फायदाग्राही से यह अपेक्षा करता है कि वह आधार प्रस्तुत करे, से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो वहां आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग के स्थानीय प्राधिकारी यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे या रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे;

परंतु फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए लाभ प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप , या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) (i) बैंक या डाकघर फोटो पासबुक, या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) किसान फोटो पासबुक, या (v) पासपोर्ट, (vi) या चालक अनुज्ञप्ति; या (vii) पेन कार्ड; या (viii) सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र (ix) किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र; या (x) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगी हो; या (xi) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड; या (xii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेज इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2 फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सामंदेय प्रदान करने के लिए, आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(1) स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार, आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय/आंगनवाडी केन्द्र/ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से आवश्यक अनुदेश और व्यष्टिक सूचनाएं आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के भावी फायदाग्राहियों को दी जाएंगी जिससे कि उनको स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जानरूक बनाया जा सके और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए स्वयं को नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है । स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उनको उपलब्ध करा दी जाएगी ।

(2) यदि फायदाग्राही, ब्लाक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ है तो आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के भारसाधक राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं सृजित करें और फायदाग्राही से अनुरोध किया जाए कि वे बाल विकास परियोजना अधिकारी, आदि के पास पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा-विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर आधार के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 17/02/2016-आई सी डी एस प्रशिक्षण]

डा. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2017

S.O. 415(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering various training courses to field functionaries under the Integrated Child Development Services Training Programme (hereinafter referred to as ICDS Training Programme) and the beneficiaries include staff of the Anganwadi Training Centers (AWTCs) or Middle level Training Centers (MLTCs), guest faculty or resource persons and trainees who are enrolled in the AWTCs or MLTCs for the training courses;

And whereas, under the ICDS training programme, the grant-in-aid is released to the State Governments and Union Territory Administrations. The Honorarium to resource persons or guest faculty for providing training, transport allowance and incentive, boarding and lodging to trainees at AWTCs and MLTCs run by the State Governments and Union Territory Administrations through Non-Governmental Organizations or Voluntary Organizations that involve recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) The desirous beneficiaries of ICDS training programme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any desirous beneficiary of ICDS training programme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to make application for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in-charge of implementing the ICDS training programme which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in charge of implementing the ICDS training programme may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries of ICDS training programme, benefits under the said training programme shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents namely,—

(a) (i) if she or he has enrolled, his Aadhaar enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

b i) Bank or Post Office photo passbook; or (ii) Voter ID Card or (iii) Ration Card, or (iv) Kisan Photo Passbook; or (v) Passport, or (vi) Driving License, or (vii) PAN Card or (viii) MGNREGS job Card; or (ix) Employee Photo Identity Card issued by the Government or any Public Sector Undertaking ; or (x) Any other Photo identity Card issued by State Government or Union Territory Administration; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by a Gazetted Officer on official letterhead or (xii) any other document specified by the State Government or Union Territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government or Union Territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in-charge of implementing ICDS training programme shall make all the required arrangements including the following, namely:–

(1) Wide publicity through media and individual notices through the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in-charge of implementing ICDS training programme shall be given to the prospective beneficiaries of ICDS training programme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centers available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case the beneficiaries of ICDS training programme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment Centers in the Blocks or Tehsils or Talukas, the Women and Child Development Department in the State Governments or Union Territory Administrations in-charge of implementing the ICDS Training programme is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries of ICDS training programme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the local authorities in-charge of implementation of the ICDS training programme.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 17/02/2016-ICDS TR]

Dr. RAJESH KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.02.15 19:40:05 +05'30'

357

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 2017/फाल्गुन 6, 1938

No. 560] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 2017/PHALGUNA 6, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

का.आ. 626(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, यह कि भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मानव दुर्व्यापार निवारण, वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों को बचाने, उनका पुनर्वास करने और पुनःएकीकरण के लिए उज्ज्वला स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है और यह स्कीम गैर-सरकारी संगठनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय रूप से प्रायोजित परिपूर्ण स्कीम "महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण" की उप-स्कीम है; और इस स्कीम के अंतर्गत हिताधिकारियों में व्यष्टिक महिलाएं और गैर-सरकारी संगठनों के कर्मचारीवृंद (जिन्हें इसमें इसके पश्चात हिताधिकारी कहा गया है) सम्मिलित हैं।

और, चूंकि उज्ज्वला स्कीम के अधीन स्कीम के प्रशासन और प्रबंधन के लिए क्रियान्वयन अभिकरणों के कर्मचारीवृंद को वेतन का संदाय करने और क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा उज्ज्वला स्कीम के अधीन चलाए जा रहे गृहों में व्यष्टिक महिला हिताधिकारियों को सुविधाएं जैसे भोजन, कपड़े, स्वच्छता संबंधी वस्तुएं, चिकित्सा देख-रेख, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को अनुदान सहायता जारी की जाती है और इसमें भारत की संचित निधि से व्यय अंतर्वलित होता है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

1. (1) स्कीम के अधीन व्यष्टिक हिताधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्या-धारक होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को, जो आधार संख्या-धारक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31.03.2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का अवलोकन कर सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के महिला और बाल विकास विभाग आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं या बनने की प्रक्रिया में हैं और वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के परामर्श से नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं तथा उज्ज्वला गृहों का कोई ऐसा हिताधिकारी या कर्मचारिवृंद जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों का या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्र में भी दौरा कर सकेंगे ।

परन्तु व्यष्टियों को आधार समुनुदेशित किए जाने के समय तक स्कीम के अधीन फायदे निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, प्रदान किए जाएंगे अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़

(i) बैंक फोटो पासबुक ; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड ; या (iii) राशन कार्ड ; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट ; या (vi) चालक अनुज्ञप्ति ; या (vii) पैन कार्ड ; या (viii) एमजीएनआरईजीएस कार्य कार्ड ; या (ix) सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान कार्ड; या (x) किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान कार्ड; या (xi) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित ; या (xii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज , और

2. उज्ज्वला स्कीम के फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मे महिला और बाल विकास विभाग, जो स्कीम में कार्यान्वयन का प्रभारसाधक है, सभी अपेक्षित व्यवस्थाए, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेगा, अर्थात् :

(1) इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों मे आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कीम के अधीन उन्हें स्थानीय मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हे उनके क्षेत्रो में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर 30 मार्च, 2017 तक आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) ब्लॉक या तहसील या तालुक मे आधार नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण फायदाग्राही नामांकन कराने में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के महिला और बाल विकास विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओ का सृजन करे और फायदाग्राहियों से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे कार्यान्वयन अभिकरणो को देकर या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्टर कराने का अनुरोध करें ।

3. यह अधिसूचना, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 16/12/2016-सीपी]

नंदिता मिश्रा, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2017

S.O. 626(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity.

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering **Ujjawala Scheme** (hereinafter referred to as the Scheme) for prevention of trafficking and rescue, rehabilitation, and reintegration of victims of trafficking for commercial sexual exploitation and the Scheme is a Sub Scheme of the Centrally sponsored Umbrella Scheme **"Protection and Empowerment of Women"** implemented by the State Governments and Union territory Administrations through Non-Government Organizations (hereinafter referred to as **implementing agencies**); and the beneficiaries under the Scheme include the individual women and staff of the Non-vernment Organizations (hereinafter referred to as the **beneficiaries**):

And, whereas, under the Ujjawala Scheme, grant-in-aid is released to the State Governments and Union territory Administrations for payment towards salary of the staff of the implementing agencies for administration and management of the Scheme; and for providing facilities to individual woman beneficiaries such as food, clothes, sanitary items, medical care, education, vocational training etc., (hereinafter referred to as benefit) in the homes run under the Ujjawala Scheme by the implementing agencies and that involves recurring expenditure from the Consolidated fund of India:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) The individual beneficiary under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by **31st March 2017** provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centre (list available at Unique Identification Authority of India website (www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development in the State Government and Union territory Administration has become or is in the process of becoming UIDAI Registrar for Aadhaar enrolment and is organizing special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrollment facilities in consultation with Unique Identification Authority of India and any beneficiary or staff of the Ujjawala homes, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centers in the vicinity with existing Registrars of Unique Identification Authority of India.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the Scheme shall be given to such ividuals subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) any of the following documents, namely:—

(i). Bank photo passbook; or (ii). Voter ID Card; or (iii). Ration Card; or (iv). Kisan Photo Passbook; or (v). Passport; or (vi). Driving License; or (vii). PAN Card; or (viii). MGNREGS job Card; or (ix). Employee Photo Identity Card issued by the Government or any Public Sector Undertaking (PSU); or (x) Any other Photo identity Card issued by the State Government or Union territory Administration; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer on official letter head; or (xii). any other document specified by the State Government or Union territory Administration

2. In order to provide convenient and hassle-free services to the beneficiaries of the Ujjawala Scheme, the Women and Child Development Department in the State Government and Union territory Administration in charge of implementing the Scheme shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) Wide publicity through local media and individual notices shall be given to the beneficiaries under the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves

enrolled for Aadhaar by 31st March 2017 at the nearest enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the Blocks or Tehsils or Talukas, the Women and Child Development Department in the State Government and Union territory Administration in charge of implementing the Scheme is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in clause (b) to the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the implementing agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 16/12/2016-CP]

Ms. NANDITA MISHRA, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.25 14:07:26 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 2017/फाल्गुन 6, 1938
No. 558] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 2017/PHALGUNA 6, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

का.आ. 624(अ).—सेवाओं या फायदों या सब्सिडियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, 'स्वाधार गृह स्कीम' (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है, जिसका लक्ष्य दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की शिकार ऐसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए सांस्थानिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन-यापन कर सकें और यह स्कीम 'महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण' नामक केंद्रीय प्रायोजित 'अंबेला स्कीम' की उप स्कीम है जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से किया जाता है; और इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों में स्वाधार गृहों के कर्मचारीवृंद और वैयक्तिक रूप से महिला फायदाग्राही (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) भी सम्मिलित हैं;

और इस स्कीम के अधीन स्वाधार गृहों के संचालन हेतु प्रशासन और प्रबंध के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों के कर्मचारीवृंद के वेतन के संदाय के लिए, आहार, परिधान, औषधियों, जेब खर्च, मनोविनोद क्रियाकलापों आदि जैसी सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करने के लिए; व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए फीस की प्रतिपूर्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है); के लिए भी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदान सहायता का निर्मोचन किया जाता है; जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित किया जाता है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

1. (1) स्कीम के फायदाग्रही व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह संख्यांक होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा का उपभोग करने के इच्छुक ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 30.09.2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में महिला और बाल विकास विभाग आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं या बनने वाले हैं और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं तथा स्वाधार गृह का ऐसा कोई फायदाग्राही जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों का या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के पास आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्रों पर भी जा सकेंगे।

परंतु ऐसे व्यक्तियों का आधार संख्यांक नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, स्कीम के अधीन फायदे दिए जाएंगे अर्थात् :—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़:

(i) बैंक फोटो पासबुक ; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड , या (iii) राशन कार्ड ; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट , या (vi) चालन अनुज्ञप्ति ; या (vii) पैन कार्ड ; या (viii) एमजीएनआरईजीएस कार्य कार्ड ; या (ix) सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान कार्ड ; या (x) किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान कार्ड ; या (xi) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित ; या (xii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ;

2 स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन के लिए भारसाधक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का महिला और बाल विकास विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाए जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, करेगा, अर्थात् :

(1) इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों मे आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्कीम के अधीन उन्हें स्थानीय मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हे, उनके क्षेत्रो में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रो पर 30 सितम्बर, 2017 तक आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हे स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) ब्लॉक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण फायदाग्राही नामांकन कराने में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के महिला तथा बाल विकास विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानो पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और फायदाग्राहियो से उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) मे यथा-विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे कार्यान्वयन अभिकरणों को देकर या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्टर कराने का अनुरोध करें।

3. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोडकर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में प्रभावी होगी।

[सं. एस डब्ल्यू-57/55/2016-स्वाधार]

नदिता मिश्रा, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2017

S.O. 624(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering the **Swadhar Greh Scheme** (hereinafter referred to as the Scheme), which targets the women victims of unfortunate circumstances who are in need of institutional support for rehabilitation so that they could lead their life with dignity and the Scheme is a Sub-Scheme of Centrally Sponsored Umbrella Scheme called "Protection and Empowerment of Women", which is implemented by the State Governments and Union territory Administrations through Non-Government Organizations and Voluntary Organizations (hereinafter referred to as the **implementing agencies**) ; and the beneficiaries ler the Scheme include staff of the Swadhar Grehs and the individual women beneficiaries (hereinafter referred to as **beneficiaries**);

And, whereas, under the Scheme grant-in-aid is released to the State Governments and Union territory Administrations for payment towards salary of the staff of the implementing agencies for administration and management to run the Swadhar Grehs; and providing facilities to the individual beneficiaries such as food, clothing, medicines, pocket money, recreational activities, etc. and also reimbursement of fees for conducting vocational training (hereinafter referred to as **benefit**); which involves recurring expenditures from the Consolidated Fund of India,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) The individual beneficiary of the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30.09.2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centre (list available at UIDAI website (www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department in the State Government or Union territory Administration has become or is in the process of becoming UIDAI Registrar for Aadhaar enrolment and is organizing special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and any beneficiary of Swadhar Greh, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with the existing registrars of UIDAI :

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) any of the following documents, namely:—

(i) Bank photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kissan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License, or (vii) PAN Card; or (viii) MGNREGS job card; or (ix) Employee Photo Identity Card issued by Government or any Public Sector Undertaking (PSU), or (x) Any other Photo identity Card issued by State Government or Union territory Administration ; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer on an official letter head; or (xii) any other document specified by the State Government or Union territory Administration,.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefits to the beneficiaries under the scheme, the Women and Child Development Department in the State Government and Union territory Administration in charge of implementing the Scheme shall make all the required arrangements including the following, namely.—

(1) Wide publicity through local media and individual notices shall be given to the beneficiaries under the scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves

enrolled for Aadhaar by 30.09.2017 at the nearest enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the Blocks or Tehsils or Talukas, the Women and Child Development Department in the State Government and Union territory Administration in charge of implementing the Scheme is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in clause (b) to the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the implementing agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. SW-57/55/2016-Swadhar]

NANDITA MISHRA, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2017/फाल्गुन 4, 1938
No. 555] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2017/PHALGUNA 4, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2017

का.आ. 620(अ).—सेवाओं या फायदों या सन्नायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियो को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है और इस स्कीम का उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सेवा परिदान संरचना का सुरक्षा तंत्र गठित करना और अनन्य रूप से बाल संरक्षण के लिए कार्यरत प्रशिक्षित कार्मिको का एक कॉडर उपलब्ध कराना है तथा इस योजना के द्वारा मौजूदा पहलो और पूर्व परिभाषित तथा उन्नत मूल्य मानदंडों पर आधारित नए उपाय शुरू करके, दोनों को साथ लेकर प्रत्येक बालक के लिए आवश्यकता पर आधारित सेवाओं की एक श्रेणी का उपबंध किया गया है और इस योजना के उद्देश्य (i) विधि का विरोध करने वाले बालको तथा ऐसे बालको जिन्हे देखरेख और सरक्षण की जरूरत है, के लिए सुरक्षित और सुनिश्चित वातावरण उपलब्ध कराना (ii) सामाजिक संरक्षण उपायों की व्यापक श्रेणी के माध्यम से भेद्यता को कम करना (iii) ऐसी कार्रवाईयो को रोकना जिससे बालकों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, उनका कुटुम्ब से परित्याग और पृथक्करण आदि होता हो तथा (iv) गैर-संस्थानिक देखभाल पर ध्यान दिया जाना है ;

और, इस स्कीम में राज्य और जिला स्तर पर संविदात्मक कर्मचारीवृंद के भाड़े पर लेने का उपबंध है और कर्मचारीवृंद का पारिश्रमिक केन्द्र सरकार और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मध्य पूर्व परिभाषित लागत अंश विभाजन पैटर्न के आधार पर निर्धारित होता है और जिसमे भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् –

1. (1) स्कीम के अधीन पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपना आधार संख्यांक होने का सबूत दे या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक अपना आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा है परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में भारसाधक महिला और बाल विकास विभाग से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के समन्वय से या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी।

परन्तु स्कीम के अधीन काम करने वाले कर्मचारीवृंद का आधार संख्यांक नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए पारिश्रमिक दिया जाएगा अर्थात् –

(क) (i) यदि उसने अपना नामांकन करवा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा-2 के उप-पैरा-2 में यथानिर्दिष्ट उसके द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति ; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज, अर्थात् –

(i) बैंक फोटो पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड; या (iii) राशनकार्ड; या (iv) किसान फोटो पासबुक ; या (v) पासपोर्ट, या (vi) चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) पैन कार्ड; या (viii) एमजीएनआरईजीएस जॉब कार्ड; या (ix) सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान कार्ड; या (x) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई भी फोटो पहचान कार्ड, या (xi) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी फोटो सहित पहचान पत्र; या (xii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

2. (1) आधार के लिए सुविधाजनक और बाधारहित नामांकन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएंगे और आधार के लिए नामांकन की आवश्यकता के बारे में स्कीम के अधीन कार्यरत कर्मचारीवृंद की जागरूकता के लिए तथा आधार नामांकन के लिए की गई सुविधाओं व्यौरों के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाएगी जो आवश्यक हो।

(2) यदि स्कीम के अधीन कार्यरत कर्मचारीवृंद ब्लॉक या तहसील या तालुका में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते है तो राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में स्कीम को कार्यान्वित करने वाले भारसाधक महिला और बाल विकास विभाग से यह अपेक्षित है कि वह सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और स्कीम के अधीन कार्यरत कर्मचारीवृंद अपने नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा पैरा-1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथा-निर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. स. 14-10/2016-सीडब्ल्यू-II]

रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2017

S.O. 620(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering the centrally sponsored Integrated Child Protection Scheme (hereinafter refer to as the Scheme) for children in difficult circumstances and the Scheme aims at creating safety net of service delivery structures at national, State and District level and to put in place a cadre of trained personnel working exclusively on Child Protection and the Scheme provides a range of need based services for each child by bringing together existing initiatives and introducing new measures based on pre-defined and enhanced cost norms and the objectives of the Scheme are to (i) provide safe and secure environment for children in conflict with law, and children in need of care and protection; (ii) reduce vulnerabilities through a wide range of social protection measures (iii) prevent actions that lead to abuse, neglect, exploitation, abandonment and separation of children from families etc., and (iv) bring focus on non-institutional care;

And, whereas, the Scheme provides for hiring of contractual staff at the State and District level, and the remuneration of the staff is funded on a pre-defined cost sharing pattern between the Centre and State Government or Union territory Administrations, and which involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1 (1) Any individual receiving remuneration under Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual receiving remuneration under Scheme who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make application for Aadhaar enrolment provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act by 31st March, 2017 and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at **www.uidai.gov.in**) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Women and Child Development Department in the State Governments and Union territory Administrations in charge of implementing the scheme is required to enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the staff working under the Scheme, remuneration shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) Any of the following documents, namely:—

(i) Bank photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kishan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License; or (vii) PAN Card; or (viii) MGNREGS Job Card; or (ix) Employee Photo Identity Card issued by the Government or Public Sector Undertakings; or (x) Any other Photo Identity Card issued by State Government or Union territory Administration; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer on an official letter head; or (xii) any other document specified by the State Government or Union territory Administration.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free enrolment for Aadhaar, the State Governments and Union territory Administrations shall issue necessary instructions and make such arrangements as may be necessary through the Offices of Child Development Project Officers and Supervisors for awareness of the staff working under the Scheme about the necessity of enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrolment.

(2) In case the staff working under Scheme are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluka, the Women and Child Development Department in the State Governments and Union territory Administrations in charge of implementing the scheme is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the staff working under Scheme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the Child Development Project Officer.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No.14-10/2016-CW-II]

RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

369

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 2017/फाल्गुन 6, 1938

No. 559] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 2017/PHALGUNA 6, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2017

का.आ. 625(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) महिलाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) के लिए केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता स्कीम (स्टेप) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है।

स्कीम के अधीन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पीआईए) जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) अर्थात् किसी प्रवृत्त विधि के अधीन स्वायत्त संगठन के रूप में या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी (लाभ के लिए नहीं) या स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठनों के रूप में स्थापित संस्थाओं या समुहों और सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से ऐसे कौशल उपलब्ध कराने के लिए, जो महिलाओं को नियोजनीयता देते हैं या उन्हें स्व-नियोजित अथवा उद्यमी बनने में समर्थ बनाते हैं, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) उपलब्ध कराया जाता है।

और कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रस्थापित पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् —

1 (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपना आधार संख्यांक होने का सबूत दे या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।

(ii) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने वाले किसी ऐसे फायदाग्राही से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक अपना आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, किंतु वह स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं के उपभोग का इच्छुक है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा है परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए; जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध प्रस्थापित करने की होगी और यदि आस-पास जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो मंत्रालय से, उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या मंत्रालय स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी।

परन्तु फायदाग्राहियों को आधार संख्यांक नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएगी अर्थात् –

(क) (i) यदि उसने अपना नामांकन करवा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा-2 के उप-पैरा-(ख) में यथानिर्दिष्ट उसके द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति ; और

(ख) (i) बैंक फोटो पासबुक, या (ii) मतदाता पहचान कार्ड, या (iii) राशनकार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या (viii) एमजीएनआरईजीएस कार्ड; या (ix) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजो की जांच मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और आधाररहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कीम के अधीन मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाले कार्यान्वयन अभिकरण मंत्रालय की ओर से ऐसी सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेंगे, अर्थात्—

(क) फायदाग्राहियों को, स्कीम के अधीन प्रसुविधाए प्राप्त करने के लिए आधार के आवश्यकता के प्रति उन्हे जागरूक बनाने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नही कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्र पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि फायदाग्राही आस-पास जैसे ब्लॉक या तहसील या तालुका जैसे निकटतम क्षेत्र में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते है तो मन्त्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक स्थानो पर नामांकन सुविधाओ का सृजन करें और फायदाग्राही अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा पैरा-1 के उप-पैरा (iii) के पहले परन्तुक में यथा-विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरा देते हुए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित संबंधित पदाधिकारी के पास या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैबपोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर करने के लिए अनुरोध कर सकते है।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. एमटी-50/58/2016-सीटीईपी]

के. मोसेस चलाई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2017

S.O. 625(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India (hereinafter referred to as the Ministry) is administering the Support to Training and Employment Programme (STEP) Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) for women (hereinafter referred to as the beneficiary) as a Central Sector Scheme;

And whereas, under the Scheme, financial assistance and training (hereinafter referred to as benefits) is provided for providing skills that give employability to women or enable them to become self-employed or entrepreneurs, through Project Implementing Agencies (PIAs) (hereinafter referred to as the Implementing Agencies), namely, Institutions or organisations set up as Autonomous Organisations under any law in force or as a Society (not for profit) or voluntary organisations or non-governmental organisations registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Indian Trusts Act, 1882; and Co-operative societies;

And whereas, the aforesaid Scheme offered through the Implementing Agencies involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (i) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(ii) A beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the Benefits under the Scheme are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June 2017 provided she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Ministry itself becoming UIDAI registrar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport, or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) MGNREGS Card; or (ix) any other documents as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Implementing Agencies receiving grants from the Ministry under the Scheme shall make all required arrangements on behalf of the Ministry including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (iii) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the Ministry or through the web portal provide for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir

[No. ST-50/58/2016-STEP]

K. MOSES CHALAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

373

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 2017/फाल्गुन 6, 1938

No. 557] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 2017/PHALGUNA 6, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2017

का.आ. 623(अ)— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के, जो राष्ट्रीय महिला कोष का प्रशासन करता है, तत्त्वावधान में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसायटी तथा गरीब महिलाओं को ग्राहक अनुकूल रीति से रियायती नियंधनों पर जीविका तथा आय जनन संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों के लिए सूक्ष्म उधार उपलब्ध कराता जिससे उनका सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके,

और राष्ट्रीय महिला कोष ऋण संवर्धन स्कीम, मुख्य ऋण स्कीम आवास ऋण स्कीम, कार्यकारी ऋण स्कीम सहित विभिन्न स्कीमों (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) के माध्यम से उधार का वितरण करता है

और महिला फायदाग्राहियों के लिए स्कीमों का संचालन मध्यवर्ती सूक्ष्म वित्त पोषण संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, महिला पंचायतों, आय जनन संबंधी क्रियाकलापों में लगे हुए सहकारी और अन्य स्वैच्छिक या सिविल सोसायटी संगठनों, आवास, सूक्ष्म उद्यमों आदि के माध्यम से किया जाता है;

और महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा ऐसी स्कीमों हेतु उधार देने के प्रयोजनों के लिए समग्र अनुदान में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है,

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) राष्ट्रीय महिला कोष से प्रत्यक्ष रूप से या मध्यवर्ती सूक्ष्म वित्तपोषण संगठनों के माध्यम से उधार संबंधी सेवाओं और प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार

अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) राष्ट्रीय महिला कोष से प्रत्यक्ष रूप से या सूक्ष्म वित्त संगठन सहभागी संगठनों के माध्यम से उधार संबंधी सेवा और सुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से ऐसी उधार संबंधी स्कीमों का प्रशासन कर रहा है जिसमें किसी व्यक्ति से आधार संख्यांक के होने का सबूत देने की अपेक्षा है और वह ऐसे फायदाग्राहियो के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्यांक के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा और यदि उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाए उपलब्ध करा सकेगा;

परंतु ऐसे व्यक्तियो का आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से सेवाएं और सुविधाए दी जाएगी अर्थात् :-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या (ii) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्यांक कार्ड ; या (iii) पासपोर्ट, या (iv) मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी फोटो वाला कोई पहचान प्रमाणपत्र ; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड ; या (vii) किसान फोटो पासबुक ; या (viii) कोई अन्य दस्तावेज जो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजो की जांच महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन हेतु अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2 फायदाग्राहियो को सुविधाजनक और निर्बाध सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेगा अर्थात् :

(1) ऐसी स्कीमों के अधीन आधार संख्यांक की आवश्यकता के प्रति स्कीम के फायदाग्राहियों को जागरुक बनाने के लिए उन्हें मीडिया और से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाओं द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा तथा यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें, उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर 31 मार्च, 2017 तक आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि ब्लॉक या तहसील या तालुका में नामांकन केंद्रो के उपलब्ध न होने के कारण स्कीमो के अधीन फायदाग्राही नामांकन कराने मे समर्थ नहीं होते है तो महिला और बाल विकास मंत्रालय से यह अपेक्षित होगा कि वह राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वय यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओ का सृजन करे और स्कीमों के अधीन फायदाग्राहियों से उनका नाम, पता, मोबाईल नम्बर और पैरा 1 के उपपैरा (3) के पहले परंतुक के खंड (ख) में यथा-विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय को देकर या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्टर कराने का अनुरोध करें।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यो को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. – आरएमके-34/47/2016-आरएमके]

रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2017

S.O.623(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity,

And, whereas, the Rashtriya Mahila Kosh (RMK), a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860), under the aegis of the Ministry of Women and Child Development which is administering RMK and provides micro-credit to poor women for various livelihood and income generating activities at concessional terms in a client-friendly manner so as to bring about their socio-economic development;

And whereas RMK delivers the credit through various schemes including Loan Promotion Scheme, Main Loan Scheme, Housing Loan Scheme, Working Loan Schemes (hereinafter referred to as the Schemes);

And whereas the schemes are administered to the women beneficiaries through intermediary Micro-financing Organisations, Non-Governmental Organisations, Women Federations, Co-operatives and other Voluntary or Civil Society Organizations engaged in income generation activities, housing, micro-enterprises;

And whereas, the grant forming the corpus utilised for lending purposes for such schemes by RMK under Ministry of Women and Child Development, involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) All individuals desirous of availing the services and benefits of credit from RMK directly or through Intermediary Micro-financing Organisations are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the services and benefits of credit from RMK directly or through Intermediary Micro-financing Organisations who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identitification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.

(3) As per Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Women and Child Development administering such credit schemes through RMK which requires an individual to furnish proof of possession of Aadhaar number and shall ensure enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar number and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Women and Child Development through RMK may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identitification Authority of India (hereinafter referred to as the UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, services and benefits through RMK shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:-

(a) (i) If he or she has enrolled his or her Aadhaar Enrolment ID slip or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2 of Paragraph 2, and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India, or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by the Licensing Authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted Officer or Tehsildar on an official letter head; (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union territory Administrations:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry of Women and Child Development for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free services to the beneficiaries through RMK, the Ministry of Women and Child Development, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices by Ministry of Women and Child Development, through RMK, shall be given to the beneficiaries of the Schemes to make them aware of the requirement of Aadhaar number under such Schemes and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas by 31st March, 2017 in case they are not already enroled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them;

(2) In case, beneficiaries under the Schemes are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluka, the Ministry of Women and Child Development thorough RMK is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrars themselves and the beneficiaries under the Schemes may be requested to register their request for their enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the clause (b) to first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 to the Ministry of Women and Child Development through RMK or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union territories Administrations except the State of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F No.RMK-34/47/2016-RMK]

RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

(48)

377

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/पौष 14, 1938

No. 18] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2017

का.आ. 19(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के उपबंधों के अधीन प्रारंभ किए गए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् महात्मा गांधी नरेगा कहा गया है) में भारत की संचित निधि से उपगत होने वाला व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण मे निम्नलिखित अधिसूचित करना है, अर्थात् .–

1. (1) महात्मा गांधी नरेगा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यष्टियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) महात्मा गांधी नरेगा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे व्यष्टि को, जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, तारीख 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु उस दशा मे जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि

आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज (महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी) से यह अपेक्षित है कि वे ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील के भीतर आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहां ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज (महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी) यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे :

परंतु उस समय तक जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित किया जाता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा दी जाएगी, अर्थात् :--

(क) महात्मा गांधी नरेगा के अधीन जारी कार्य कार्ड ;

(ख)(i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ,

(ग) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) राशन कार्ड ; या (iii) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (iv) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य का कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित; या (v) किसान फोटो पासबुक ; या (vi) किसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु यह और कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. (1) उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के लिए सुविधाजनक और निर्बाध हकदारियां उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज (महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी) सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

(2) मीडिया और व्यष्टिक सूचनाओं के माध्यम से आवेदकों या फायदाग्राहियों के बीच व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अधीन कार्य करने के लिए आधार की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके । उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में तारीख 31 मार्च, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी । स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ।

(3) फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज (महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी) से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा आवेदकों या फायदाग्राहियों से, अपने कार्य कार्ड संख्या, पते, बैंक खातों के ब्यौरों, मोबाइल नंबर आदि जैसे अपने अन्य ब्यौरों के साथ अपने नामों को पोर्टल पर रजिस्टर करने का अनुरोध किया जा सकेगा और ऐसे अनुरोधों को ग्राम पंचायत या ब्लाक कार्यालय के साथ भी रजिस्टर किया जा सकेगा ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी :

परंतु अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें अधिसूचित की जा सकेंगी।

[सं. के-11011/1/2016-आरई-1(350117)]

अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2017

S.O. 19(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme (hereinafter referred to as the Mahatma Gandhi NREGA) launched under the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Rural Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) All individuals registered under the Mahatma Gandhi NREGA are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication

(2) Any individual registered under the Mahatma Gandhi NREGA who is not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 and in case she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 the Department of Rural Development or Panchayati Raj, (In-charge MGNREGA) under the State Government or Union Territory Administrations is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there are no Aadhaar enrolment centers located within the respective Block or Taluk or Tehsil, the said Department of Rural Development or Panchayati Raj (In-charge MGNREGA) may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, she or he shall be allowed to work under the said Act subject to the production of the following documents, namely:-

(a) job card issued under Mahatma Gandhi NREGA.

(b)(i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2,

(c) (i) the voter identity card issued by the Election Commission of India or (ii) ration card; or (iii) the driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988; or (iv) the certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (v) the Kisan passbook with photo; or (vi) any other document specified by the State Government:

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free entitlements to the registered workers under the provisions of the said Act, the Department of Rural Development or Panchayati Raj (In-charge MGNREGA) shall make all the required arrangements including the following, namely.—

(2) Wide publicity through media and individual notices shall be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to work under Mahatma Gandhi NREGA. They may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 31st March, 2017. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(3) In case, the beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the vicinity, the Department of Rural Development or Panchayati Raj (In-charge MGNREGA) of States Government or Union Territory Administrations is required to create enrolment facilities at the convenient locations and the applicants or beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as Job card number, address, Bank Account details, mobile number, etc., on a portal and such requests may also be registered with the Gram Panchayat or Block Office.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya, and the State of Jammu and Kashmir:

Provided that different dates may be notified for the States of Assam, Meghalaya, and the State of Jammu and Kashmir

[No. K-11011/7/2016-RE-I(350117)]

APARAJITA SARANGI, Jt. Secy.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938

No. 575] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ.643(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात डीएवाई-एनआरएलएम कहा गया है) में अंतर्वलित व्यय भारत की संचित निधि से उपगत होगा;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के प्रयोग में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

1. (1) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो डीएवाई-एनआरएलएम के अधीन स्व-सहायता समूह का कोई सदस्य है या सामुदायिक संवर्ग के रूप में अन्यत्र पारिश्रमिक प्राप्त करता है, अपनी आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(2)किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो डीएवाई-एनआरएलएम के अधीन स्व-सहायता समूह के कोई सदस्य है या सामुदायिक संवर्ग के रूप में परिश्रमिक प्राप्त करता है, यदि आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है और वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है, तो उसे 30 सितम्बर, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन प्राप्त करने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची www.uidai.gov.in) वेबसाइट पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3)आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उस विभाग से, जो डीएवाई-एनआरएलएम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग है, जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के माध्यम से किसी व्यक्ति से आधार देने की अपेक्षा करता है, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा है, और उनके ब्लॉक या तालुक या तहसील के भीतर कोई ऐसा नामांकन केंद्र स्थित न होने की दशा में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में डीएवाई-एनआरएलएम के कार्यान्वयन का भारसाधक

उक्त विभाग राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा:

परंतु जब तक किसी व्यक्ति को आधार समुदेशित किया जाता है, तब तक उसे निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने के अधीन रहते हुए डीएबीई-एनआरएलएम के अधीन प्रसुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) मे यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए; अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) महात्मा गांधी नरेगा के अधीन जारी जॉब कार्ड, या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) पासपोर्ट; या (vi) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी उसके फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र; या (viii) फोटो सहित किसान पासबुक, या (ix) उक्त प्रयोजनार्थ किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो सहित कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अभिहित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवाए उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में डीएबीई-एनआरएलएम के कार्यान्वयन का भारसाधक विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेगा, अर्थात्:-

(1) भावी फायदाग्राहियों को, डीएबीई-एनआरएलएम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के लिए आधार की अपेक्षा के प्रति उन्हे जागरूक बनाने के लिए, मीडिया के माध्यम से या व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा। यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें, उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर 30 सितम्बर, 2017 तक स्वयं को नामांकित कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध करानी होगी।

(2) यदि आसपास में कहीं नामांकन केंद्र के उपलब्ध न होने के कारण, फायदाग्राही नामांकन करने में समर्थ नही होते हैं तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में डीएबीई-एनआरएलएम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग ने यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करे तथा आवेदकों या फायदाग्राहियो से, पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट पहचान का सबूत जैसे अन्य ब्यौरो के साथ अपना पता, बैंक खाते ब्यौरे और मोबाइल नंबर सहित देते हुए नामांकन के लिए अपने सबंधित विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकेगा तथा ऐसे अनुरोध राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधीन जिला या ब्लॉक कार्यालय में भी रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे।

(3) यह अधिसूचना, उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यो और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी।

परंतु असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यो के लिए विभिन्न तारीखें अधिसूचित की जा सकेंगी।

[फा.सं. जे 11060/81/2016-आरएल-भाग(1)(352356)]

अटल डुल्लू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O.643(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (hereinafter referred to as the DAY-NRLM) involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Rural Development hereby notifies the following, namely.—

1. (1) An individual who is a member of a Self Help Group or otherwise receives remuneration as a community cadre under DAY-NRLM, shall furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual who is a member of a Self Help Group or otherwise receives remuneration as a community cadre under DAY-NRLM, and who is not yet enrolled for Aadhaar shall have to make application for Aadhaar enrolment by 30th September, 2017 in case she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of the State Government or Union Territory Administrations in-charge of implementation of DAY-NRLM, through the State Rural Livelihoods Missions, which require an individual to furnish Aadhaar, is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in absence of such Aadhaar enrolment centres located within the respective Block or Taluk or Tehsil, the said Department of the State Government or Union Territory Administrations in-charge of implementation of DAY-NRLM, through the State Rural Livelihoods Missions may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, she or he shall be allowed to avail benefits under DAY-NRLM subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) the voter identity card issued by the Election Commission of India; or (ii) ration card; or (iii) job card issued under Mahatma Gandhi NREGA; or (iv) the driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) the Passport; or (vi) the Permanent Account Number Card issued by the Income Tax Department; or (vii) the certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head, or (viii) the Kisan passbook with photo; or (ix) any other document with photograph specified by the State Government for the said purpose:

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union Territory Administration for the purpose.

2. In order to provide convenient and seamless benefits to beneficiaries, the Department of the State Government or Union Territory Administrations in-charge of implementation of DAY-NRLM, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through media and individual notices shall be given to prospective beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to avail benefits under DAY-NRLM. They may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 30th September, 2017, in case they are not enrolled already. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the vicinity, the the Department of the State Government or Union Territory Administrations in-charge of implementation of DAY-NRLM is required to create enrolment facilities at the convenient locations and the applicants or beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details such as proof of identity specified in clause (b) of the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with address, bank account details and mobile number on a web portal of the concerned department and such requests may also be registered with the District or Block Office under the State Rural Livelihood Missions.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the States and Union Territories, except the States of Assam, Meghalaya, and the State of Jammu and Kashmir:

Provided that different dates may be notified for the States of Assam, Meghalaya, and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. J-11060/81/2016-RL-Part(1)(352356)]

ATAL DULLOO, Jt Secy.

Uploaded by Dte of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2017/फाल्गुन 8, 1938

No. 573] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2017/PHALGUNA 8, 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

का.आ. 641(अ).– सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है,

और, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात रा.सा.स.का. स्कीम कहा गया है) में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्वलित हैं;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात:-

1. (1) रा.सा.स.का. स्कीम के अधीन प्रसुविधाए प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपनी आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।

(2) रा.सा.स.का. स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति ने यदि आधार के लिए नामांकन नही कराया है और वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है, तो उसे 01.04.2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, और

ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन प्राप्त करने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची www.uidai.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन रा.सा.स.का. स्कीम के भारसाधक ग्रामीण विकास विभाग या कोई अन्य भारसाधक विभाग, जिसे किसी व्यक्ति को आधार देने की अपेक्षा है, प्रसुविधा देने वाले के लिए नामांकन सुविधाओं के प्रस्ताव को आधार देने की अपेक्षा है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और आधार नामांकन केंद्र क्रमशः ब्लॉक, तालुक, तहसील पर अवस्थित नहीं है, उक्त ग्रामीण विकास विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन रा.सा.स.का. स्कीम का भारसाधक यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या समुचित यूआईडीएआई रजिस्ट्रार द्वारा आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी:

परंतु जब तक किसी व्यक्ति को आधार समुदेशित किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने के अधीन रहते हुए रा.सा.स.का. स्कीम के अधीन सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी, अर्थात:-

(क) (i) यदि वह नामांकित है, उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी उसके फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या (x) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अभिहित प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. (1) फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन रा.सा.स.का. स्कीम सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेंगे, अर्थात:-

(2) फायदाग्राहियों को इस स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार और ब्लॉक कार्यालयों या ग्रामीण पंचायतों के माध्यम से व्यक्तियों को सूचना देनी होगी और उन्हें यह सलाह भी देनी होगी कि यदि वे पूर्व में ही नामांकित नहीं हैं तो वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर अपने आधार के लिए नामांकन कराएं। स्थानीय उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध करानी होगी।

(3) ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण, फायदाग्राहियों के नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, ग्रामीण विकास विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन रा.सा.स.का. स्कीम के भारसाधक विभाग या कोई अन्य भारसाधक विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर

नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे, जैसे अपने ब्लॉक आफिस या ग्राम पंचायत या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपने पते, मोबाइल संख्या के साथ अपने नामों को देकर नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना, उसके प्रकाशन की तारीख से जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा.सं. जे-11014/05/2016-एनएसएपी(भाग- II)]

प्रशांत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2017

S.O. 641(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to provide one's identity;

And whereas, the National Social Assistance Programme(hereinafter referred to as NSAP) scheme, under the Ministry of Rural Development involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Rural Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of benefit under NSAP scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of getting benefit under NSAP scheme not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 01.04.2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment Centres (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations,2016, the Department of Rural Development or any other department in charge of NSAP scheme under the State Government or Union Territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment Centre located in the respective Block, Taluk or Tehsil, the said Department of Rural Development or any other department in charge of NSAP scheme under the State Government or Union Territory Administration may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar;

337

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Individual, benefits under the NSAP scheme shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i). if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii). a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) Any of the following documents, namely:—

(i) the voter identity card issued by the Election Commission of India; or(ii). Ration Card, or (iii). Bank passbook with photo; or (iv) The Permanent Account Number(PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (v). the Passport, or(vi). The driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act. 1988 (59 of 1988); or (vii). The certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or aTehsildar on an official letter head; or (viii) the Kisan Photo Passbook; or (ix). MGNREGA Card. or(X) any other document specified by the State Governments/UT Administration.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by department (in-charge of NSAP scheme) in the State Government or UT Administration for that purpose.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficianes, the Department of Rural Development, or any other department in charge of NSAP scheme under the State Government or Union Territory Administrations, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(2) Wide publicity through media and individual notices through the Block Offices or Gram Panchayat shall be given to the beneficianes to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment Centre available in their areas. In case they are not already enrolled, the list of locally available enrolment Centre shall made available to them

(3). In case. beneficiaries are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment Centre in the respective Block, Taluk or Tehsil, the Department of Rural Development, or any other department in charge of NSAP scheme under the State Government or Union Territory Administrations are required to create enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries can be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details as specified in the proviso to sub-para (3) of paragraph 1 such as address mobile number with their Block Office or Gram Panchayat or through the web portal provided for that purpose

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the States and Union Territories except State of Jammu and Kashmir.

[F. No. J-11014/05/2016-NSAP(Part-II) (351646)]

PRASANT KUMAR, Jt Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.03 10:22:03 +05'30'

(51)

388

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938
No. 404] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2017

का.आ. 446(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकार परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, मंत्रिमंडल द्वारा 23 मार्च, 2016 को अनुमोदित और तत्पश्चात् 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण कार्यक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्र.म.आ.यो.-ग्रा.कहा गया है) में अंतर्वलित व्यय भारत की संचित निधि से प्रोद्भूत होंगे ,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्,-

1. (1) प्र.म.आ.यो.-ग्रा. के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपनी आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।

(2) प्र.म.आ.यो.-ग्रा. के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति ने यदि आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है, तो उसे 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन प्राप्त करने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों की सूची www.uidai.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन प्र.म.आ.यो.-ग्रा. के भारसाधक ग्रामीण विकास विभाग या कोई अन्य भारसाधक विभाग, जिसे किसी व्यक्ति को आधार

देने की अपेक्षा है, असुविधा देने वाले के लिए नामांकन सुविधाओं के प्रस्ताव को आधार देने की अपेक्षा है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और आधार नामांकन केन्द्र क्रमशः ब्लॉक, तालुक, तहसील पर अवस्थित नहीं हैं, उक्त ग्रामीण विकास विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन प्र.म.आ.यो.-ग्रा. का भारसाधक यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या समुचित यूआईडीएआई रजिस्ट्रार द्वारा आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी:

परन्तु जब तक किसी व्यक्ति को आधार समुदेशित किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने के अधीन रहते हुए प्र.म.आ.यो.-ग्रा. के अधीन सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी, अर्थात्:-

(क) (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन जारी कार्य कार्ड ;

(ii) यदि वह नामांकित है, उसके आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(iii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उनके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र ; या (ii) राशन कार्ड ; या (iii) फोटोयुक्त बैंक पासबुक ; या (iv) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड , या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी उसके फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक ; या (ix) किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अभिहित प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. (1) फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग या आवास निगम लिमिटेड या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन प्र.म.आ.यो.-ग्रा. का भारसाधक कोई अन्य विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, करेंगे, अर्थात:-

(2) फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार और ब्लॉक कार्यालयों या ग्रामीण पंचायतों या आवास निगम लिमिटेड के माध्यम से व्यक्तियों को सूचना देनी होगी और उन्हें यह सलाह भी देनी होगी कि यदि वे पूर्व में ही नामांकित नहीं है तो वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर अपने आधार के लिए नामांकन कराएं। स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध करानी होगी।

(3) ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण, फायदाग्राहियों के नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग या आवास निगम लिमिटेड या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन प्र.म.आ.यो.-ग्रा. से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे, जैसे अपने ब्लाक आफिस या ग्राम पंचायत या आवास निगम लिमिटेड या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपने पते, मोबाइल संख्या के साथ अपने नामों को देकर नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3 यह अधिसूचना, उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. जे-11012/02/2016-आरएच]

प्रशांत कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2017

S.O.446(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin programme (hereinafter referred to as PMAY-G) approved by the Cabinet on 23rd March 2016 and subsequently implemented from 1st April 2016, involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Rural Development hereby notifies the following, namely —

1. (1) Any individual desirous of benefit under PMAY-G is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of getting benefits under PMAY-G not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 31st March 2017 in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Rural Development or Panchayati Raj or Housing Corporation Limited, or any other department in charge of PMAY-G under the State Government or Union Territory administrations which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the respective Block, Taluk or Tehsil, the said Department of Rural Development or Panchayati Raj or Housing Corporation Limited, or any other department in charge of PMAY-G under the State Government or Union Territory administrations may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, subsidy under the PMAY-G shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) Job Card issued under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme;

(ii) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(iii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph 2 of paragraph 2, and

(b) (i) the voter identity card issued by the Election Commission of India; or (ii) Ration Card; or (iii) Bank passbook with photo; or (iv) the Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (v) the Passport, or (vi) the driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or (vii) the certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (viii) the Kisan Photo passbook; or (ix) any other document specified by the State Government or UT administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government or UT Administration for that purpose.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Department of Rural Development or Panchayati Raj or Housing Corporation Limited, or any other department in charge of PMAY-G under the State Government or Union Territory administrations, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(2) Wide publicity through media and individual notices through the Block offices or Gram Panchayat or Housing Corporation Limited shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centers available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(3) In case, beneficiaries are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the respective Block, Taluk or Tehsil, the Department of Rural Development or Panchayati Raj or Housing Corporation

Limited, or any other department in charge of PMAY-G under the State Government or Union Territory administrations are required to create enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries can be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, such as, address, mobile number with their Block Office or Gram Panchayat or Housing Corporation Limited or through the web portal provided for the purpose.

3 This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F.No. J-11012/02/2016-RH]

PRASANT KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

(52)

392

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938

No. 410] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

का.आ. 453(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत का ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् डीडीयू-जीकेवाई कहा गया है), कौशल प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम, जो ग्रामीण गरीब युवा के स्थायी नियोजन पर बल देता है, केंद्रित है, का प्रशासन कर रहा है ;

और डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदे भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय में सम्मिलित हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है :

1. (1) डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

(2) डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदे प्राप्त करने का

इच्छुक है, को 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा और इस हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों) की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने के लिए प्रभारी विभाग, जो राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन में किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे और जो अभी तक आधार संख्यांओं में नामांकित नहीं हुए हैं और यदि उनके आस-पास में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों में डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने के लिए प्रभारी विभाग, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगी या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा ।

परंतु ऐसे व्यष्टि को, आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, डीडीयू-जीकेवाई के अधीन सहायिकी निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र ; या (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्यांक ; या (iii) पासपोर्ट ; या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति ; या (v) तहसीलदार या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी, ऐसे सदस्य के फोटो सहित, पहचान प्रमाणपत्र ; या (vi) पोस्ट विभाग द्वारा जारी पता कार्ड, जिसमें नाम और फोटो लगा हो ; या (vii) बैंक पासबुक ; या (viii) किसान फोटो पहचान पत्र ; या (ix) राशन कार्ड ; या (x) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु और यह कि उपरोक्त दस्तावेजों को राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने के लिए प्रभारी विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा चैक किया जाएगा ।

2. डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधा रहित रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने के लिए प्रभारी विभाग द्वारा सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

(i) डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या योजना लागू करने वाले अभिकरणों के माध्यम से डीडीयू-जीकेवाई लागू करने के लिए प्रभारी विभाग द्वारा व्यापक प्रचार करके डीडीयू-जीकेवाई के अधीन आधार संख्यांक की अपेक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें यह सलाह दी जा सकेगी कि वे अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में नामांकन करवाएं, यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ii) डीडीयू-जीकेवाई के अधीन फायदाग्राहियों के आसपास, जैसे ब्लाक या तालुका या तहसील नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने के लिए प्रभारी विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और फायदाग्राहियों से अपने पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ अपने नामों को पैरा 1 के उपपैरा (3) के खंड (ख) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरों के साथ योजना लागू करने वाले अभिकरणों या राज्य सरकारों के डीडीयू-जीकेवाई के प्रभारी नोडल अभिकरण या ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेब पोर्टल को देकर नामाकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. जे-17060/59/2015-डीडीयू-जीकेवाई]

अल्का उपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2017

S.O. 453(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, in the Government of India, Ministry of Rural Development is administering the DeenDayalUpadhyayaGrameenKaushalyaYojana (hereinafter referred to as the DDU-GKY), the skill training and placement programme is focused on the rural poor youth with emphasis on sustainable employment;

And whereas, the benefits under DDU-GKY involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1 (1) An individual eligible to receive benefits under the DDU-GKY shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All individuals eligible to receive benefits under the DDU-GKY, who do not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the DDU-GKY Shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department in charge of DDU-GKY implementation in the State Government or Union territory Administrations which requires an individual to furnish proof of possession of Aadhaar number and shall ensure Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar number and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity, the Department in charge of DDU-GKY implementation in the State Government or Union territory Administrations may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) (hereinafter referred to as the UIDAI) or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar number is assigned to the beneficiary under the DDU-GKY, the benefits under the DDU-GKY shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (ii) of paragraph 2; and

(b) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act. 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts, or (vii) Bank Photo Passbook; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Ration Card; or (x) any other document as specified by the State Government or Union territory Administrations :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department in charge of DDU-GKY implementation in the State Government or Union territory Administrations for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the DDU-GKY to beneficiary the Department in charge of DDU-GKY implementation in the State Government or Union territory Administrations shall make all the required arrangements including the following, namely.-

(i) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of DDU-GKY implementation in the State Government or Union territory Administrations, or Project Implementing Agencies, shall be given to beneficiaries under the DDU-GKY to make them aware of the requirement of Aadhaar number under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas. in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.

(ii) In case, beneficiaries are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the vicinity such as Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of DDU-GKY implementation in the State Government or Union territory Administrations are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries under the DDU-GKY may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the clause (b) to first proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1 with their Project Implementing Agencies or State Nodal Agency in- charge of DDU-GKY or through the web portal of Ministry of Rural Development.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the all States and Union territories Administrations except the States of Assam. Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[J-17060/59/2015-DDU-GKY]

ALKA UPADHAYAYA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.02.20 11:34:25 +05'30'

53

396

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2017/माघ 19, 1938

No. 336] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2017/MAGHA 19, 1938

उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2017

का.आ.371(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति को पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ,

और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (जिसे इसमें इसके पश्चात् टीपीडीएस कहा गया है) के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनएफएसए कहा गया है) के सुसगत उपबंधों को लागू करने तथा उक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन जारी खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण नियम, 2015 के नकद अंतरण करने में अंतर्वलित व्यय भारत की संचित निधि से प्रोद्भूत होंगे;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

(1) एनएफएसए के अधीन राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण को प्राप्त करने के पात्र और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी वैध राशन कार्ड रखने वाली सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वह आधार सख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे। कोई नए पात्र हितग्राही जो एनएफएसए के अधीन राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य के नकद अंतरण राजसहायता को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा चुना गया है से भी यह अपेक्षित है कि वह अनुवर्ती खंड में यथा वर्णित आधार सख्यांक को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करें।

(2) एनएफएसए के अधीन राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य राजसहायता के नकद अतरण को प्राप्त करने के हकदार सभी ऐसे पात्र हितग्राही जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामाकित नहीं है, लेकिन राजसहायता प्राप्त अनाज या एनएफएसए के अधीन राजसहायता के नकद अतरण प्राप्त करने के इच्छुक है से अपेक्षित है कि वह 30 जून, 2017 तक आधार नामाकन के लिए आवेदन कर दे, परंतु उक्त अधिनियम धारा 5 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसे व्यक्ति किसी आधार नामांकन केन्द्र (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची पर उपलब्ध है) पर जाकर आधार के लिए नामांकन करा सकते है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारें या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन खाद्य विभाग जिसे किसी व्यक्ति को आधार देने की अपेक्षा है, प्रसुविधा देने वाले के लिए नामांकन सुविधाओं के प्रस्ताव का आधार देने की अपेक्षा, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और आधार नामांकन केन्द्र क्रमशः ब्लॉक, तालुक, तहसील में अवस्थित नहीं है की दशा में, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन खाद्य विभाग द्वारा यूआईडीएआई या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों या उनके द्वारा यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार बनने के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाना अपेक्षित है।

परंतु यह कि एनएफएसए के अधीन जब तक किसी व्यक्ति को आधार संसूचित किया जाता है तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने के अध्यधीन राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण की सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी; अर्थात:--

(क) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड

(ख) (i) जबकि वह नामांकित है, उनके आधार नामांकन पहचान स्लिप या

(ii) पैरा 2 में उपपरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ग) (i) भारत निर्वाचन आयोग जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) राशन कार्ड, या (iii) फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या (iv) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके आधिकारिक पत्र पर जारी उसके फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या (x) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अभिहित प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2 फायदाग्राहियों को एनएफएसए के अधीन सुविभाजनक और निर्बाध राजसहायता प्राप्त अनाज देना या खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण उपलब्ध कराने के लिए या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, करेंगे, अर्थात्:--

(1) जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय या सस्ते गल्ले की दुकान आदि के माध्यम से फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, मीडिया से विस्तृत प्रचार और जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय या सस्ते गल्ले की दुकान आदि के माध्यम से व्यक्तियों को सूचना देनी होगी और उन्हें यह सलाह भी देनी होगी कि यदि वे पूर्व में नामांकित नहीं है तो वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर अपने आधार के लिए नामांकन कराएं। स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध करानी होगी।

(2) ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण, फायदाग्राहियों के सहायकी खाद्य अनाज या एनएफएसए अधीन खाद्य सहायकी के नकद अंतरण के लिए नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, खाद्य विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर यूआईडीएआई या विद्यमान यूआईडीएआई के रजिस्ट्रारों के सहयोग से या उनके द्वारा यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार बनने पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य स्थानों, उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से या अपनी सभी सस्ते गल्ले की दुकानों से अपने पते, मोबाइल संख्या के साथ अपने नामों को देकर सहायकी खाद्य अनाज या एनएफएसए अधीन खाद्य सहायकी के नकद अंतरण के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3 यह अधिसूचना उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी।

4. राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन पात्र परिवार के व्यष्टिक हितग्राही द्वारा दिए आधार संख्यांक को रखने के सबूत की रसीद से तीस दिन में ऐसे परिवार को जारी राशन कार्ड या खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण के लिए बैंक के खाते से आधार संख्यांक लिंक करेगी।

5 ऊपर पैरा में किसी बात के होते हुए भी परिवार में ऐसे सभी सदस्यों को आधार संख्यांक अनुदेशित न होने की दशा में पात्र राशनकार्ड में सूचीबद्ध पात्र परिवार हकदार राजसहायता प्राप्त अनाज की समस्त मात्रा या एनएफएसए को समीप खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण को प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि परिवार का कोई सदस्य राशन कार्ड के माध्यम को ऊपर खंडों में निर्दिष्ट दशाओं में पूरा करता है।

[फा. सं. 9(2)/2016-पीडी II]

दीपक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food And Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi the 8th February, 2017

S.O. 371(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, implementation of relevant provisions of the National Food Security Act, 2013 (hereinafter referred to as NFSA), through Targeted Public Distribution System (hereinafter referred to as TPDS) and Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 issued under the said National Food Security Act, 2013, involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India,

Now, therefore in pursuance of the provisions of the Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government hereby notifies the following namely: --

1. (1) An individual eligible to receive the subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA and having valid Ration Cards issued by State Governments or Union Territory Administrations is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication. Any new eligible beneficiary who is selected by State Governments or Union Territory Administrations for receiving subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA is also required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication as stated in ensuing clauses.

 (2) All such eligible beneficiaries entitled to receive subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA, who do not possess the Aadhaar Number or, are not yet enrolled for Aadhaar, but are desirous of availing subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act. All such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

 (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the State or Union Territory Administration Food Department which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the State or Union Territory Food Department is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the UIDAI or the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar themselves :

 Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiaries of subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA, subsidy or benefits under NFSA shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely :-

 (a) Ration Card issued by the State or Union Territory Administration Food Department, and

 (b) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip or

 (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2, and

 (c) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook, or (viii) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration :

 Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State/UT Food Department for that purpose.

2 In order to provide convenient and hassle free subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA to beneficiaries, the State or Union Territory Administration Food Department shall make all the required arrangements including following, namely :-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the district food supply office or fair price shops, etc., shall be given to beneficiaries of subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the

near vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the State or Union Territory Food Department are required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the UIDAI or the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar themselves and the beneficiaries of subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number with Ration Card number and other details specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with their fair price shop owners or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

4 The State Government or Union Territory Administration shall within a period of thirty days from the receipt of proof of possession of Aadhaar number furnished by individual beneficiaries of the eligible household, link the Aadhaar number with the Ration Card issued to such household or with Bank Account for Cash Transfer of Food Subsidy.

5 Notwithstanding anything in above paragraphs, any member of eligible household listed in the Ration Card shall be entitled to receive the entire quantity of entitled subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA, if any one member of the household in the Ration Card fulfils the identification conditions mentioned in above clauses, in case Aadhaar number is not yet assigned to all such members of the household.

[F.No. 9(2)/2016-PD II]

DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.13 15:40:16 +05'30'

400

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938
No. 357] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2017

का. आ. 393 (अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गर्भवती स्त्रियों के सुरक्षित प्रसव के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन सुरक्षित मातृत्व स्कीम के रूप में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) का समर्थन कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन देश भर में फैले हुए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या प्राइवेट अधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है और इसमें पात्र गर्भवती स्त्रियों को सशर्त नकद सहायता दी जाती है ;

और, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या प्राइवेट अधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा प्रस्थापित पूर्वोक्त जननी सुरक्षा योजना में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

1. (1) जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति से उसके पास आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी ।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता प्राप्त करने के लिए हकदार सभी ऐसे पात्र फायदाग्राहियों से जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु जो जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता का उपभोग करने के इच्छुक है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा होगी, परंतु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हों और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से, जो किसी व्यक्ति से आधार देने की अपेक्षा करता है, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा है और यदि उनके ब्लॉक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभाग से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनाकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है :

परन्तु जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के फायदाग्राही व्यक्ति के लिए आधार नियत किए जाने तक, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, स्कीम के अधीन फायदे दिए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र ; या (ii) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्यांक कार्ड ; या (iii) पासपोर्ट , या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति ; या (v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके आधिकारिक पत्र पर उसके फोटो सहित जारी पहचान प्रमाणपत्र ; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड , या (vii) बैंक फोटो पासबुक ; या (viii) किसान फोटो पासबुक ; या (ix) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्ड ; या (x) राशन कार्ड ; या (xi) सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र , या (xii) कोई अन्य दस्तावेज, जो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा उस प्रयोजन के लिए जिम्मेदार किसी अभिहित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध नकद सहायता उपलब्ध कराने के लिए, जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेगा, अर्थात् :—

(1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के फायदाग्राहियों के लिए, स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से तथा राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कार्यालयों के माध्यम से और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या प्राइवेट अधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाओं द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा, और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 मार्च, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी । उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं तो राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन जननी सुरक्षा योजना का भारसाधक किसी अन्य विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा जहां जननी सुरक्षा योजना के अधीन फायदाग्राहियों से, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार-कल्याण विभाग या सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं/प्राइवेट अधिकृत सुविधाओं के कार्यालय में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. जेड.14018/33/2012-जेएसवाई]

मनोज झालानी, संयुक्त सचिव

402

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2017

S.O. 393 (E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas the Ministry of Health and Family Welfare in the Government of India is supporting Janani Suraksha Yojana (JSY) as a safe motherhood scheme under National Health Mission, for promotion of safe delivery among pregnant women, which is implemented by the State Governments and Union Territory Administrations through the government health facilities or private accredited health facilities spread across the country and it offers conditional cash assistance to eligible pregnant women;

And whereas, the aforesaid Janani Suraksha Yojana offered at Government health facilities or private accredited health facilities involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as Act), the Central Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana is, hereby, required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission, who does not possess the Aadhaar Number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana, are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 31/03/2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Health and Family Welfare responsible for implementation of the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case, there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department responsible for implementation of the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission in the State Government or Union territory Administration is required to provide enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individual beneficiary of the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana, benefits under the scheme shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:

(a) (i) If she has enrolled her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department, or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Bank Photo Passbook, or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Cards; or (x) Ration Cards; or (xi) Employee Photo Identity Card issued by Government or Public Sector Undertakings; or (xii) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State or Union Territory Administration responsible for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission to beneficiaries, the State Government or Union territory Administration responsible for providing the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana shall make all the required arrangements including following, namely:—

(1) Wide publicity through media and individual notices through the offices of Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration and through Government health facilities or private accredited health facilities, shall be given to beneficiaries of cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas by 31/03/2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the nearby vicinity such as the Block or Taluka or Tehsil, the Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration, or any other department in charge of Janani Suraksha Yojana under the State Government or Union Territory Administration is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries under the Janani Suraksha Yojana may register their request for enrolment for Aadhaar by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the office of Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration or at Government Health facilities/private accredited Health facilities or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territory Administration except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F No. Z 14018/33/2012-JSY]

MANOJ JHALANI, Jt. Secy

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.13 23:01:24 +05'30'

55

404

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938

No. 627] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ. 698(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, तथा सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे ही उनकी हकदारियों को प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने में विभिन्न दस्तावेज देने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ढांचे में यथा उपबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रमों तथा पहलों का समर्थन कर रहा है तथा समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए उस स्कीम में स्वैच्छिक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अर्थात् प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को शामिल किया गया है।

और प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) (जिन्हे इसमे इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए प्रसुविधाओं के रूप में निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का संदाय किया जाता है जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्विलित है।

अत: अब केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है अर्थात्:-

(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियो से उनके पास आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए हकदार किसी ऐसे पात्र फायदाग्राही से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने आधार संख्यांक के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, किंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा होगी परंतु, वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक संबंधित विभाग से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, वह ऐसे फायदाग्राही के लिए, जिसके पास अभी तक आधार संख्यांक नहीं है आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के, इस स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बन कर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए।

परंतु फायदाग्राही का आधार नियत किए जाने तक ऐसे फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित पहचान-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:

(क) (i) यदि उसने नामांकन करवा लिया हो तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-कार्ड; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा एक फोटो सहित पत्र पर जारी किया गया फोटो पहचान प्रमाण-पत्र; या

(vi) राशन कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) बैंक फोटो पासबुक; या

(ix) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप में प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मे, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति स्कीम के फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया के माध्यम से और स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य संबद्ध प्राधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और 31 मार्च 2017 तक उनके क्षेत्र मे उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही, ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आस-पास के निकटतम क्षेत्र में नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण, आधार नामांकन कराने मे असमर्थ है तो, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की आशा की जाती है और फायदाग्राहियों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संबन्धित पदधारियों को या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जेड-14018/1/2017-एमसीएच(जेएसवाई)]

मनोज झालानी, संयुक्त सचिव

406

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O. 698(E).– Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Health and Family Welfare in the Government of India is supporting multiple programmes and initiatives under National Health Mission (hereinafter referred to as Scheme) to achieve goals as provided in the National Framework for Implementation of the Scheme, and that the Scheme has introduced voluntary community health workers that is Accredited Social Health Activists (ASHA) to form a critical link between the community and the public health system;

And whereas, performance based incentives are paid as benefits to Accredited Social Health Activists (ASHA) *hereinafter referred to as the beneficiaries*) for the work performed by them and which involve recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Individuals eligible to receive the benefits under the Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An eligible beneficiary entitled to receive benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 31st March, 2017, provided she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for such beneficiary who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Development Authority of India or by itself becoming Unique Identification Development Authority of India Registrar

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiary, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) If enrolled, the Aadhaar Enrolment ID slip, or

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in Paragraph 2 d; and

(b) any of the following documents

(i) Voter ID Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Driving Licence issued by Licencing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted Officer or Tehsildar on an official letter head, or

(vi) Ration Card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Bank Photo Passbook; or

(ix) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of implementation of the Scheme through Primary Health Centres (PHCs), Community Health Centres (CHCs), district hospitals and other concerned authorities shall be given to the beneficiaries of the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st March 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) shall be made available to them

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other necessary details with the concerned officials of the Department of Health and Family Welfare or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. Z-14018/1/2017-MCH (JSY)]

MANOJ JHALANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.21 15:56:09 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938
No. 626] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ 697(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, तथा सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे ही उनकी हकदारियों को प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने मे विभिन्न दस्तावेज देने की आवश्यकता को समाप्त करता है,

और भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ढांचे मे यथा उपबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रमों तथा पहलो का समर्थन कर रहा है तथा स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्कीम के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में संविदात्मक आधार पर मानव संसाधन के विभिन्न प्रवर्गों, जिसके अंतर्गत चिकित्सा, परा-चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मचारीवृंद भी हैं, को लगाया गया है।

और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों मे के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्कीम के अधीन लगाए गए संविदात्मक कर्मचारीवृंद को प्रत्येक मास उनके कार्य-निष्पादन के लिए प्रसुविधा के रूप में पारिश्रमिक का संदाय किया जाता है जिसमे भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्विलित है।

अतः अब केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है अर्थात्—

(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों से उनके पास आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाए प्राप्त करने के लिए हकदार किसी ऐसे पात्र फायदाग्राही से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने आधार संख्यांक के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, किंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा होगी परंतु, वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक संबंधित विभाग से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, वह ऐसे फायदाग्राही के लिए, जिसके पास अभी तक आधार संख्यांक नहीं है आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के, इस स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बन कर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए।

परंतु फायदाग्राही का आधार नियत किए जाने तक ऐसे फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाए निम्नलिखित पहचान-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:

(क) (i) यदि उसने नामांकन करवा लिया हो तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उनके अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-कार्ड, या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा एक शासकीय पत्र पर जारी किया गया फोटो पहचान प्रमाण-पत्र; या

(vi) राशन कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) बैंक फोटो पासबुक; या

(ix) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से प्रसुविधाए उपलब्ध कराने के लिए में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात् —

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति स्कीम के फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया के माध्यम से और स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य संबद्ध प्राधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और 31 मार्च 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर स्वय का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही, ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आस-पास के निकटतम क्षेत्र में नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण, आधार नामांकन कराने में असमर्थ है तो, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से सुविधाजनक स्थानो पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की आशा की जाती है और फायदाग्राहियों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सबन्धित पदधारियों को या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जेड-14018/1/2017-एमसीएच(जेएसवाई)]

मनोज झालानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O. 697(E).– Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Health & Family Welfare in the Government of India is supporting multiple programmes and initiatives under National Health Mission (hereinafter referred to as Scheme) to achieve goals as provided in the National Framework for Implementation of the Scheme, and that for the effective implementation of the Scheme, various categories of human resources, which include medical, paramedical and non-medical staff, have been engaged on contractual basis in the States and Union territory Administrations under the Scheme;

And whereas, the contractual staff *(hereinafter referred to as the beneficiaries)* engaged under the Scheme by e Department of Health and Family Welfare in the States and Union territory Administration are paid remuneration for the work performed by them every month as benefit, which involve recurring expenditures from the Consolidated Fund of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Individuals eligible to receive the benefits under the Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An eligible beneficiary entitled to receive benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 31st March, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for such beneficiary who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Development Authority of India or by itself becoming Unique Identification Development Authority of India Registrar.

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiary, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to the production of the following documents, namely:

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in Paragraph 2d; and

(b) any of the following documents:-

(i) Voter ID Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Driving License issued by Licencing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vi) Ration Card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Bank Photo Passbook; or

(ix) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of implementation of the Scheme through Primary Health Centres (PHCs), Community Health Centres (CHCs), district hospitals and other concerned authorities shall be given to the beneficiaries of the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st March 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other necessary details with the concerned officials of the Department of Health and Family Welfare or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. Z-14018/1/2017-MCH (JSY)]

MANOJ JHALANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/माघ 28, 1938

No. 453] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

पंचायती राज मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

का.आ. 505(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज संस्थाओं को आधुनिकता, पारदर्शिता और दक्षता के प्रतीक के रूप में समपरिवर्तित करने के उद्देश्य से ई-पंचायत मिशन पद्धति परियोजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् ई-पंचायत कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है और इस कार्यक्रम के मूल संघटकों में से एक ई-पंचायत उपयोजनों के संबंध में पंचायत कृत्यकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है;

ई-पंचायत मिशन पद्धति परियोजना के अधीन पूर्वोक्त प्रशिक्षण में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय किया जाना अंतर्वलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात :-

1. (1) ई-पंचायत के अधीन प्रशिक्षण का फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) ई-पंचायत के अधीन प्रशिक्षण का फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार ऐसे सभी पात्र फायदाग्राहियों से, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु ई-पंचायत के अधीन

प्रशिक्षण का फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, यह अपेक्षित है कि वे तारीख 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करें. परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हों और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाईट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग, जो किसी व्यष्टि से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील के आस-पास कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, वहां राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग, यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा:

परंतु उस समय तक जब तक ई-पंचायत के अधीन प्रशिक्षण फायदे के फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते ई-पंचायत के अधीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ख) (i) नीचे पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (iii) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी ऐसे सदस्य का कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित; या (vii) डाक विभाग द्वारा जारी ऐसा पता कार्ड, जिस पर नाम और फोटो हो; या (viii) बैंक फोटो पासबुक; या (ix) किसान फोटो पासबुक; या (x) राशन कार्ड या (xi) एमजीएनआरईजीएस कार्ड; या (xii) किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ई-पंचायत प्रशिक्षण के फायदाग्राहियों के लिए सुविधाजनक और निर्बाध हकदारियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:-

(1) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों या ब्लॉक पचायतों आदि के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ई-पंचायत के फायदाग्राहियों को मीडिया के माध्यम से और व्यष्टिक सूचनाएं देकर उनके बीच व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें निकटतम आधार नामांकन केंद्रो मे तारीख 30 जून, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रो की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ई-पंचायत प्रशिक्षण के फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास जैसे कि ब्लॉक या तालुक या तहसील में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा पंचायती राज मत्रालय के अधीन ई-पंचायत प्रशिक्षण के फायदाग्राही, अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर, ग्राम पंचायत या ब्लॉक पंचायत या इस प्रयोजन के लिए वैब पोर्टल पर आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होंगी।

[फा. सं. एन-19011(16)/1/2017-ई-पंचायत]

संजीव कुमार पटजोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

NOTIFICATION

New Delhi: the 17th February, 2017

S.O. 505(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Panchayati Raj (hereinafter referred to as MoPR) in the Government of India is administering e-Panchayat Mission Mode Project (hereinafter referred to as e-Panchayat) with an aim to transform the Panchayati Raj Institutions into symbols of modernity, transparency and efficiency, and one of the core components of the programme is to give training to panchayat functionaries on e-Panchayat applications;

And whereas, the aforesaid training under e-Panchayat Mission Mode Project involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible to receive training benefit under e-Panchayat is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive training benefit under e-Panchayat, who do not possess the Aadhaar Number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing training benefit under e-Panchayat, are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the near vicinity such as Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar.

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiaries of training benefit under e-Panchayat, training under e-Panchayat shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:

(a) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(b)(i) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2 below; and

(ii) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (iii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iv) Passport; or (v) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Certificate of Identity having photo issued by a Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vii) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (viii) Bank Photo Passbook; or (ix) Kisan Photo Passbook, or (x) Ration Card; or (xi) MGNREGS Card, or (xii) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free training benefit to the beneficiaries under e-Panchayat under MoPR, the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration shall make all the required arrangements including following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration, through Gram Panchayats or Block Panchayats, etc., shall be given to beneficiaries of e-Panchayat under MoPR to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of training under e-Panchayat under MoPR are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the near vicinity such as the block or taluka or tehsil, the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries of training under e-Panchayat under MoPR may register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with their Gram Panchayat or Block Panchayat or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. N-19011(16)/1/2017-e-Panchayat]

SANJEEB KUMAR PATJOSHI, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.02.23 15:22:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(58)

416

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2017/फाल्गुन 8, 1938
No. 567] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2017/PHALGUNA 8, 1938

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(अनुसंधान और विकास प्रभाग, पीपी-विंग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

का.आ. 633(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियो को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार से किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय सेक्टर स्कीम, अर्थात **जल सेक्टर में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम** (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है और ऐसे कनिष्ठ अध्येता, ज्येष्ठ अध्येता, अनुसंधान सहकारी और अन्य कर्मचारीवृंद को, जिन्हें अनुसंधान परियोजनाओं के अधीन भाड़े पर लिया गया है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) अध्येतावृत्ति और पारिश्रमिक (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) का संदाय किया जाता है;

और, यह प्रसुविधा विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के जल संसाधन या सिंचाई विभागों और गैर-सरकारी संगठनों में के शिक्षाविदों या विशेषज्ञो (अन्वेषक) को अनुदान के रूप में दी जाती है;

और, स्कीम के अधीन अध्येतावृत्ति और पारिश्रमिक या अनुदान के रूप में प्रसुविधा में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है अर्थात:-

1. (1) स्कीम के अधीनप्रसुविधाएं प्राप्त करने वाले किसी पात्र व्यक्ति से उसके पास आधार संख्यांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करनेया आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार ऐसे सभी पात्र फायदाग्राहियों से, जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिन्होंने अभी आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक हैं, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्तियों को आधार के लिए नामांकन हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के नियम 12 के अनुसार मंत्रालय या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम कार्यान्वयन का प्रभारीऐसा संबंधित विभाग से, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, कराएगा जिन्होंने आधार के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का स्कीम के कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करके अथवा यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुगम स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी:

परन्तु फायदा ग्राहियों का आधार नियत किए जाने तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रखते हुए प्रसुविधा दी जाएगी अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; अथवा

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन हेतु उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) बैंक पासबुक फोटो सहित;या (ii) मतदाता पहचान कार्ड;या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारीचालन अनुज्ञप्ति;या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर फोटो सहित जारी ऐसे व्यक्ति की पहचान का प्रमाणपत्र;या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) संबंधित मत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच, मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के स्कीम के कार्यान्वयन प्रभारी संबंधित विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधा देने के लिए मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का स्कीम के कार्यान्वयन का प्रभारी संबंधित विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है अर्थात:-

(1) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने हेतु मीडिया और व्यक्तिगत सूचना के माध्यम से व्यापक प्रचार और यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें 31

मार्च, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्र में नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी तथा उन्हें स्थानीय तौर पर उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (www.uidai.gov.in) की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) यदि समीपी क्षेत्र अर्थात्ब्लाकया तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार नामांकन कराने में समर्थ नहीं हैं तो स्कीम के कार्यान्वयन का प्रभारी संबंधित विभाग से, उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा का सृजन करने की अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे अपना नाम, पता, मोबाइल नं. तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर संबंधित विभाग या उसके कार्यान्वयन अभिकरण अथवा इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना आवेदन रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. 10/18/2016-आर एण्ड डी/315-317]

संजय कुंडू, संयुक्त सचिव (पीपी)

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(Research and Development Division, PP-Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2017

S.O. 633(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation in the Government of India is administering the Central Sector Scheme namely, **Research and Development Programme in Water Sector** (hereinafter referred to as the Scheme) and fellowship and remuneration (hereinafter referred to as the benefit) are paid to Junior Research Fellow, Senior Research Fellow, Research Associate and other staff who are hired (hereinafter referred to as beneficiaries) under the research projects,

And, whereas, the benefit is provided by way of grants to academicians or experts (investigators) in the Universities, IITs, recognised Research and Development laboratories, Water Resources or Irrigation Departments of the Central and State Governments and Non Government Organisations;

And, whereas, the benefits in the form of fellowship and remuneration or grants under the Scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An Individual eligible to receive the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive benefits under the Scheme, who do not possess the Aadhaar Number or, are not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Scheme shall be required to make application for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department through its implementing agency, in charge of implementation of the Scheme in the Ministry or State Government or Union territory administration, which requires an Individual to furnish Aadhaar is required to

offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of Scheme in the Ministry or State Government or Union territory Administration through its implementing agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, benefit under the Scheme shall be given to such Individual subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip, or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank Passbook with photograph; or (ii) Voter Identity Card, or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card, or (v) Passport, or (vi) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of Identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head, or (viii) Kisan Photo Passbook, or (ix) any other documents specified by the concerned Ministry or State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the Ministry or State Government or Union territory administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the Ministry or State Government or Union territory Administration through it implementation agency shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st March, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres (list available of www.uidai.gov.in) shall be made available to them

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme through its implementation agencies, etc., is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned Department or its implementaion agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir

[F. No. 10/18/2016-R&D/315-317]

SANJAY KUNDU, Jt. Secy. (PP)

RAKESH SUKUL

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(59)

4120

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938
No. 671] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(राष्ट्रीय जल मिशन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.आ.746(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार से किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) विभिन्न केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संगठनों, जल और भूमि प्रबंध संस्थाओं, स्वयं सेवी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, अनुसंधान और विकास संस्थानों या विश्वविद्यालयों आदि (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) को सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर, केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में राष्ट्रीय जल मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन कर रहा है;

और, स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यान्वयन अभिकरण निम्नलिखित क्रियाकलाप अर्थात् जल सेक्टर हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करना, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण संबंधी क्रियाकलाप, जल उपयोग दक्षता संबंधी मूलभूत अध्ययन, आरम्भिक या प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन और संबंधित क्रियाकलाप कर रहे हैं,

और, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायता-अनुदान या वित्तीय सहायता का उपयोग, व्यक्ति संसाधनों, प्रशिक्षणार्थी भागीदारों, कार्यान्वयन अभिकरणों के कर्मचारीवृंदों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारीवृंदों, पंचायती राज संस्थाओं, जल प्रयोक्ता संघों, आवासीय कल्याण संघों, औद्योगिक संघों, तथा अन्य संगठनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को प्रशिक्षण देने या प्रशिक्षण सामग्री या पारिश्रमिक या मानदेय या सेवाओं या अन्य प्रसुविधाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) के लिए किया जाता है,

और, स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रसुविधाओं पर भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है अर्थात्:-

1 (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने वाले किसी पात्र व्यक्ति से उसके पास आधार सख्यांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास आधार सख्यांक नहीं है या जिसने अभी आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 30.09.2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्तियों को आधार के लिए नामांकन हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के नियम 12 के अनुसार मंत्रालय से, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, स्कीम के अधीन अनुदान प्राप्त करने वाले अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने आधार के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी और यदि उनके ब्लाक या तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करके अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुगम स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी.

परन्तु फायदाग्राही का आधार नियत किए जाने तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रखते हुए फायदा दिया जाएगा अर्थात.-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, अथवा

(ii) नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन हेतु उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) (i) मतदाता पहचान कार्ड , या (ii) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) राशन कार्ड; या (v) कर्मचारी का सरकारी पहचान पत्र, या (vi) बैंक/डाकखाने की पासबुक फोटो सहित, या (vii) मनरेगा कार्ड; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति, या (x) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उनके आधिकारिक पत्र पर फोटो सहित जारी ऐसे व्यक्ति की पहचान का प्रमाणपत्र; या (xi) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच, मंत्रालय उस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(4) मंत्रालय से सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा कार्यान्वयन अभिकरण से यह अपेक्षित होगा कि वह इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करे कि उसके सभी फायदाग्राहियों, जिन पर सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता खर्च की जाती है, ने उनके पास आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है या आधार अधिप्रामाणन प्रक्रिया पूरी की है या पैरा 1 के उप पैरा (2) और उपपैरा (3) की अपेक्षा का अनुपालन किया है।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित मंत्रालय सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है अर्थात:-

(क) अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने हेतु मीडिया और व्यक्तिगत सूचना के माध्यम से व्यापक प्रचार और यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें 30.09.2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्र में नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय तौर पर उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) यदि, समीपी क्षेत्र अर्थात् ब्लाक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार नामांकन कराने में समर्थ नहीं हैं तो संबंधित मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा का सृजन करने की अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकेगा कि वे अपना नाम, पता, मोबाइल नं तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर कार्यान्वयन अभिकरण के संबंधित पदधारी या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना आवेदन रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3 यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा.सं. एम-96016/1/2016-एनडब्ल्यूएम]

संजय कुंडू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(National Water Mission)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O.746(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (hereinafter referred to as Ministry) in the Government of India is implementing the National Water Mission (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme by providing Grant-in-Aid or Financial Assistance to various Central and State Government organizations, Water and Land Management Institutes, Voluntary Organizations, Non-Governmental Organizations, Research and Development Institutes or Universities, etc. (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, to achieve the objectives of the Scheme, the Implementing Agencies do the following activities viz. preparation of State Specific Action Plans for Water Sector, Human Resource Development and Capacity Building activities, Baseline Studies for Water Use Efficiency, implementation of pilot or demonstration projects and related activities;

And whereas, the Grant-in-Aid or Financial Assistance provided by the Ministry is used by the Implementing Agencies for providing training or training materials or remuneration or honorarium or services or other benefits (hereinafter referred to as benefits) to the resource persons, trainee participants, staff of Implementing agencies, Central and State Government Staff, Panchayati Raj Institutions, Water Users Associations, Residents Welfare Associations, Industrial Associations, and other organizations (hereinafter referred to as beneficiaries),

And whereas, the benefits offered under the Scheme involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An Individual eligible to receive the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An Individual entitled to receive the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the Benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 30-9-2017, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its implementing agencies receiving the grants under the scheme, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the Beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its implementing agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, Benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she or he has enrolled her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter Identity Card, or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card, or (vi) Bank / Post office Passbook with Photo (vii) MGNREGS card or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (xi) Any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by Ministry for that purpose.

(4) The Implementing Agency receiving Grant-in-aid or Financial Assistance from the Ministry is required to furnish proof that all their beneficiaries on whom the Grant-in-aid or Financial Assistance is spent, have furnished proof of possession of Aadhaar or have undergone Aadhaar authentication or have complied to requirement in sub-para (2) and (3) of paragraph 1.

2 In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Ministry shall make all the required arrangements including the following, namely.-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given through its Implementing Agencies to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30-9-2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries of the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Ministry through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir

[F.No M-96016/1/2016-NWM]

SANJAY KUNDU, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.03.06 23:18:37 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 902] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939
No. 902] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का.आ. 1013(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और हिताधिकारियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण स्कीम (इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) के सूचना, शिक्षा एवं संसूचना संघटक के अधीन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार राशि प्रदान करके विद्यालय के बालकों (छठी, सातवीं और आठवी कक्षा) के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और अठारह वर्ष की आयु तक के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता कार्यान्वित कर रहा है;

और, जल ससाधन, नदी विकास और गगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड जो अपने क्षेत्रीय कार्यालयों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के साथ स्कीम को कार्यान्वित करता है, को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का उपयोग प्रतियोगिताओं के विजेताओं (जिसे इसमें इसके पश्चात हिताधिकारी कहा गया है) के बीच पुरस्कार राशि और आनुषंगिक प्रभारों (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) के वितरण के लिए किया जाता है;

और, स्कीम के अधीन दी जाने वाली प्रसुविधाओं में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है अर्थात:-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाछा करने वाले किसी व्यक्ति से उसके पास आधार संख्यांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी;

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाए प्राप्त करने के हकदार ऐसे हिताधिकारी से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 31 अगस्त, 2017 तक

आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्तियों को आधार के लिए नामांकन हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) जाना होगा,

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के नियम 12 के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, अपने कार्यान्वयन अभिकरण, जो किसी व्यक्ति से आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, के माध्यम से और ऐसे हिताधिकारियों के लिए, जिन्होंने आधार के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करके अथवा यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध करा सकेगा ।

परन्तु व्यक्तियों का आधार संख्यांक समनुदेशित किए जाने के समय तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज करने के अधीन रहते हुए प्रसुविधा दी जाएगी अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन हेतु उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) बैंक पास बुक या डाकघर की पासबुक फोटो सहित; या (ii) राशन कार्ड, या (iii) पासपोर्ट, या (iv) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर फोटो सहित जारी ऐसे व्यक्ति की पहचान का प्रमाणपत्र; या (v) जन्म प्रमाणपत्र या (vi) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2 स्कीम के अधीन हिताधिकारियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधा देने के लिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात:-

(क) स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में हिताधिकारियों को जागरूक बनाने हेतु मीडिया और व्यक्तिगत सूचना के माध्यम से व्यापक प्रचार और यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें 31 अगस्त, 2017 तक उसके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्र में नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी तथा उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) यदि निकट आस पास क्षेत्र जैसे ब्लाक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण स्कीम के अधीन हिताधिकारी आधार नामांकन कराने में समर्थ नहीं हैं तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधा का सृजन करने की अपेक्षा की जाती है और हिताधिकारियों से अनुरोध किया जाए कि वे अपना नाम, पता, मोबाइल नं. तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर जल समाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के संबंधित पदाधिकारियों या उसके कार्यान्वयन अभिकरण अथवा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना आवेदन पंजीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में प्रभावी होगी।

[फा. स. के-11025/1/2017-आईईमी]

अखिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES,RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

S.O. 1013(E).—Whereas the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation in the Government of India is implementing Painting Competition for School Children (of the 6th, 7th and 8th standard) and Essay Competitions for the students upto the age of eighteen years under the Information Education and Communication component of the Human Resource Development and Capacity Building Scheme (hereinafter referred as the Scheme) by awarding prize money to the winners of the competitions;

And whereas, Financial Assistance provided by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation to the Central Ground Water Board, who along with its regional offices implements the Scheme (hereinafter referred to as the Implementing Agency), is used for distribution of the prize money and incidental charges (hereinafter referred to as benefits) among the winners of the competitions (hereinafter referred to as the beneficiaries);

And whereas, the benefits offered under the Scheme involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous to availing benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication;

(2) any individual entitled to receive benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Scheme, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st August, 2017, in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrollment;

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation through its Implementing Agency, which requires an individual to furnish proof of possession of Aadhaar, and shall ensure Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation through its Implementation Agency may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar number is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely :-

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank Passbook or Post Office Passbook with photograph, or (ii) Ration Card; or (iii) Passport; or (iv) Certificate of Identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (v) Birth Certificate; or (vi) any other documents as specified by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation:

Provided, further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation for that purpose.

In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation through its Implementing Agency shall make all the required arrangements including the following:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centers available in their areas by 31st August, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centers shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation through its Implementation Agency are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation or its Implementation Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories Administrations except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. K-11025/1/2017-IEC]

AKHIL KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.03 11:46:50 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938
No. 672] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

रक्षा मंत्रालय

(पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.आ. 747(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुत दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सेवानिवृत्त रक्षा बलों के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को सेना के लिए पेंशन विनियमन, 1961, वायुसेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 और नौसेना के लिए पेंशन विनियम 1964 के अधीन पेंशन का संदाय किया जाता है और फायदाग्राहियों को पेंशन का संवितरण अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है;

और पेंशन के पूर्वोक्त फायदे में भारत की संचित निधि से आहरणीय व्यय अंतर्वलित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) पेंशन फायदा प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे ।

(2) पेंशन फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार ऐसे किसी पात्र फायदाग्राही के लिए, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु जो पेंशन फायदे प्राप्त करने का

इच्छुक है, तारीख 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार रक्षा मंत्रालय से, अपने पेंशन संवितरण अभिकरणों के, जो किसी व्यष्टि से आधार संख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते है, यह अन्य माध्यमों से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियो के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नही कराया है, आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहा रक्षा मंत्रालय, अपने पेंशन संवितरण अभिकरणों या अन्य माध्यमों से भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारो के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा.

परन्तु यह और कि उस समय तक जब तक पेंशन फायदों के फायदाग्राही को आधार सख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टियो को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) सम्बद्ध प्राधिकारियो द्वारा जारी पूर्व सैनिक कार्ड; और

(ख) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) मे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई खाता संख्या कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगा हो; या

(vi) डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड, जिस पर नाम और फोटो हो; या

(vii) किसान फोटो पासबुक, या

(viii) रक्षा मत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, रक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. फायदाग्राहियो को सुविधाजनक और निर्बाध पेंशन फायदे प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय, अपने पेंशन संवितरण अभिकरणों या अन्य माध्यमों से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्-

(1) पेंशन फायदों के फायदाग्राहियों के बीच मीडिया के माध्यम से और व्यष्टिक सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के संबध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हे निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में तारीख 30 जून, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) पेंशन फायदों के फायदाग्राहियो के, उनके आस-पास जैसे कि ब्लॉक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा मे, रक्षा मंत्रालय मे अपने पेंशन संवितरण अभिकरणों या अन्य माध्यमों से सुविधाजनक अवस्थानो पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा की जाएगी तथा पेंशन फायदों के फायदाग्राही, पूर्व सैनिक कार्ड के साथ अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उपपैरा (3) के खंड (ख) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे पेंशन संवितरण अभिकरणों या अन्य माध्यमों मे या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वैब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

(3) यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर राजपत्र मे उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी । परंतु यह अधिसूचना निम्नलिखित प्रवर्गों के पेंशनभोगियों या कुटुंब पेंशनभोगियों को लागू नही होगी, अर्थात् :-

(i) एनआरआई, जो किसी अन्य देश या विदेश में निवास करते हैं,

(ii) ऐसे भारतीय, जो विदेशो में बस गए हैं और जो किसी अन्य देश या विदेश के नागरिक हैं,

(iii) नेपाल में अधिवासी, बर्मी और समान प्रवर्ग के रक्षा पेंशनभोगी ।

[फा. सं.14(2)/2014/डी(पी/पी) (भाग 1)]

रविकांत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Ex-Servicemen Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O. 747(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the payment of pension is given to retired Defence Forces pensioners/ Family Pensioners (hereinafter referred to as beneficiaries) by the Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence in the Government of India under the Pension Regulations for Army, 1961, the Pension Regulations for Air Force, 1961, and the Pension Regulations for Navy 1964 and the pension is disbursed to beneficiaries through Pension Disbursement Agencies;

And, whereas, the aforesaid benefit of pension involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible to receive the pension benefits is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication

(2) Any eligible beneficiary entitled to receive pension benefits, who does not possess the Aadhaar Number or not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing pension benefits is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Defence through Pension Disbursement Agencies or other means which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Defence through Pension Disbursement Agencies or other means is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiary of pension benefits, benefits shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:

(a) Ex-servicemen Card issued by the concerned authorities; and

(b) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

any of the following documents, namely :-

(i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Driving License issued by Licensing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of Identity having photo issued by a Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) any other document as specified by the Ministry of Defence:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry of Defence for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free pension benefits to the beneficiaries, the Ministry of Defence through Pension Disbursement Agencies or other means shall make all the required arrangements including following; namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices shall be given to beneficiaries of pension benefits to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of pension benefits are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the block or tehsil or taluka, the Ministry through Pension Disbursement Agencies or other means is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries of pension benefits may register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number with Ex-Servicemen Card and other details specified in the proviso to clause (b) sub-paragraph (3) of paragraph 1 with their Pension Disbursement Agencies or other means or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir. Provided that this notification shall not be applicable for following categories of Pensioners or Family Pensioners, namely:—

(i) NRI who resides in other or foreign country.

(ii) Overseas settled Indian who is citizen of other or foreign country,

(iii) Nepal Domiciled, Burmese and similar categories of defence pensioners.

[F. No. 14(2)/2014/D(P/P)(Part-I)]

RAVI KANT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.08 15:25:04 +05'30'

(61)

433

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938

No. 674] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 749(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को मीठे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है,

और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय का रसायन और पैट्रोरसायन विभाग बहुलक सामग्रियों, उत्पादों, प्रसंस्करणों के क्षेत्रों में और राष्ट्रीय तथा सामाजिक महत्व के अन्य क्षेत्रों में सराहनीय नवीनताओं और अविष्कारों को प्रोत्साहन देने के लिए पैट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक्स प्रसंस्करण उद्योग में प्रौद्योगिकी संबंधी नवीनता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है ताकि पैट्रोरसायन उद्योग के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और विकास को कार्यान्वित करने के लिए अविष्कारकों को प्रेरित किया जा सके;

और नवीनताओं के लिए उत्तरदायी संगठनों और/या व्यष्टियों को फायदे के रूप में नकद पुरस्कारों का संदाय किया जाता है । केन्द्रीय प्लास्टिक्स इंजीनियरी और प्रौद्योगिक संस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीआईपीईटी कहा गया है), जो भारत सरकार द्वारा 1968 में स्थापित एक सहायक निकाय है, स्कीम के अधीन नकद पुरस्कारों का कार्यान्वयन करने हेतु प्राधिकृत अभिकरण है;

और व्यष्टि प्राप्तिकर्ताओं को स्कीम के अधीन नकद पुरस्कार का पूर्वोक्त फायदा प्रदान करने में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय संतर्वलित है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. (1) स्कीम के अधीन नकद पुरस्कार का फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे ।

(2) स्कीम के अधीन नकद पुरस्कार का फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार सभी पात्र फायदाग्राहियों, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु जो स्कीम के अधीन नकद पुरस्कार का फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार हैं, को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उल्लिखित विनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु उस दशा में जब वह उपत अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हों और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग जो किसी व्यष्टि से आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, अपने कार्यान्वयन-अभिकरणों के माध्यम से, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहां स्कीम के कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग, अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूआईडीएआई कहा गया है) के रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा :

परंतु उस समय तक जब तक व्यष्टि को आधार संख्या समनुदेशित की जाती है, ऐसे व्यष्टियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) स्थायी खाता संख्या कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी ऐसे सदस्य का कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी ऐसा पता कार्ड, जिस पर नाम और फोटो हो; या (vii) बैंक्स फोटो पास बुक; या (viii) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु यह और कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच, स्कीम के कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों के लिए सुविधाजनक और निर्बाध हकदारियां उपलब्ध कराने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात् :–

(1) स्कीम के कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग द्वारा स्कीम के फायदाग्राहियों के बीच मीडिया के माध्यम से और व्यष्टिक सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में तारीख प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उल्लिखित की जाने वाली विनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी । स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास जैसे कि ब्लाक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण आधार नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, प्रभारी विभाग से, अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा की जाएगी तथा स्कीम के अधीन फायदाग्राही, अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के

उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे स्कीम के कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग को देकर या इस प्रयोजन के लिए वैब पोर्टल पर आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 46016/45/2016-पीसी-2]

रंजना कासे, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 749(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, in the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals is administering a National Awards Scheme for Technology Innovation in Petrochemicals and Downstream Plastics Processing Industry (hereinafter referred to as the scheme) to incentivize meritorious innovations and inventions in the field of polymeric materials, products, processes and other areas of national and social importance to motivate the inventors to carry out innovative Research and Development in the areas of petrochemicals industry; the cash awards paid as benefit is given to organizations and/or individuals responsible for innovations. And whereas, Central Institute of Plastics Engineering and Technology (hereinafter referred to as the CIPET), an autonomous body set-up in 1968 by Government of India is an authorised agency to implement these cash awards under the scheme;

And whereas, the aforesaid benefit of cash awards given to the individual recipients under the scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the benefit of cash award under the scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All eligible beneficiaries entitled to receive benefit of cash awards under the scheme, who does not possess the Aadhaar Number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits of cash award under the scheme shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31/3/2017 , in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing agencies, which requires an individual to furnish proof of possession of Aadhaar number and shall ensure Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar number and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the scheme through its implementing agencies may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the Registrars of Unique Identification Authority of India or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individuals, benefit under the scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2; and

(b) Voter ID card issued by the Election Commission of India ; or (ii) Permanent Account Number Card ; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by any Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union territory administrations.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department in charge of implementation of the scheme for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit under the scheme to the beneficiaries, the Department or the authorised agency, in charge of implementation of the scheme shall make all the required arrangements including the following; namely:—

(1) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of implementation of the scheme shall be given to beneficiaries under the scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar number under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31/3/2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries under the scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the near vicinity such as block or tehsil or taluka, the Department in charge through its implementing agencies are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries under the scheme may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details specified in the clause (b) to first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 to the Department in charge of implementation of the scheme or the implementing agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union territories Administrations except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 46016/45/2016-PC-II]

RANJANA KALE, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

(62)

437

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938

No. 679] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 6 मार्च, 2017

का.आ. 754(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और यह कायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ।

और, भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 और भोपाल गैस पीड़ितों के उचित विधिक प्रतिनिधित्व और उनके दावों के परिनिर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए उसके अधीन एक स्कीम का प्रशासन कर रहा है । इस अधिनियम के अधीन वर्ष 1985 में कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित का सृजन किया गया था और भारत सरकार द्वारा शीघ्र न्यायनिर्णयन और गैस विभीषिका के उत्तरजीवियों और पीड़ित परिवारों के लिए प्रतिकर का अधिनिर्णय या संवितरण करने हेतु वर्ष 1992 से भोपाल गैस पीड़ितों के दावों के न्यायनिर्णयन के लिए दावे अधिकरण द्वारा वास्तविक रूप से काम करना आरंभ किया । कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित द्वारा "भोपाल गैस पीड़ितों के

"अनुग्रह राशि" नामक स्कीम के अधीन मृत्यु, स्थायी रूप से दिव्यांगता, अति गंभीर चोट, विधवा, पूर्ण विकलांग होने और गैस ...ड़ितों की अस्थायी दिव्यांगता प्रकरणों को प्रतिकर का संदाय किया जाता है ।

और, स्कीम के अधीन अलग-अलग प्राप्तिकर्ताओं को दी गई नकद प्रतिकर की पूर्वोक्त प्रसुविधा भारत सरकार की संचित निधि से एकमुश्त व्यय है और,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) स्कीम के अधीन नकद प्रतिकर प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए किसी पात्र व्यक्ति आधार संख्याधारक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी ।

(2) स्कीम के अधीन नकद प्रतिकर प्रसुविधा प्राप्त करने के हकदार ऐसे सभी पात्र फायदाग्राहियों से, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है किंतु स्कीम के अधीन नकद प्रतिकर प्रसुविधा का उपभोग करने के इच्छुक हैं 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी, परन्तु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वह आधार प्राप्त करने का/की हकदार हों और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में, अपने कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन प्रसुविधाएं प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा होगी तथा यदि उनके अलग जनपद या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग से उसके कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी ।

परन्तु स्कीम के व्यक्ति का आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात् :

(क) (i) यदि उसने अपना नामांकन करा लिया है तो उसकी अपना आधार नामांकन पहचान पर्ची, या;

(ii) नीचे के पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) (i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्यांक कार्ड (पैन कार्ड); या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध अनुज्ञप्ति; या (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसील द्वारा सरकारी पत्र पर जारी किया गया फोटो के पहचान प्रमाणपत्र; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पत्र कार्ड; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा उसके कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के माध्यम से उस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को नकद भुगतान का सुविधाजनक और बिना किसी बाधा के साथ प्रदान करने के उद्देश्य से स्कीम को कार्यान्वित करने वाले विभाग के प्रभारी निम्नलिखित सहित अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं करेंगे; अर्थात् :-

(1) स्कीम अधीन आधार की अपेक्षा के प्रति नकद प्रतिकर के फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग कार्यालय के माध्यम से और उसके कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के माध्यम से, मीडिया द्वारा और व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि स्कीम के अधीन नकद प्रतिकर के फायदाग्राही स्वयं या तहसील या तालुका जैसे अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में आधार नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो उन्हें रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में अपने कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के माध्यम से यह अपेक्षित होगा है कि वह यूआईडीएआई या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और स्कीम के अधीन फायदाग्राही रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के पास उसकी कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर करा सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फ. सं. बीएच 11011/1/2016-बीएच]

समीर कुमार दिसवास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 754(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers in the Government of India is administering the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 and a Scheme thereunder for ensuring proper legal representation of the Bhopal Gas victims and settlement of their claims. Under this Act, the Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas victims was created in 1985 and the Claim Tribunals to adjudicate claims of the Bhopal Gas Victims actually started functioning from the year 1992 by the Government of India for speedy adjudication and award or disbursement of compensation to the survivors and families of the victims of the gas leak disaster. Under the scheme called "Ex-gratia to Bhopal Gas victims", the compensation is paid to Death, Permanent disability, Injury of utmost severity, Cancer, Total Renal Failure and Temporary disability categories of gas victims by the Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims.

And whereas, the aforesaid benefit of cash compensation given to the individual recipients under the scheme is one-time expenditure from the Consolidated Fund of India and;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: –

1. (1) An individual eligible to receive the benefit of cash compensation under the scheme is, hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive benefit of cash compensation under the scheme, who does not possess the Aadhaar Number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits of cash compensation under the Scheme are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Chemicals and Petrochemicals through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the scheme through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal may provide enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar.

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individual of the Scheme, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by any Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department of Chemicals and Petrochemicals through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit of cash compensation under the Scheme to the beneficiaries, the Department in charge of implementing the Scheme shall make all the required rangements including following, namely: -

(1) Wide publicity through media and individual notices through the office of the Department of Chemicals and Petrochemicals and through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal shall be given to beneficiaries of cash compensation under the scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of cash compensation under the scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the nearby vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the Department of Chemicals and Petrochemicals through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with UIDAI or the existing Registrars of UIDAI or becoming UIDAI registrar themselves and the beneficiaries under the Scheme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 above with the Department of Chemicals and Petrochemicals through its implementing agency i.e. Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the states of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F.No. BH.(1011)/1/2016-BH]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

(1)

1141

P-20019/53/2014-LPG
Government of India
Ministry of Petroleum & Natural Gas

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 30 September, 2016

CIRCULAR

Notification under Section-7 of Aadhaar Act, 2016

Subject:- Notification for requirement of Aadhaar under Section 7 of **Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016** ("Aadhaar Act") for LPG subsidy.

1. The use of Aadhaar as identifier for delivery of services/benefits/subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and hassle free manner. Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity. The provisions of the Aadhaar Act and Regulations under the Act have come into effect from 14th September 2016 and notifications to this effect have been published in the Official Gazette. UIDAI has issued a circular no. 23011/Gen/2014/Legal-UIDAI dated September 15, 2016 giving guidelines for issue of notification under Section 7 for use of Aadhaar (attached).

The LPG subsidy is an expenditure incurred from consolidated fund of India. Accordingly, Ministry of Petroleum, Government of India in exercise of its powers under Section 7 of the Aadhaar Act, hereby notifies the following :

1.1 Individual desirous of availing LPG subsidies are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

1.2 An individual desirous of availing LPG Subsidies who is not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th Nov 2016 in case he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of Aadhaar Act. Such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar. As per the Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, OMCs are required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar. Therefore, in case there are no Aadhaar enrolment centers located within Block/Tehsil/Taluka; Oil Marketing Companies may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar.

1.3 Till the time Aadhaar is assigned to the individual, LPG subsidy shall be given to the individual based on the following alternate and viable means of identification:

a. Bank photo passbook, and
b. Aadhaar enrolment ID slip if he has enrolled, otherwise his voter ID card or Ration card or Kisan Photo Passbook or passport or driver license along with copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in para 2.2 below and
c. Undertaking in the attached format that he is not availing LPG subsidy under some other consumer number of any Oil Marketing Company

The above documents shall be checked by an officer specifically designated by the OMCs.

2. In order to provide convenient and hassle free LPG subsidy to beneficiaries, Oil Marketing Companies through their field networks shall make all the required arrangements including following:

2.1 Wide publicity through media and individual notices through LPG dealers shall be given to applicants/ beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the LPG subsidy. In case they are not enrolled, they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centers available in their Block/Tehsil/Taluka by 30th Nov 2016. The list of locally available enrolment centres should be made available to them.

2.2 In case, beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block/Tehsil/Taluka, the OMCs are required to create enrolment facilities at convenient locations. The applicants/ beneficiaries can be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details such as consumer number, address, mobile number on their web portal. Such requests can also be registered with the LPG dealers/distributors.

3. This notification shall take effect immediately in all States except Assam, Meghalaya and Jammu & Kashmir.

30/12/2015

Encl: As above

(K.M. Mahesh)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel. No. 011-23387404
E-mail: mahesh.png@gov.in

To

The Director (Marketing), IOC/BPCL/HPCL, Mumbai

(63)

443

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938

No. 678] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 753(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का लक्ष्य स्वच्छ रसोई ईंधन – सरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) उपलब्ध कराकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है जिससे कि उन्हें धुएं से भरे रसोईघरों में अपने स्वास्थ्य के प्रति संकट में डालना न पड़े या ईंधन की सकड़ी इकट्ठी करने के लिए असुरक्षित जगहों पर घूमना न पड़े। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार की एक महिला (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) नए एलपीजी कनेक्शन के लिए अपने नजदीकी एलपीजी वितरक को आवेदन कर सकती है। आवेदन पर कार्रवाई करने के पश्चात तेल विपणन कंपनियां (जिसे इसमें इसके पश्चात ओएमसी कहा गया है) पात्र फायदाग्राहियों को कनेक्शन जारी करेंगी। पीएमयूवाई के अधीन जारी गए एलपीजी कनेक्शन का व्यय और उसके पश्चात सहायिकी फायदाग्राही को लाभ के रूप में प्रदान की जाती है।

और, स्कीम के अधीन पूर्वोक्त फायदा भारत की संचित निधि से किया जाने वाला आवर्ती व्यय अंतर्वलित है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

1. (1) स्कीम के अधीन फायदे का उपयोग करने के इच्छुक फायदाग्राही व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के अपने पास होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदे का उपयोग करने के ऐसे किसी इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मई, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन

करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, संबंधित ओएमसी, जो किसी फायदाग्राही से आधार प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा रखती है, उन्हें ऐसे फायदाग्राही के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करना अपेक्षित होगा, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं और संबंधित जनक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की दशा में ओएमसी से अपेक्षा की जाती है कि वह यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय बनाते हुए या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

परंतु फायदाग्राही उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को आधार प्राप्त नहीं हो जाता, निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसे फायदाग्राही फायदे का उपभोग करते रहेंगे, अर्थात् :—

(क) (i) यदि वह आधार नामांकन आईडी पर्ची के लिए नामांकित है, या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज:

(i) फोटो सहित बैंक पास बुक, या

(ii) मतदाता पहचान पत्र, या

(iii) राशन कार्ड, या

(iv) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, या

(v) पासपोर्ट, या

(vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी पक्का अनुज्ञप्ति, या

(vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सरकारी शीर्षलेखा पर ऐसे व्यक्ति की पहचान का फोटो के साथ प्रमाणपत्र, या

(viii) किसान फोटो पासबुक, या

(ix) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

बशर्ते यह कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए ओएमसी द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को इस स्कीम के अधीन सहज और बाधा रहित फायदे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, ओएमसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्,—

(क) मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और एसपीजी वितरकों, आदि और अन्य किसी कार्यालय के माध्यम से व्यक्तिगत नोटिस दिए जाएंगे, उन्हें इस स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाएगा और उन्हें यह सलाह दी जा सकती है कि यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं तो 31 मई, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के फायदाग्राही अपने आस पास के क्षेत्रों जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आधार के लिए नामांकन करवाने में असमर्थ हैं तो ओएमसी द्वारा अपने एसपीजी वितरकों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर, आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे संबंधित एसपीजी वितरक को या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए पैक पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, एसपीजी कलेक्शन आईडी और पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर आधार नामांकन करवाएं।

3 यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से अरुणाचल, मेघालय और जम्मू- कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. पी-20019/53/2014-एलपीजी]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 753(E).—Whereas the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity,

And, whereas, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) (hereinafter referred to as the Scheme) aims to safeguard the health of women and children by providing them with a clean cooking fuel – Liquefied Petroleum Gas (LPG), so that they don't have to compromise their health in smoky kitchens or wander in unsafe areas collecting firewood. A woman of the Below Poverty Line (BPL) household (hereinafter referred to as the Beneficiary), may apply for a new LPG connection to the nearest LPG distributor. The connection will be issued by the Oil Marketing Companies (hereinafter referred to as the OMC) to the eligible beneficiaries after processing the application. The expense for new LPG connection issued under PMUY and subsidy thereafter is provided as benefit to the beneficiary.

And, whereas, the aforesaid benefit under the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India.

Now therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Petroleum and Natural Gas hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Individual beneficiary desirous of availing the benefits under the scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) A beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrollment by 31st May, 2017, provided she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned OMC which requires a beneficiary to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of absence of any Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the OMC is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiary, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to the production of the following identification documents, namely: -

(a) (i) if she has enrolled her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 ; and

(b) Any one of the following documents:

(i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card; or

(iii) Ration Card, or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card, or

(v) Passport, or

(vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(viii) Kisan Photo passbook; or

(ix) Any other documents specified by the Central Government;

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the OMC for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the OMC shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices through the LPG dealerships, etc., and any other offices, shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st May, 2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case the beneficiaries of the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the OMC through its LPG distributors is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number, LPG connection ID and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned LPG distributor or through the web portal provided for the purpose.

3 This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir

[F. No. P-20019/53/2014-LPG]

ASHUTOSH JINDAL, Jt Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1198] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939
No. 1198] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2017

का.आ. 1358(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए एक से अधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) घरेलू उपयोग के लिए वहन करने योग्य रसोई ईंधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) किरोसिन और घरेलू एलपीजी सहायिकी योजना, 2002" के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्राप्त किरोसिन व ंटन करता है।

और, मंत्रालय ने पीडीएस किरोसिन स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) में प्रत्यक्ष प्रसुविधा अंतरण भी पुरस्थापित किया है जिसके माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के बैंक खातों में जिन्होंने गैर-सहायता प्राप्त दर पर पीडीएस किरोसिन का क्रय किया है, सहायतार्थ धन सीधे अंतरित हो जाता है।

और, स्कीम के अधीन, परिवार के सदस्यों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को या तो सहायता प्राप्त किरोसिन या उनके बैंक खातों के माध्यम से नकद (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) किरोसिन सहायतार्थ धन दिया जाता है, जिसमें भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक फायदाग्राही व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के अपने पास होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के ऐसे किसी इच्छुक व्यक्ति से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 30 सितम्बर, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग से, जो किसी फायदाग्राही से आधार प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा रखता है, ऐसे फायदाग्राही के लिए, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा है, और संबंधित ब्लॉक या ताल्लुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की दशा में राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय बनाते हुए या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

परन्तु किसी व्यक्ति का आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं, निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात :—

(क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान है, या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज:

(i) फोटो सहित बैंक पास बुक, या (ii) मतदाता पहचान पत्र, या (iii) राशन कार्ड, या (iv) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, या (v) पासपोर्ट, या (vi) एमजीएनआरईजीएस कार्ड, या (vii) किसान फोटो पासबुक, या (viii) डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता का कार्ड या (ix) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सरकारी पत्र-शीर्ष पर ऐसे सदस्य की पहचान का फोटो के साथ प्रमाणपत्र, या (x) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को इस स्कीम के अधीन सुविधाजनक और बाधा रहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :—

(क) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया, नोटिस बोर्डों, तथा उचित मूल्य की दुकानों आदि के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और उन्हें यह सलाह दी जा सकेगी कि यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं तो 30 सितम्बर, 2017 तक आधार नामांकन हेतु अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्र में जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं, उन्हें

स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि, स्कीम के फायदाग्राही अपने आस पास के क्षेत्रों जैसे ब्लॉक या ताल्लुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आधार के लिए नामांकन करवाने में अममर्थ हैं तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों से, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित पदधारियों या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर करने का अनुरोध किया जा सकेगा।

3. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पात्र परिवारों के भिन्न-भिन्न फायदाग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या की मौजूदगी का प्रमाण मिलने के तीस दिन के भीतर प्रसुविधाओं का उपभोग करने वाले ऐसे परिवारों को नकद अंतरण प्रसुविधा के लिए जारी राशन कार्ड के साथ अथवा बैंक खातों के साथ आधार नम्बर को जोड़ देंगे।

4. उपरोक्त पैरा में किसी बात के होते हुए भी, यद्यपि परिवार के ऐसे सभी सदस्यों का आधार संख्या नियत न किए जाने की दशा में यदि राशन कार्ड में परिवार का कोई सदस्य उपरोक्त खंडों मे वर्णित पहचान संबंधी शर्तों को पूरा करता है तो राशन कार्ड में सूचीबद्ध परिवार का कोई सदस्य राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की स्कीम के अधीन हकदार प्रसुविधाओं की पूरी मात्रा प्राप्त करने का हकदार होगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से असम, मेघालय राज्यों और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी ।

[फा. सं. पी-23014/1/2017-एलपीजी]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April , 2017

S.O. 1358(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Petroleum and Natural Gas (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India allocates subsidised kerosene to the States and Union territories under the "Public Distribution System (PDS) Kerosene and Domestic LPG Subsidy Scheme, 2002" with an objective to provide affordable cooking fuel for domestic use;

And whereas, the Ministry has also introduced Direct Benefit Transfer in the PDS Kerosene Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) through which subsidy is transferred directly to the bank accounts of the beneficiaries, who purchase PDS Kerosene at non-subsidised rate;

And whereas, under the Scheme, members of the household (hereinafter referred to as the beneficiaries) are given either subsidised kerosene or kerosene subsidy in cash (hereinafter referred to as benefits) through their bank accounts, which involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th September, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip, or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) any one of the following documents:-

(i) Bank passbook with photograph, or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) MGNREGS Card; or (vii) Kisan Photo passbook; or (viii) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts, or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (x) Any other documents as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media, notice boards and individual notices through Fair Price Shops, etc. shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th September, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the nearby vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme under the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first

proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the State Government or Union territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

3. The State Government or Union Territory Administration shall, within a period of thirty days from the receipt of proof of possession of Aadhaar number furnished by individual beneficiaries of the eligible household, link the Aadhaar number with the ration card issued to such household availing the benefits or with the Bank Account for Cash Transfer benefit

4. Notwithstanding anything in above paragraphs, any member of eligible household listed in the ration card shall be entitled to receive the entire quantity of entitled benefits under the Scheme of State Governments or Union territory Administrations, if any one member of the household in the ration card fulfils the identification conditions mentioned in e clauses, in case Aadhaar number is not yet assigned to all such members of the household.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. P-23014/1/2017-LPG]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

84 & 65

452

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 686] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2017/फाल्गुन 16, 1938
No. 686] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2017/PHALGUNA 16, 1938

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 761(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और प्रयोक्ताओं को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के माध्यम से छात्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को वित्तीय सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्रदान करने के लिए सहयोजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता की छात्रवृत्ति स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है;

और, स्कीम के अधीन पूर्वोक्त फायदा में भारत की संचित निधि से उपगत अनावर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात:-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन-प्रक्रिया पूरी करे।

2. स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक ऐसे पात्र हैं, उन्हें 30 सितंबर, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा या यदि वह

व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकता है।

(2) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के माध्यम से और फायदाग्राहियो के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नही कराया है, नामांकन सुविधाए सुनिश्चित करेगा और उस दशा में जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील मे कोई आधार केंद्र अवस्थित नहीं है, वहा सूचना और प्रसारण मत्रालय, सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के माध्यम मे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधायें उपलब्ध करा सकेगा या सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वयं ही यूआईडीएआई बनकर नामांकन सुविधाएँ उपलब्ध करा सकेगा.

परन्तु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि, फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजो को प्रस्तुत किये जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जायेगा, अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (ii) मे यथा-विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; तथा

(ख) इस बात का वचनबंध कि छात्र को न तो सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता से छात्रवृत्ति मिल रही है और न ही किसी अन्य प्राधिकरण से अथवा न ही दोनों से, और

(ग) (i) फोटोग्राफ युक्त बैंक पासबुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड या (iv) स्थायी लेखा संख्या (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट, या (vi) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय शीर्षनामा पर जारी किया गया कोई पहचान प्रमाण-पत्र जिसमे पहचान सुनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति की फोटो भी हो; या (viii) किसान फोटो पास-बुक, या (ix) सूचना और प्रसारण मत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2 स्कीम के अधीन फायदाग्राहियो को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थायें करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात:

(1) मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के माध्यम से फायदाग्राहियों को व्यष्टिक सूचनाएं प्रदान की जाएगीं ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के संबंध में जागरूक किया जा सके तथा उन्हें पहले से आधार के लिए नामांकन न कराए जाने की स्थिति मे उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में 30 अप्रैल, 2017 तक नामांकन कराने की सलाह दी जाएगी तथा उन्हे स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) यदि स्कीम के फायदाग्राहियों के उनके आसपास क्षेत्र जैसे ब्लॉक, तालुका अथवा तहसील में आधार नामांकन केंद्रो की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन नहीं करा पाते है, तो सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के माध्यम से यह अपेक्षित है कि वह सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं शुरू करे तथा फायदाग्राहियों से यह अनुरोध करे कि वे पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (3) के प्रथम परंतुक के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट सूचना के अनुरूप अपने नाम, पता, मोबाइल नं. तथा अन्य ब्यौरा प्रदान करते हुए आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध पत्र सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन

संस्थान, कोलकाता के प्रभारी अधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[सं. एफ-12015/3/2016-पैस]

सिद्धिर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 761(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits / subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Information and Broadcasting in the Government of India, is administering Scholarship Scheme of Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata (hereinafter referred to as the scheme) to provide financial assistance (hereinafter referred to as the benefit) to the students (hereinafter referred to as the beneficiary) through the Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata;

And, whereas the aforesaid benefit under the scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely :—

1. (1) An eligible individual desirous of availing the benefits under the scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An eligible individual desirous of availing the benefits under the scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the scheme shall have to apply for Aadhaar enrollment by 30th April, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Information and Broadcasting through Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata which requires a beneficiary to furnish proof of possession of Aadhaar number and shall ensure Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar number and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Information and Broadcasting through the Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (hereinafter referred to as the UIDAI) or by Ministry of Information and Broadcasting itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:–

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 ; and

(b) Undertaking that the student is not getting scholarship either from Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata or from any other authority or both; and

(c) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card, or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) any other documents as specified by the Ministry of Information and Broadcasting:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry of Information and Broadcasting for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the scheme to the beneficiaries, the Ministry of Information and Broadcasting through the Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices through Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata shall be given to the bbeneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar number under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th April,2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(2) In case, bbeneficiaries of the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the near vicinity such as Block, Taluka or Tehsil, the Ministry of Information and Broadcasting through Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata, is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the clause (c) to first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, to the in-charge officer at Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union territories Administrations except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. S-12015/3/2016-Press]

MIHIR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 762(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पत्रकारों तथा उनके परिवारों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पेंशन सूचना ब्यूरो के माध्यम से पत्रकार कल्याण स्कीम का (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है;

और स्कीम के अधीन पूर्वोक्त फायदा में भारत की संचित निधि से अनावर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात :-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें 30 अप्रैल, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा या यदि वह व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकता है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से आधार संख्या का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, और ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा और उस दशा में जहां संयोजित प्रभाग या तालुका या तहसील में कोई आधार केंद्र अवस्थित नहीं है, वहां सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूआईडीएआई कहा गया है) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वयं यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधायें उपलब्ध करा सकेगा:

परन्तु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति, फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जायेगा, अर्थात :-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (ii) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; तथा

(ख) इस बात का घोषणापत्र कि परिवार या उसका परिवार स्कीम के अधीन सूचना और प्रसारण मंत्रालय या किसी अन्य प्राधिकरण से अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी विशेष वित्त वर्ष में किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता का उपभोग नहीं कर रहा है; और

(ग) (i) फोटोग्राफ युक्त बैंक पासबुक; या (ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड या (iv) स्थायी लेखा संख्या (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय शीर्षनामा पर जारी किया गया कोई पहचान प्रमाण पत्र जिसमें पहचान सुनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति की फोटो भी हो; या (viii) विधायक फोटो पास बुक; या (ix) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थायें करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात:

(i) मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और देश सूचना ब्यूरो के माध्यम से फायदाग्राहियों को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सूचनाएं प्रदान की जाएंगी ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के संबंध में जागरूक किया जा सके तथा उन्हें पहले से आधार के लिए नामांकन न कराए जाने की स्थिति में उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में 30 अप्रैल, 2017 तक नामांकन कराने की सलाह दी जाएगी तथा उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) यदि स्कीम के फायदाग्राहियों के उनके आसपास जैसे ब्लॉक, तालुका अथवा तहसील में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन नहीं करा पाते हैं, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से यह अपेक्षित है कि वह सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं शुरू करे तथा फायदाग्राहियों से यह अनुरोध करे कि वे पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (3) के प्रथम परंतुक के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट सूचना के अनुरूप अपने नाम, पता, मोबाइल नं. तथा अन्य ब्यौरा प्रदान करते हुए आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रभारी अधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस-12015/3/2016-प्रेस]

सिद्धिर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 762(E).—whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, is administering the Journalist Welfare Scheme (hereinafter referred to as the scheme) through Press Information Bureau, to provide financial assistance (hereinafter referred to as the benefit) to the journalists and their families (hereinafter referred to as the beneficiary);

And, whereas, the aforesaid benefit under the scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An eligible individual desirous of availing the benefits under the scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An eligible individual desirous of availing the benefits under the scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desires of availing the benefits under the scheme shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th April,2017 in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Information and Broadcasting through the Press Information Bureau which requires beneficiaries to furnish proof of possession of Aadhaar number and shall ensure Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Information and Broadcasting through the Press Information Bureau may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (hereinafter referred to UIDAI) or by Ministry of Information and Broadcasting becoming UIDAI Registrar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(ii) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar enrolment ID slip'; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) Undertaking that the journalist or his or her family, is not availing any financial assistance from Ministry of Information and Broadcasting under the scheme or from any other authority either in his or her name or in the name of any family member in a particular financial year; and

(c) (i) Bank pass book with photograph, or

(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India, or (iii) Ration Card or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988), or (vii) Certificate of identity having photo if such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) Kisan Photo pass book, or (ix) any other documents as specified by the Ministry of Information and Broadcasting '

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry of Information and Broadcasting for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the scheme to the beneficiaries, the Ministry of Information and Broadcasting through the Press Information Bureau shall make all the required arrangements including the following, namely —

(1) Wide Publicity through media and individual notices through Press Information Bureau shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th April, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them

(2) In case, beneficiaries of the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the near vicinity such as Block, Taluka or Tehsil, the Ministry of Information and Broadcasting through Press Information Bureau, is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the clause (c) to the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 to the in-charge officer of the Press Information Bureau or through the web portal provided for the purpose.

3 This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union territories administration except the states of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. S-12015/3/2016-press]

MIHIR KUMAR SINGH, Jt. Secy

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

459

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2017/फाल्गुन 18, 1938
No. 701] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2017/PHALGUNA 18, 1938

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2017

का.आ. 778(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियो को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है;

और, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार शिक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में अनुसंधान कार्य में विद्यार्थियो की सहायता के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। स्कीमों अर्थात् दिशा कार्यक्रम, इंस्पायर पुरस्कार, इंस्पायर छात्रवृत्ति, इंस्पायर प्रशिक्षुतावृत्ति, इंस्पायर [illegible]वृत्ति और इंस्पायर संकाय (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) सरकारी अथवा गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं (जिसे इ[illegible] इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की गई है;

और, ये स्कीमें 10 से 32 वर्ष आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को नकदी या वस्तु (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) के रूप में फायदाग्राही को सीधे या कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सहायता प्रदान करती हैं;

और, उपरोक्त स्कीम भारत की संचित निधि मे से व्यय उपगत करती है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1.(1) स्कीम के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यष्टियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) स्कीम के अधीन फायदों का लाभ लेने के इच्छुक व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 30 सितम्बर 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु यह उक्त अधिनियम की धारा 3

के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) से संपर्क कर सकता है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे या स्वयं ही रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे :

परंतु फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदे प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक या डाकघर का पासबुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र; या

(iii) राशन कार्ड; या

(iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता सं. (पैन) कार्ड; या

(v) पासपोर्ट; या

(vi) मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय शीर्षनामा पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगी हो; या

(viii) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेज उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:—

(क) मीडिया और अलग-अलग सूचनाओं के माध्यम से फायदाग्राहियों को व्यापक प्रचार और व्यष्टिक सूचनाएं दी जाएंगी जिससे कि उनको स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाया जा सके और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए 30 सितम्बर 2017 तक स्वयं को नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है । स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उनको उपलब्ध करा दी जाएगी ।

(ख) यदि स्कीमों के फायदाग्राही, ब्लाक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो विभाग से अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं सृजित करने की अपेक्षा की जाती है और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे कार्यान्वयन अभिकरणों के सम्बंधित अधिकारी के साथ या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर आधार के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें ।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. डीएसटी/डीबीटी प्रकोष्ठ/ आधार अधिसूचना/2017]

ए. मुखोपाध्याय, प्रमुख, इन्फायर प्रभाग

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2017

S.O. 778(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Science and Technology (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Science and Technology in the Government of India is implementing the Central Sector Scheme to aid the students in education, and research in Science and technology development. The schemes viz. DISHA Programme, INSPIRE rd, INSPIRE Scholarship, INSPIRE Internship, INSPIRE Fellowship and INSPIRE Faculty (hereinafter referred to ... ne Schemes) are implemented through Government or Non-Government Academic Institutions (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, the Schemes provide aid to students (hereinafter referred to as beneficiaries) in the age group of 10 to 32 years, in the form of cash or kind (hereinafter referred to as the benefit) directly to the beneficiary or through the Implementing Agencies;

And whereas, the aforesaid Schemes involve expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Science and Technology hereby notifies the following, namely: —

1. (1) An Individual desirous of availing the benefits under the Schemes is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication

(2) An individual desirous of availing the benefit under the Schemes, who does not possess an Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th **September, 2017,** provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the visions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely: –

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(iii) Ration Card, or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department, or

(v) Passport; or

(vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(viii) any other documents specified by the Central Government;

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Schemes, the Department through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th September, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries of the Schemes are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers along with other documents as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and the state of Jammu and Kashmir

[F. No. DST/DBT Cell/Aadhar Notification/2017]

A. MUKHOPADHYAY, Head, INSPIRE Division

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.10 15:25:15 +05'30'

463

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 878] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/चैत्र 8, 1939
No. 878] NEW DELHI, WEDNESDAY MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2017

का.आ. 885(अ).—सेवाओं या फ़ायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फ़ायद-ग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में सामर्थ बनाना है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय (विभाग कहा गया है), भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) को कार्यान्वित कर रहा है, के पास निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं *(जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)*:

क. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना - दस्तकार सशक्तिकरण योजना

ख. डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन

ग. मानव संसाधन विकास

घ. कारीगरों को प्रत्यक्ष फायदा

ङ अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता,

च. मेगा क्लस्टर

छ. विपणन सहायता और सेवाएं

ज. अनुसंधान और विकास;

झ. जम्मू - कश्मीर में अन्य शिल्पों का विकास

ञ. हस्तकला अकादमी की स्थापना और

ट. विभागीय कालीन प्रशिक्षण स्कीम।

और इस योजना का उद्देश्य हस्तशिल्प क्षेत्र को एक समग्र तरीके से विकसित करना है राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के अधीन फायदे और सेवाएं प्राप्त करने के निबंधनों और शर्तों को शामिल करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश www.handicrafts.gov.in पर उपलब्ध हैं;

और स्कीम के अधीन हस्तशिल्प कारीगरों या कालीन बुनकरों अथवा सिद्धहस्त शिल्पियों (जिसे इसमे इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) और डिज़ाइनरों, विशेषज्ञों, संकायों, प्रशिक्षकों, काम पर लगाये श्रमिकों (जिसे इसमे इसके पश्चात सुकरकर्त्ता कहा गया है) को प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनारों, विपणन कार्यक्रमों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, सर्वेक्षण और अध्ययनों आदि (जिसे इसमे इसके पश्चात फायदा कहा गया है) उपलब्ध कराने के लिए मजदूरी मुआवजे, वजीफा, मानदेय, डिजाइनर शुल्क, सिद्धहस्त शिल्पियों के लिए फीस, कारीगरों को वित्तीय सहायता, यात्रा भत्ते या महंगाई भत्ते, बीमा प्रीमियम, अन्य कल्याणकारी फायदे, टूल किट्स के वितरण (वस्तु रूप में) आदि के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और फायदाग्राहियों और सुकरकर्त्ताओं, दोनों को स्कीमों के अधीन सम्मालित रूप से फायदाग्राही कहा जाएगा;

और योजना पर विभाग के फील्ड कार्यालयों और देशभर के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मोनिट्रिंग की जाती है और विभाग के फील्ड कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और बहुल एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है (जिसे इसमे इसके पश्चात बाद में कार्यान्वयन एजेंसियां कहा गया है जैसे कि (क) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (1882 का 2) (फायदे के लिए नहीं) या अन्य परिनियमों या विश्वविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थानों (ख) केंद्रीय और राज्य हस्तशिल्प निगमों और केंद्रीय और राज्य सरकार के अधीन अन्य संगठनों (ग) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम रजिस्ट्रीकृत और (घ) एपेक्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी और राष्ट्रीय स्तर की एपेक्स सोसाइटी (ङ) निर्माता समूह या स्वावलंबन समूह; (च) भारतीय जीवन बीमा निगम ; (छ) ऐसे व्यक्ति जैसे हस्तशिल्प कारीगर, प्रख्यात विद्वान और लंबे समय से हस्तशिल्प को बढ़ावा देने से जुड़े व्यक्ति आदि;

और स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित हैं;

अतः, अब केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात :-

1 (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन पूरा करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु स्कीम के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है, को 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराने के लिए आवेदन करना होगा, उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है,) जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि उनके आस-पास में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो स्कीम विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा।

परंतु उस समय तक जबतक स्कीम के अधीन व्यष्टि, फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदा दिया जाएगा अर्थात :-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथा निर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) i. भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदान पहचान पत्र; या

ii. आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

iii. पासपोर्ट; या

iv. राशन कार्ड; या

v. कोई सरकारी पहचान पत्र; या

vi. बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित, या

vii. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

viii. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र,

ix. विभाग द्वारा द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़।

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच संबन्धित विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से पदसहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, विभाग अपने फील्ड कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से,सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात

(क) इस स्कीम के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हे 31 मार्च, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाती है। उन्हें स्थानीय आधार नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए। (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है)।

(ख) यदि ब्लॉक या ताल्लुका या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयो और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग के फील्ड कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विशेष रूप से पदासहित प्रभारी अधिकारी या उसके क्रियान्वयन अभिकरण या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. के-12012/8/9/2016-सी एंड पी]

आलोक कुमार, विकास आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

[OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2017

S.O. 985(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Office of Development Commissioner (Handicrafts) (hereinafter referred to as the Department), in the Government of India, Ministry of Textiles is implementing National Handicraft Development Programme (NHDP) having the following Central Schemes (hereinafter referred to as the Schemes):

a. Ambedkar Hastshilp Vikas Yojna - Dastkar Shashktikaran Yojana;
b. Design & Technology Up-gradation;
c. Human Resource Development;
d. Direct Benefit to Artisans:
e. Infrastructure & Technology Support.
f. Mega Cluster;
g. Marketing Support & Services;
h Research & Development;
i Development of other crafts in Jammu & Kashmir,
j. Setting up of Hastkala Academy, and
k. Departmental Carpet Training Scheme.

And whereas, the purpose of the Scheme is to develop the handicraft sector in a holistic manner and the detailed guidelines including the terms and conditions of availing benefits and services under National Handicraft Development Programme are available at the website www.handicrafts.gov.in:

And whereas, under the Schemes, financial assistance in the form of Wage Compensation, Stipend, Honorarium, Designer fees, Fees for master craft persons, financial assistance to artisans travel allowance or dearness allowance, insurance premium, other welfare benefits, distribution of tool kits (in-kind), etc for training, workshop, seminars, marketing events, buyer-seller-meet, survey and studies, etc(hereinafter

referred to as the benefits) is provided to handicraft artisans or carpet weavers or master craft persons (hereinafter referred to as the beneficiaries) and designers, experts, faculties, trainers, manpower hired (hereinafter referred to as the facilitators) and both beneficiaries and the facilitators shall collectively called as the beneficiaries under the Schemes;

And whereas, the Schemes are monitored through the Department's field offices and regional offices across the country and implemented through the Department's field offices, regional offices and various other agencies (hereinafter referred to as the Implementing Agencies) such as, (a) Institutions or organisations set up as autonomous organisations under a specific statute or as a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882) (Not for profit) or other statutes or universities and recognized institutes (b) Central and State Handicrafts Corporations and other organisations under central and state government (c) voluntary organisations or non-government organisations registered under the Societies Registration Act 1860 (21 of 1860), Indian Trust Act, and (d) apex co-operative societies and National Level apex Societies (e) producer group or self help group; f) LIC of India; g) Individuals such as handicrafts artisans, eminent scholars, and persons associated with promotion of handicrafts for a long time, etc.:

And whereas, the Schemes involve recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) an individual eligible for availing benefits under the Schemes shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) an individual desirous of availing benefits under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Schemes, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrollment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its field offices, regional offices and the Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its field offices, regional offices and the Implementing Agencies, may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (hereinafter referred to as the UIDAI) or by Department itself becoming UIDAI Registrar;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2: and

(b) (i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India ; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income tax Department ; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Any Government ID Card; or

(vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Pehchaan Identity card issued by office of Development Commissioner Handicrafts, Ministry of Textiles;

(ix) Any other document as specified by the Department;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the respective Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the Department through its field offices, regional offices, and its Implementing Agencies shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 31st March 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) in case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its field offices, regional offices and its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the officer in-charge specifically designated by the field offices and regional offices of the Department, or its Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in the all States except the states of Assam, Meghalaya, and Jammu and Kashmir

[F. No. K-12012/8/9/2016-C&P]

ALOK KUMAR, Development Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

469

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 877] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/चैत्र 8, 1939
No. 877] NEW DELHI, WEDNESDAY MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2017

का.आ. 984(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कार्यान्वित कर रहा है; स्कीम का प्रयोजन समग्र रूप से हथकरघा का विकास करना है।

और स्कीम के अधीन शिक्षावृत्ति, मानदेय, डिजाइनर फीस, यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता, अन्य कल्याणकारी फायदों के रूप में वित्तीय सहायता और करघों, करघों के हिस्सों तथा सहायक उपकरणों (वस्तु के रूप में) के वितरण, प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार, विपणन आयोजन और क्रेता-विक्रेता बैठक (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) के लिए हथकरघा बुनकरों और संबद्ध कामगारों (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्यक्तिक फायदा कहा गया है) को प्रदान किए जाते हैं तथा डिजाइनरों, विशेषज्ञों, फैकल्टी, प्रशिक्षकों और संविदा पर ली गई श्रमशक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुविधा प्रदाता कहा गया है) तथा व्यष्टिक फायदाग्राही और सुविधाप्रदाता, दोनों को स्कीम के अधीन सामूहिक रूप से फायदाग्राही कहा जाएगा।

और स्कीम पर समूचे देश में विभाग के फील्ड कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से मानीटरी की जाती है और इनका कार्यान्वयन, स्कीम के अधीन यथा परिभाषित एजेंसियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से किया जाता है।

और पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन पूर्ण करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है कि जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे आस-पास में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो विभाग अपने फील्ड कार्यालयो, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं उपबंध करा सकेगा ।

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन व्यष्टि, फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा निर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित कोई भी दस्तावेज-

(i) मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) कोई सरकारी पहचान-पत्र; या

(vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी पहचान-पत्र;

(ix) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजो की जांच संबंधित विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, विभाग अपने फील्ड कार्यालयों एवं आंचलिक कार्यालयों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:-

(क) इस स्कीम के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि उन्होंने पहले से

नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 मार्च, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सके। उन्हें स्थानीय आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ख) यदि, ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे उनके नाम,पते, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग के फील्ड कार्यालयो और आंचलिक कार्यालयों द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित प्रभारी अधिकारी या उसके कार्यान्वयन अभिकरण या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/3/2016/डी.सी.एच./बजट एवं लेखा]

आलोक कुमार, विकास आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

[OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDLOOMS)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2017

S.O. 984(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Office of Development Commissioner (Handlooms) (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Textiles in the Government of India is implementing National Handloom Development Programme [NHDP] and Comprehensive Handloom Development Cluster Scheme (CHCDS) (hereinafter referred to as the schemes); the purpose of the Schemes is to develop the handloom sector in a holistic manner.

And whereas, under the Schemes, financial assistance in the form of, stipend, honorarium, designer fees, travel allowance, Dearness Allowance, other welfare benefits and distribution of looms, loom parts and accessories (in-kind), for training, workshop, seminars, marketing events and buyer-seller-meet (hereinafter referred to as benefits) is provided to handloom weavers and allied workers (hereinafter referred to as the individual beneficiaries) and designers, experts, faculties, trainers and hired manpower (hereinafter referred to as the facilitators) and both individual beneficiaries and the facilitators shall be collectively called as the beneficiaries under the Schemes;

And whereas, the Schemes are monitored through the Department's field offices and zonal offices across the country and implemented through the agencies (hereinafter referred to as the Implementing Agencies) as defined under the Schemes;

And whereas, the aforesaid Schemes involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Textiles hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for availing benefits under the Schemes is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per he provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at uidai website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities to the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agencies, is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself becoming UIDAI Registrar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip, or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2, and

(b) any of the following documents-

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Any Government ID Card; or

(vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Identity card issued by office of Development Commissioner Handlooms, Ministry of Textiles or the State Governments;

(ix) Any other document as specified by the Central Government;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2 In order to provide convenient benefits under the Scheme to the beneficiaries, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agencies, shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 31st March 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the officer in-charge specifically designated by the

field offices and zonal offices of the Department, or its Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu & Kashmir.

[F. No. 1/3/2016/DCH/B&A]

ALOK KUMAR, Development Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.30 12:34:09 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1145] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939
No. 1145] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/VAISAKHA 5, 1939

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

का.आ. 1292(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) मंत्रालय में केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) के अधीन स्थापित एक कानूनी निकाय केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय सेक्टर स्कीम को लागू कर रही है अर्थात जो रेशम उद्योग के विकास के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी अंतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल, बीज संगठन, समन्वय और बाजार विकास और गु॰ ता प्रमाणन प्रणाली या ब्रांड संवर्धन तथा प्रौदयोगिकी उन्नयन के प्रयोजनों के लिए एक एकीकृत स्कीम है।

और, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, अपने क्षेत्र की इकाईयों या राज्य रेशम उत्पादन विभागों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से फायदा के सीधे अंतरण के अधीन सहायतार्थ धन (नकद या माल के रूप में) का केन्द्रीय हिस्सा जारी करता है, जिसके अंतर्गत राज्यों का हिस्सा, जहाँ लागू है, भी है;

और उपरोक्त सहायतार्थ धन में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्विहित है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् : -

1. (1) इस स्कीम के अधीन सहायतार्थ धन प्राप्त करने के इच्छुक फायदाग्राहियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) कोई भी फायदाग्राही जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उन्हें 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना आवश्यक है, यदि वह फायदाग्राही उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के हकदार हों और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जिसके अनुसार किसी व्यष्टि को जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है आधार प्रस्तुत करना अपेक्षित है, फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना है और उस दशा मे जहां निकटता में आधार के लिए संबंधित ब्लॉक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर मंत्रालय स्वयं आधार नामांकन सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

परंतु उस समय तक जब तक कि फायदाग्राहियों को आधार समानुदेशित नहीं किया जाता है, ऐसे फायदाग्राहियों को सीधा फायदा अंतरण के अधीन सहायतार्थ धन (नकद या माल के रूप में) निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदा दिया जाएगा, अर्थात् :

क. (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसका आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

ख. (i) बैंक पासबुक जिसमें फोटो है, या (ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जॉब कार्ड; या (vii) किसान फोटो पास बुक; या (viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुपालन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (ix) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक पत्र शीर्ष पर जारी फोटो के साथ पहचान प्रमाणपत्र; या (x) मंत्रालय द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई भी अन्य दस्तावेज।

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों को उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से मंत्रालय द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा बाधा रहित फायदा उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:

(क) मीडिया और व्यष्टिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार फायदाग्राहियों को दिया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें सलाह दी जाए कि यदि वे पहले ही नामांकित नहीं हैं तो निकटतम नामांकन केंद्र में 30 जून, 2017 तक खुद का नामांकन करवाएँ। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें (www.uidai.gov.in में सूची उपलब्ध) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही ब्लॉक या तालुक या तहसील में नामांकन केंद्रो की अनुपलब्धता के कारण नामांकन करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो मंत्रालय को अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं तैयार करना आवश्यक है और, फायदाग्राही अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट अन्य विवरण के साथ कार्यान्वयन

अभिकरणों के पदाभिहित अधिकारी अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए नामांकन हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

(3) यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 25017/04/2017-रेशम]

पुनीत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2017

S.O. 1292(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and hassle free manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Textiles (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Central Sector Scheme namely, Integrated Scheme for the Development of Silk Industry (hereinafter referred to as the Scheme), for the purposes of Research and Development, Training, Transfer of Technologies and Information Technology initiatives, Seed Organisation, Co-ordination and Market Development, and Quality Certification Systems or Brand Promotion and Technology Upgradation, through the Central Silk Board, a Statutory Body established under the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), under the Ministry;

And, whereas, the Central Silk Board releases central share of subsidy (in cash or kind) under Direct Benefit Transfer to the bank accounts of the Sericulture beneficiaries (hereinafter referred to as the beneficiaries) through its Field Units or the State Sericulture Departments (hereinafter referred to as the Implementing Agencies) including the States' share wherever applicable;

And whereas, the aforesaid subsidies involve recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby notifies the following, namely:—

1. (1) The beneficiaries desirous of availing subsidy under the Scheme are required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any beneficiary who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 in case he or she beneficiary is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar Enrolment Centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by the Ministry itself becoming UIDAI Registrar;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, the subsidy (in cash or kind) under Direct Benefit Transfer to the beneficiaries shall be given subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) bank passbook with photograph; or (ii) voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) ration card; or (iv) permanent account number (PAN) Card issued by the Income-Tax Department; or (v) passport; or (vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Job Card; or (vii) kisan Photo passbook; or (viii) the driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act,1988; (ix) certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (x) any other documents as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specially designated by the Ministry through its Implementing Agency for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June,2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officer of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 25017/04/2017-Silk]

PUNEET AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.01 22:40:38 +0530

478

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 879] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/ चैत्र 8, 1939
No. 879] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2017

का. आ. 986 (अ).- चूंकि, सेवा या लाभ अथवा सब्सिडी प्रदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी सुपुर्दगी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाता है तथा लाभार्थियों को अपने पात्रता लाभ सुविधाजनक और अवरोधरहित तरीके से सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है एवं आधार अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छुटकारा दिलाता है ;

और चूंकि, भारत सरकार में भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (इसमें इसके बाद इसे विभाग कहा ग केन्द्र सरकार की एक स्कीम के रूप में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके बाद लाभार्थी कहा गया है) द्वारा कार की खरीद पर उत्पाद शुल्क रियायत (जिसे इसमें इसके बाद स्कीम कहा गया है) प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है;

और चूंकि, इस स्कीम के तहत, उत्पाद शुल्क में रियायत, अर्थात, घटा उत्पाद शुल्क (जिसे इसमें इसके बाद लाभ कहा गया है) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कारों की खरीद पर या दो कारों की खरीद के समय कार विनिर्माता कंपनियों द्वारा या कारों की खरीद के बाद उत्पाद शुल्क विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति से प्रदान किया जाता है;

और चूंकि, उपर्युक्त स्कीम के कार्यान्वयन से उत्पाद शुल्क संग्रहण में कमी आएगी और इसलिए भारत की संचित निधि से व्यय होना शामिल है;

अतः, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा की लक्षित सुपुर्दगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :

1. (1) इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति को अपने पास आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।

(2)) इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या, उसने अब तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, परन्तु इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा, बशर्ते वह व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हो तथा ऐसे व्यक्ति आधार हेतु नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (www.uidai.gov.in) पर जा सकते हैं।

(3) आधार(नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के नियम 12 के अनुसार, ऐसा विभाग, जिसमें किसी व्यक्ति के लिए आधार प्रस्तुत करना आवश्यक हो, उन लाभार्थियों जिन्होंने आधार के लिए अब तक नामांकन नहीं करवाया है, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं देना आवश्यक है तथा समीप में जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की स्थिति में, ,विभाग के लिए यूआईडीएआई के वर्तमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या विभाग द्वारा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक होगा।

परन्तु कि उस व्यक्ति को आधार दिए जाने के समय तक, इस स्कीम के तहत ऐसे व्यक्ति को लाभ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त पर दिए जाएंगे, अर्थात् :—

क) (i) यदि उस व्यक्ति ने आधार हेतु नामांकन करवा लिया है, तो आधार एनरॉलमेंट आईडी स्लिप; या
(ii) आधार के लिए नामांकन हेतु किए गए अनुरोध की एक प्रति, जैसा पैरा 2 के उप-पैरा(ख) में निर्दिष्ट है;

ख) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र; और

ग) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान प्रमाण पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने पत्र शीर्ष पर जारी किया गया ऐसे सदस्य का फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र; या (viii) एमजीएनआरईजीएम कार्ड; या (ix) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से नामित अधिकारी द्वारा उस प्रयोजनार्थ की जाएगी।

2. इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को सुविधाजनक तथा तकलीफ मुक्त लाभ प्रदान करने के लिए, यह विभाग कार विनिर्माता कंपनियों या सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से निमनलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

क) इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया तथा व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा यदि उन्होंने आधार हेतु अपना नामांकन नहीं करवाया है, तो उन्हें 30 जून, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्र पर अपने-आप को नामांकित करवाने की सलाह दी जाएगी। स्थानीय तौर पर उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची(सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उनहें मुहैया करवाई जाएगी।

ख) समीप मे जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने के कारण लाभार्थियों द्वारा नामांकन न करवा पाने की स्थिति में, विभाग को सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाए सृजित करनी आवश्यक है तथा इस प्रयोजनार्थ विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से नामित संबंधित अधिकारियो या वेब पोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा(3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार उनका नाम, पता, मोबाइल संख्या तथा अन्य ब्यौरा देते हुए आधार नामांकन हेतु लाभार्थियों से आधार हेतु पंजीकृत करवाने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एव केन्द्र शासित प्रदेशो में सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं.12(17)/2017-एईआई (12044)]

विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2017

S.O.986(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises in the Government of India (hereinafter referred to as the Department) is issuing Certificate for availing Excise Duty C ession on Purchase of Car (hereinafter referred to as the Scheme) by Physically Handicapped Persons (hereinafter r ed to as the beneficiary) as a Central Sector Scheme;

And whereas, under the Scheme, concession of excise duty, namely, reduced excise duty (hereinafter referred to as benefits) is provided to the Physically Handicapped Persons on purchase of cars either by the Dealers of Car Manufacturing Companies at the time of purchase of cars or reimbursed by the Excise Department, Government of India after purchase of cars;

And whereas, the implementation of the aforesaid Scheme entails less excise duty collection and therefore, involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:

1. (1) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June 2017 , provided the individual is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if the individual has enrolled, then Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2;

(b) Disability certificate issued by a Competent Authority; and

(c) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) MGNREGS Card; or (ix) any other documents as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2 In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department through the Car manufacturing Companies or Society of Indian Automobile Manufacturers shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet

enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the Department or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu & Kashmir.

[No.12 (17)/2017-AEI (12044)]

VISHVAJIT SAHAY, It. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.05.31 14:48:42 +05'30'

Uploaded by Dte of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1247] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2017/वैशाख 14, 1939
No. 1247] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2017/VAISAKHA 14, 1939

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

का.आ. 1410(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है), भारत में विद्युत यानों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम-इंडिया) स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के अधीन हाईब्रिड और विद्युत यानों के क्रय के लिए उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन की केन्द्रीय सेक्टर्स स्कीम प्रशासित कर रहा है;

और स्कीम के अधीन मांग प्रोत्साहन (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदे कहा गया है), हाईब्रिड या विद्युत यानों के क्रय पर रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों द्वारा ग्राहकों (जिसे इसमें इसके पश्चात् हिताधिकारी कहा गया है) को प्रदान किया जाता है और व्यौहारी अपने मासिक दावे अपने-अपने मूल उपकरण विनिर्माताओं को प्रस्तुत करते हैं जो बाद में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है), के माध्यम से विभाग को अपने दावे प्रस्तुत करते हैं;

और पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति को अपने पास आधार नंम्बर होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार सत्यापन करवाना अपेक्षित है।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जिसके पास आधार नम्बर नहीं है अथवा उसने अब तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा बशर्ते वह व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के परंतुकों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र हो तथा ऐसे व्यक्ति आधार हेतु नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के नियम 12 के अनुसार, विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन हिताधिकारियों, जिन्होंने आधार के लिए अब तक नामांकन नहीं करवाया है, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं देना आवश्यक है तथा संबंधित ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की स्थिति में, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से विद्यमान यूआईडीएआई रजिस्ट्रार के साथ समन्वय से अथवा विभाग द्वारा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करें।

परन्तु कि उस व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को फायदे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दिए जाएंगे, अर्थात्

क) (i) यदि उस व्यक्ति ने आधार हेतु नामांकन करवा लिया है, तो आधार नामांकन आईडी स्लिप; या

(ii) आधार के लिए नामांकन हेतु किए गए उसके अनुरोध की एक प्रति, जैसा नीचे पैरा 2के उप-पैरा (2)में विनिर्दिष्ट है;

ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक अथवा डाकघर पासबुक; अथवा (ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान प्रमाण पत्र; अथवा (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; (iv) पासपोर्ट; अथवा या (v) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चालन अनुज्ञप्ति; अथवा (vi) राशन कार्ड; अथवा (vii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्ड; अथवा (viii) किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा अपने पत्र शीर्ष पर जारी किया गया ऐसे सदस्य का फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र; अथवा (ix) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से नामित अधिकारी द्वारा उस प्रयोजनार्थ की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन हिताधिकारियों को सुविधाजनक तथा बाधा रहित फायदे प्रदान करने के लिए, यह विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण अथवा सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

(1) हिताधिकारियों को इस स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया तथा व्यक्तिगत सूचनाओ के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा यदि उन्होंने अभी तक अपना नामांकन नहीं करवाया है, तो उन्हें 30 जून, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्र पर अपने-आप को नामांकित करवाने की सलाह दी जा सकेगी। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राही, ब्लॉक या तहसील या तालुक में आधार नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ है, मंत्रालय से अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करें और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जाए कि वे मंत्रालय के पदाभिहित अधिकारी के पास या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यो एवं संघ राज्य क्षेत्रों मे राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 7(22)/2016-एनएबी-II (ऑटो)]

भास्कर ज्योति महंता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2017

S.O. 1410(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, in the Government of India, the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (hereinafter referred to as the Ministry), the Department of Heavy Industry is administering the Central Sector Scheme of incentive to the consumers for purchase of Hybrid & Electrical Vehicles under the Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electrical Vehicles in India (FAME-India) Scheme (hereinafter referred to as the Scheme);

And whereas, under the Scheme, demand incentive (hereinafter referred to as benefit) is provided to the customers (hereinafter referred to as beneficiaries) by the registered dealers on purchase of Hybrid or Electric Vehicles and the dealers submit their claims monthly to their respective Original Equipment Manufacturers who in turn submit their claims to the Department through National Automotive Board (NAB) (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely;

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing receiving benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 in case he or she is entitled to obtain Adhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by Department itself becoming Unique Identification Authority of India Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely.-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank passbook or Post office Passbook with photo: or (ii) Voter ID Card issued by the Election Commission of India ; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Card or (viii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (ix) Any other documents as specified by the Department;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department through its Implementing Agency or Society of Indian Automobile Manufacturers shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated official of the Ministry or through the web portal provide for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories Administrations except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu & Kashmir.

[F. No. 7(22)/2016-NAB-II(Auto)]

BHASKAR J. MAHANTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.05 15:44:29 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1070] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2017/चैत्र 29, 1939
No. 1070] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017/CHAITRA 29, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2017

का.आ. 1210 (अ).- सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में कारपोरेट कार्य मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) वाणिज्य, विधि, अर्थशास्त्र और प्रबंधन पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले स्नातकोत्तर छात्रों को संघ सरकार की कारपोरेट नीतियों के प्रतिपादन और कार्यान्वयन के संबंध में जागरूकता का विकास करने के लिए इंटर्नशिप स्कीम (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है। इस मंत्रालय द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और चयन समिति द्वारा दस इंटर्न (जिसे इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) चयन किया जाता है और इस इंटर्नशिप की अवधि अधिकतम दो मास की है और चयन गए इंटर्न को 10000/-रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की मासिक वृत्तिका (जिसे इसके पश्चात् लाभ कहा गया है) संदत्त की जाती है, जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित अधिसूचित को करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार प्रनामांकरण प्रक्रिया पूर्ण करे।

(2) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इंटर्नशिप प्रारंभ करने के 30 दिनों के भीतर आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है। यदि वह आधार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार नहीं है तो

ऐसे लाभार्थियों को आधार के लिए नामांकन करवाने हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, द्वारा ऐसे हिताधिकारियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं देना अपेक्षित है जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि आसपास जैसे कि ब्लॉक, या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र नहीं है, तो मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि वह यूआईडीएआई के वर्तमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध कराए या मंत्रालय स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं दे:

परंतु कि, व्यक्ति को आधार दिए जाने के समय तक स्कीम के अधीन फायदे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन ऐसे व्यक्तियों को इस स्कीम के अधीन फायदे दिए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन आईडी स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज -

(i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड;

(v) फोटो सहित बैंक या पोस्टऑफिस पासबुक;

(vi) पहचान का प्रमाण पत्र जिस पर उस व्यक्ति का फोटो हो और जो किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी किया गया हो; या

(vii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा जारी किया गया चालान अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच इस मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से पदाभिहित किए गए किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. हिताधिकारियों को इस स्कीम के अधीन सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने हेतु, मंत्रालय निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

(क) आवेदकों को इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक करने हेतु मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यक्तियों को सूचनाएं दी जाएंगी और उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो इंटर्नशिप प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में निकटतम नामांकन केन्द्र में स्वयं को नामित करवाने की सलाह दी जाएगी। उन्हें नामांकन केन्द्रों की अवस्थिति की सूची (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि हिताधिकारी आसपास, जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में, नामांकन केन्द्र नहीं होने के कारण नामांकन करवाने में असमर्थ होते हैं तो, मंत्रालय को सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवानी अपेक्षित है और हिताधिकारियों से अनुरोध है कि पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर नियोजक या प्रशिक्षण संस्थान के संबंधित पदाधिकारियों या इस प्रयोजन के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना आवेदन रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.आई-34011/23/2016-समन्वय]

ए. अशोली चलाई,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2017

S.O.1210(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Internship Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) to provide a platform for post-graduate students who are pursuing courses in Commerce, Law, Economics and Management streams to develop awareness about formulation and implementation of corporate policies of the Union Government. Applications are invited by the Ministry and ten interns (hereinafter referred to as the beneficiaries) are selected by the Selection Committee and the internship is for a maximum duration of two months and the interns selected are paid a monthly stipend of Rs.10,000/- per person per month (hereinafter referred to as benefits), which involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible for availing benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment within 30 days of joining the internship. In case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the Aadhaar Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i). If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii). a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents:-

(i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card or

(v) Bank or Post Office Passbook with photo;

(vi) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Ministry.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the applicants to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas within 30 days of joining the internship in case they are not yet enrolled. The list of locality available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the employer or training institute or through the web portal provided for the purpose.

3 This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No I-34011/23/2016-Coord]

A. ASHOLI CHALAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.19 16:27:06 +05'30'

490

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1189] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939
No. 1189] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2017

का.आ. 1349(अ).— फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है; सेवाओं एवं फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार संख्या का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और सरकार इन्हें प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत से बचाता है;

और भारत सरकार में शहरी विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का संचालन कर रहा है जिसके अधीन एक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचटी) की एक इकाई के निर्माण के लिए चार हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, इसका निर्माण स्व-सहायता समूह, स्वास्थ्य वार्ड समिति, ठेकेदार अथवा नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने के इच्छुक फायदाग्राही द्वारा किया जा सकता है;

और, प्रत्यक्ष फायदा अंतरण उन व्यक्तियों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) के लिए लागू होगा जो स्वयं घरेलू शौचालय का निर्माण कर रहे हैं और नकद प्रोत्साहन राशि (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जिसमें भारत की संचित निधि से उपगत पूर्ण अथवा आंशिक व्यय अंतर्वलित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (i)स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से यह अपेक्षा है कि वह आधार को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक कोई व्यक्तिगत फायदाग्राहियों के लिए, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु जो स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, 20 मई,

491

2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु उस दशा में जब तक वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार-नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची से संपर्क कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में संबंधित विभाग से किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं से यह अपेक्षित है कि ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां ऐसे ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अब स्थित नहीं है, वहां राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में संबंधित विभाग को यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा।

परन्तु उस समय तक जब तक व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके अनुरोध पत्र की प्रति, और

(ख) (i) गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) का कार्ड, या; (ii) मतदाता पहचान पत्र ; या (iii) राशनकार्ड , या (iv) स्थाई लेखा संख्या (पैन) कार्ड : या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi)पासपोर्ट (vii) फोटो सहित बैंक पास बुक ; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) किसी सरकारी पत्र शीर्ष (लैटर हेड) पर किसी राजपत्रित अधिकारी या जारी ऐसे सदस्य के फोटोयुक्त पहचान का प्रमाण-पत्र , या (x) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह और कि उस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. अधीन फायदाग्राहियों के लिए स्कीम के सुविधाजनक और निर्बाध हकदारियां उपलब्ध कराने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं अर्थात्:-

(क) आवेदकों या फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक कराने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उन्हें, 20 मई, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकट नामांकन केन्द्रों में स्वयं के नामांकन कराने की सलाह दी जा सकती है। उपलब्ध स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।), उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) यदि, फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आस-पास के क्षेत्रों में नामांकन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित विभाग को सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा अभिहित शहरी स्थानीय निकायों के संबंधित अधिकारियों के पास या प्रदान किए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपने नाम, पते, मोबाइल संख्याएं जैसे अन्य ब्यौरों को देकर आधार के नामांकन हेतु अपने अनुरोधों का रजिस्टर कराएं जैसा कि पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.8/8/2016-एसबीएम-1]

प्रवीण प्रकाश, संयुक्त सचिव

L192

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April , 2017

S.O. 1349 (E).– Whereas, the use of Aadhaar number as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Urban Development (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Centrally Sponsored Scheme of the Swachh Bharat Mission (URBAN) (hereinafter referred to s the Scheme) under which an incentive amount up to four thousand rupees is provided for construction of one unit of Individual Household Toilet (IHHT), which can be done by the Self Help Group, Health ward Committee, Contractor or the individuals seeking cash incentive;

And whereas, the Direct Benefit Transfer shall be applicable to Individuals (hereinafter referred to as beneficiaries) who are constructing toilet by themselves and eligible to receive cash incentive (hereinafter referred to as benefit), which involves expenditure fully or partly incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: –

1 (1) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefit under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 20th May ,2017 , provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at Unique Identification Authority of India(UIDAI) (website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme which requires an individual to furnish Aadhaar , is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the individual beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil , the concerned department in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Individual, benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely —

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Below Poverty Line (BPL) Card; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Passport; or (vii) Bank passbook with photograph; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted officer on an official letter head; or (x) Any other documents as specified by the State Government or Union territory Administration

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by State Government or Union territory Administration for that purpose.

2 In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department in the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme shall make all the required arrangements including the following, namely: –

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the applicants or beneficiaries through Urban Local Bodies to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefit under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centers available in their areas by

493

20th May, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses , mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph(3) of paragraph1, with the concerned officials of Urban Local Bodies as designated by the State Government or Union territory Administration or through the web portal provided for the purpose

3 This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir

[F.No.8/8/2016-SBM-1]

PRAVEEN PRAKASH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2017.04.28 17:02:02 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1137] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2017/वैशाख 4, 1939
No. 1137] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2017/VAISAKHA 4, 1939

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(एसएस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2017

का. आ. 1264 (अ).– सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धारप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है,

और भारत सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) छात्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् योजनाएं कहा गया है) के लिए छात्रवृत्ति प्रसुविधाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) के रूप में सहायता प्रदान कर रहा है

(i) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना;
(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना,
(iii) मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्ति योजना,

और उपर्युक्त योजनाओं में भारत की संचित निधि से किया गया व्यय अंतर्वलित है,

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्–

1. (1) योजनाओं के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी पात्र व्यक्ति को उसके पास आधार होने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अभिप्रमाणन करवाना अपेक्षित है।

(2) योजनाओं के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को एतद्द्वारा 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी संबंधित विभाग, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, द्वारा उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराना अपेक्षित है जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया

गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुक या तहसील मे कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो उस राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी संबंधित विभाग के लिए यह अपेक्षित है कि वह यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे :

परंतु किसी व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक योजनाओं के अधीन प्रसुविधा ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर दिए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप, या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, जैसा पैरा 2 के उप पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट है, और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) राशन कार्ड, या (iii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या (पीएएन) कार्ड, या (iv) पासपोर्ट; या (v) स्कूल की सरकारी गोहर के अधीन स्कूल के मुख्याध्यापक अथवा प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया छात्र का फोटो सहित पहचान प्रमाण–पत्र, या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति, या (vii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजो की इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2 योजनाओं के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी सबंधित विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाए करेगा, अर्थात्:–

(क) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए प्रभारी सबधित विभाग के अधीन संस्थानों के माध्यम से फायदाग्राहियो को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के जरिए व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि योजनाओं के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक बनाया जा सके और उन्हे उनके क्षेत्रों मे उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सके यदि उनका पहले से नामांकन नहीं हुआ है। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) उनके आस–पास जैसे कि ब्लॉक या तालुक या तहसील मे कोई आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण योजनाओं के फायदाग्राही यदि आधार के लिए नामांकन करवाने में सक्षम नहीं हैं तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मे योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी संबंधित विभाग के लिए सुविधाजनक स्थानो पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों को आधार नामांकन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित पदाधिकारी या इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेब पोर्टल के जरिए अपना नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप–पैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए अपने अनुरोध रजिस्टर करने का अनुरोध किया जाए।

3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से असम, मेघालय और जम्मू– कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत होगी।

[फा. स. 9/12/2016–एसएस]

मीवा सिंह,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(SS Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2017

S.O.1284(E),—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing mulliple documents to prove one's identity;

And whereas, Ministry of Minority Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is providing assistance in the form of scholarship benefits (hereinafter referred to as benefits) for students (hereinafter referred to as beneficiaries) through the following Central Sector schemes (hereinafter referred to as the schemes):

(i) Pre-Matric Scholarship Scheme;
(ii) Post-Matric Scholarship Scheme;
(iii) Merit-Cum-Means Scholarship Scheme;

496

And whereas the aforesaid schemes involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An eligible Individual desirous of availing the benefits under the schemes is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefit under the schemes who do not possess an Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to apply for Aadhaar enrolment by 30th June 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India, (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned department in charge of implementation of the schemes in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned department in charge of implementation of the schemes in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely.–

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Ration Card, or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (iv) Passport; or (v) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under official seal of the school; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) any other documents specified by the State Government or Union territory Administration'

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the schemes to the beneficiaries under the schemes, the concerned department in charge of implementation of the schemes in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely–

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries through the institutes under the concerned department in charge of implementation of the schemes in the State Government or Union territory Administration to make them aware of the requirement of Aadhaar under the schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries of the schemes are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the concerned department in charge of implementation of the schemes in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers with other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the State Government or Union territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

3 This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 9/12/2016-SS]

NIVA SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.05.01 12:18:53 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1224] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939
No. 1224] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/VAISAKHA 12, 1939

vFkZ ,oa dkSeZsty;

vf/klwpuk

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

dkuwu 1336%-½—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार के परिदान प्रक्रिया को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धाराप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है;

और भारत सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास के लिए सीखो और कमाओ योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) संचालित कर रहा है;

और स्कीम के अंतर्गत लक्षित समूह अल्पसंख्यक युवा (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) हैं, जिन्हें संस्थानों या संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कौशल विकास पर प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान प्रतिमाह वजीफा दिया जाता है और/या प्लेसमेंट के बाद दो महीने के लिए प्लेसमेंट के बाद की सहायता भी प्रदान की जाती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) और जिसमे भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियो, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीमों के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी पात्र व्यक्ति को उसके पास आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार अभिप्रमाणन करवाना अपेक्षित है।

(2) स्कीमों के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को एतद्द्वारा 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय को अपनी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करानी अपेक्षित हैं जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या

तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय के लिए इसकी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यह अपेक्षित है कि वह यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से अथवा मंत्रालय को स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे ।

परंतु यह कि किसी व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक स्कीमों के अधीन लाभ ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर दिए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान सिलप; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, जैसा पैरा 2 के उप पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक, या (ii) मतदाता पहचान पत्र, या (iii) राशन कार्ड, या (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पीएएन) कार्ड; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) पासपोर्ट; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र शीर्ष पर ऐसे सदस्य के फोटो के साथ जारी किया गया पहचान प्रमाण–पत्र; या (viii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज :

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय इसकी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्–

(क) आवेदकों या फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के जरिए व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक बनाया जा सके और उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों से 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं हुआ है। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) उनके आस–पास जैसे कि ब्लॉक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण यदि फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन करवाने में सक्षम नहीं हैं तो मंत्रालय के लिए इसकी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों के आधार नामांकन के लिए मंत्रालय या परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा विशेष रूप से नामित संबंधित पदाधिकारियों या इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेब पोर्टल के जरिए अपना नाम, पता, मोबाइल न. और अन्य अपेक्षित विवरण देते हुए अपने अनुरोध रजिस्टर करने का अनुरोध किया जाए।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं. 8–76/2018 – एसडी]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2017

S.O. 1386(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Minority Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Scheme of Seekho aur Kamao (hereinafter referred to as the Scheme) for skill development of the minority youth;

And whereas, the target groups under the Scheme are the minority youth (hereinafter referred to as the beneficiaries) who are given training on skill development through Institutions or Organisations or Non-

Governmental Organisations (hereinafter referred to as the Project Implementing Agencies) and the trainees are paid a stipend every month for the duration of the training course undertaken and or also provided post placement support for two months after the placement (hereinafter referred to as the benefits) and which involves recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Project Implementing Agencies which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Project Implementing Agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or the Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Passport, or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on official letter head, or (viii) Any other documents as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2 In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Project Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the llowing, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Project Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other required details with the concerned officials specifically

500

designated by the Ministry or the Project Implementing Agencies or through the web portal provide for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. 8-76/2016 - SD]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

vf/M juk

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

dkyk 1387@1&—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार के परिदान प्रक्रिया को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धारप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है,

और भारत सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों के संरक्षण के लिए "विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशलों और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)" स्कीम (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) संचालित कर रहा है।

और स्कीम के अधीन लक्षित समूह अल्पसंख्यक युवा (जिसे इसके पश्चात् फायदाग्राहियों कहा गया है) हैं, जिन्हें संस्थानों या संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों (जिसे इसके पश्चात् परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान प्रतिमाह वजीफा (जिसे इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) दिया जाता है जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय शामिल है,

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्—

(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को उसके पास आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाण करवाना अपेक्षित है।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को एतद्द्वारा 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय को अपनी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक / तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय के लिए इसकी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यह अपेक्षित है कि वह यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या मंत्रालय को स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे :

परंतु यह कि किसी व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक स्कीम के अधीन प्रसुविधा ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर दिए जाएंगे, अर्थात् –

(क) (i) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप, या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, जैसा पैरा 2 के उप पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट है, और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र, या (iii) राशन कार्ड, या (iv) स्थायी खाता संख्या (पीएएन) कार्ड, या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) पासपोर्ट; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र शीर्ष पर ऐसे सदस्य के फोटो के साथ जारी किया गया पहचान प्रमाण–पत्र; या (viii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज :

परंतु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

5. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी-रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय इसकी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:—

(क) आवेदकों या फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के जरिए व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक बनाया जा सके और उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं हुआ है। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) उनके आस-पास जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण यदि फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन करवाने में सक्षम नहीं हैं तो मंत्रालय के लिए इसकी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों से आधार नामांकन के लिए मंत्रालय या परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा विशेष रूप से अभिहित संबंधित पदाधिकारियों या इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेब पोर्टल के जरिए अपना नाम, पता, मोबाइल नं और अन्य अपेक्षित विवरण देते हुए अपने अनुरोध रजिस्टर करने का अनुरोध किया जाए।

6. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[स 8-76/2016 – एसडी]

एस के देव वर्मन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2017

S.O. 1387(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Minority Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Scheme of "Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts and Crafts for Development (USTTAD) (hereinafter referred to as the Scheme) for preservation of traditional arts and crafts of minorities;

And whereas, the target groups under the Scheme are the minority youth (hereinafter referred to as the beneficiaries) who are given training through the Institutions or Organisations or Non-Governmental Organisations (hereinafter referred to as the Project Implementing Agencies) and the trainees are paid a stipend every month (hereinafter referred to as the benefit) for the duration of the training course which involves recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Project Implementing Agencies which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there

is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Project Implementing Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or the Ministry itself becoming UIDAI Registrar;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph, or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Passport; or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on official letter head; or (viii) Any other documents as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Project Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Project Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other required details with the concerned officials specifically designated by the Ministry or the Project Implementing Agencies or through the web portal provide for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. 8-76/2016 - SD]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.06 13:57:41 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1164] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2017/वैशाख 6, 1939
No. 1164] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2017/VAISAKHA 6, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2017

का.आ. 1312(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (जिसे इसमें इनके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) सड़क सुरक्षा के क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले को प्रोत्साहित करने और मान्यता प्रदान करने के लिए व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) और संगठनों को भी नकद पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाणपत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधाएं कहा गया है) प्रदान करके केंद्रीय सेक्टर स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार (जिसे इसमे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन कर रहा है।

और, पूर्वोक्त स्कीम के लिए भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्विलिन है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, उसे 31.07.2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार ऐसे फायदाग्राहियों को जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है मंत्रालय से उसके कार्यालयों के माध्यम से आधार नामांकन सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है और यदि आस-पास जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई भी आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो यह मंत्रालय अपने कार्यालयों के माध्यम से यूआइडीएआइ के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआइडीएआइ रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करवाएगा ।

परन्तु व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक ऐसे व्यक्तियों को उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात्.-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा-2 के उप-पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट उसके द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित कोई भी एक दस्तावेज:

(i) मतदाता पहचान कार्ड; या

(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) फोटो सहित बैंक पासबुक; या

(vi) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज:

परन्तु यह और कि जो उपयुक्त दस्तावेज की जांच उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधामुक्त प्रसुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपने कार्यालयों के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा अर्थात्:-

(1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रसार किया जाए और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें 31.07.2017 तक उनके क्षेत्रो मे उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्र पर स्वयं का नामांकन करवाने की सलाह दी जाए । उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी,

(2) यदि फायदाग्राही निकट पास-पड़ोस में जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो मंत्रालय और अपने कार्यालयों के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और फायदाग्राहियों से मंत्रालय अभिहित पदधारियों को या उनके कार्यालयों में या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेबपोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल संख्या तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरा देकर आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकेगा ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय राज्यों और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों मे इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. आर-25035/78/2016-आरटी (पार्ट-I)]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

505

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2017

S.O. 1312(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Road Transport and Highways (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Central Sector Scheme namely **National Award for Road Safety** (hereinafter referred to as the Scheme) by providing cash award and appreciation certificate (hereinafter referred to as the benefits) to individuals (hereinafter referred to as the beneficiaries) and also to the organisations, to encourage and recognise the best work done in of the areas of road safety,

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely.-

1 (1) An individual eligible for availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall apply for Aadhaar enrolment by 31.07.2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the Aadhaar Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its offices is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its offices shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2: and

(b) any one of the following documents:

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank Passbook or Post Office Passbook with Photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its offices shall make all required arrangements including the following, namely.-

(1) wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 31.07.2017 in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them;

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its offices shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Ministry or its offices or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. R-25035/78/2016-RT(Pt.-I)]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2017

का.आ. 1313(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियो को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआई) तथा ड्राइवर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आइटीडीआर) (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) को निधियां उपलब्ध करवाके केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम अर्थात् असंगठित सेक्टर के भारी मोटर यान चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन कर रहा है तथा इस स्कीम का उद्देश्य असंगठित सेक्टर (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) के भारी मोटर यान चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण, पठन सामग्री, चिकित्सा-जांच और बीमा-प्रसुविधा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधाएं कहा गया है) उपलब्ध कराके सड़क सुरक्षा के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना है ।

और, पूर्वोक्त स्कीम के लिए भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्विलित है ।

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, उसे 31.07.2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) पर जा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार ऐसे फायदाग्राहियों को जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है मंत्रालय मे उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से आधार नामांकन सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है और यदि आस-पास जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई भी आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो यह मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआइडीएआइ के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआइडीएआइ रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा ।

परन्तु व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक ऐसे व्यक्तियों को उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा-2 के उप-पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट उसके द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित कोई भी एक दस्तावेज:

(i) मतदाता पहचान कार्ड; या

(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) फोटो सहित बैंक पासबुक; या

(vi) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज:

परन्तु यह और कि जो उपयुक्त दस्तावेजो की जांच उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधामुक्त प्रसुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाए करेगा अर्थात्:-

(1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया और वैयक्तिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रसार किया जाए और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नही करवाया है तो उन्हें 31.07.2017 तक उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्र पर स्वयं का नामांकन करवाने की सलाह दी जाए । उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी;

(2) यदि फायदाग्राही निकट पास-पड़ोस में जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो मंत्रालय और अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और फायदाग्राहियों से कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिहित पदाधिकारियों को या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेबपोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरा देकर आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकेगा ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय राज्यों और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. आर-25035/78/2016-आरटी (पार्ट-I)]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

508

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2017

S.O. 1313(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Road Transport and Highways (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Central Sector Scheme namely, Refresher Training Programme for Heavy Motor Vehicles Drivers of Unorganized Sector (hereinafter referred to as the Scheme) by providing funds to the Driving Training Institute (DTI) and Institute for Driving Training and Research (ITDR) (hereinafter referred to as the Implementing Agencies) and the Scheme aims at inculcating the habit of road safety by providing refresher training, study materials, medical check-ups and insurance benefit (hereinafter referred to as the benefits) to the heavy motor vehicle drivers of the unorganised sector (hereinafter referred to as the beneficiaries);

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31.07.2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the Aadhaar Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Ministry itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents:

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank Passbook or Post Office Passbook with photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

509

(ix) Any other document as specified by the Ministry.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 31.07.2017 in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them;

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories, except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. R-25035/78/2016-RT(Pt.-I)]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.02 15:48:11 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1229] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2017/वैशाख 13, 1939
No. 1229] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2017/VAISAKHA 13, 1939

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

का.आ. 1392(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओ या सहाविकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियो को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और कि, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) (क) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, (ख) संस्कृति के क्षेत्र मे उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करना और (ग) मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से सांस्कृतिक अनुसंधान हेतु टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति (एक साथ जिन्हें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) स्कीमों का प्रशासन कर रहा है,

और कि, स्कीमों के अधीन छात्रवृत्ति या अध्येतावृत्ति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समितियों या राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा चयनित व्यक्तियों (जिन्हें इनमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को दो वर्ष की अवधि के लिए अर्द्ध वार्षिक आधार पर सदस्त की जाती है;

और कि, स्कीमों के अधीन प्रसुविधाओं में भारतीय संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग प्राप्त करने के किसी पात्र व्यक्ति से उसके पास आधार होने का प्रमाण देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीमों के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार सभी ऐसे पात्र फायदाग्राहियों से जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिन्होंने आधार के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है, किन्तु जो स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक हैं, 31 मई, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी, परन्तु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के हकदार हों तथा ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय से उसके ऐसे कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से जो किसी व्यक्ति से आधार उपलब्ध कराने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने आधार के लिए नामांकन प्रस्तुत नहीं किया है, आधार नामांकन सुविधाए प्रस्थापित करने की अपेक्षा है तथा संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई भी आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की दशा में, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार के रूप में सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।

परन्तु फायदाग्राहियों का आधार नियत किए जाने के समय तक, ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात्.-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान की पर्ची; या

(ii) पैराग्राफ (2) के उप-पैराग्राफ (ख) में यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए किए गए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; तथा

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कॉर्ड; या (ii) स्थायी खाता संख्यांक कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी उसके सरकारी लेटरहैड पर फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र ; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड जिसमें नाम और फोटो दिया गया हो ; या (vii) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियो को सुविधाजनक और बाधा रहित प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, अर्थात् :-

(क) फायदाग्राहियों को स्कीमों के अधीन आधार की अपेक्षा के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और उन्हें सलाह दी जाएगी कि यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है, तो 31 मई, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों

512

में अपने को नामांकित कराएं और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका या तहसील निकटतम क्षेत्र में नामांकन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आधार के लिए नामांकन करने में असमर्थ हैं तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के वर्तमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों में आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करेगा और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे मंत्रालय या कार्यान्वयन अभिकरणों के संबंधित पदधारियों या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप पैरा (3) के पहले परन्तुक के अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपने-अपने अनुरोध को रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3 यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 16018/12/2015-पीएंडबी (डीबीटी सेल)]

एम. एल. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2017

S.O. 1192(E).—Whereas the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Culture (hereinafter referred to as Ministry) in the Government of India is administering the Schemes of (a) Award of Scholarship to Young Artistes in different cultual fields, (b) Award of Fellowships to Outstanding Persons in the field of culture and (c) Tagore National Fellowship and Scholarship for Cultural Research (together hereinafter referred to as the Schemes) through Autonomous Bodies under the Ministry (hereinafter referred to as the Implementing Agencies),

And whereas, the financial assistance is provided under the Schemes in the form of scholarship or fellowship (hereinafter referred to as benefits) that is paid on a half yearly basis for a period of two years to individuals (hereinafter referred to as the beneficiaries) who are selected by Expert Committees or National Selection Committee constituted for this purpose,

And whereas, the benefits under the Schemes involve recurring expenditure from the Consolidated Fund of India,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) All eligible beneficiaries entitled to receive benefits under the Schemes, who do not possess the Aadhaar Number or, are not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Scheme shall be required to make application for Aadhaar enrolment by 31st May, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

513

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies, which requires an Individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementation Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming itself the UIDAI Registrar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiary, the benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely :-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2;

and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India ; or (ii) Permanent Account Number Card ; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by the Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by any Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head, or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) any other document as specified by the Ministry;

Provided, further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centers available in their areas by 31st May, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centers (list available on www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Schemes are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Ministry or Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 16018/12/2015-P&B (DBT Cell)]

M. L. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.04 10:33:56 IST

514

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1352] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2017/वैशाख 22, 1939
No. 1352] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017/VAISAKHA 22, 1939

पर्यटन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

का.आ. 1532(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियो के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यता को समाप्त करता है ;

और, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसके पश्चात मन्त्रालय कहा जाएगा) शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देश की विशाल पर्यटन क्षमता के दोहन का लाभ लेने के लिए कौशल अंतर को कम करने, और जनशक्ति के उन्नयन तथा प्रशिक्षित करने (जिसे इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) के मूल उद्देश्य से युवाओं में नियोजनीय कौशल के सृजन के लिए छह दिनों से छह मास की अवधि के अनेक लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिसे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन करता है।

और, पूर्वोक्त स्कीम मंत्रालय के अपने संस्थानों, राज्य होटल प्रबंध संस्थानों, पाक कला संस्थानों, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम), राष्ट्रीय पर्यटन और आतिथ्य प्रबंध संस्थान (एनआईटीएचएम), हैदराबाद, भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), केरल पर्यटन और यात्रा अध्ययन संस्थान (केआईटीटीएस), इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लि. (आईआरसीटीसी), वर्गीकृत होटल, राज्य पर्यटन विकास निगम (एसटीडीसी) तथा अन्य निर्दिष्ट कार्यान्वयन अभिकरणों (जिन्हें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से प्रस्थापित की गई है।

और, कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से प्रस्थापित पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय उपगत अन्तर्वलित है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्—

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के लिए अधिकृत होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है किन्तु स्कीमों के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है उनसे 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित है, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय अपने ऐसे कार्यान्वयन अभिकरणों के म म मे, जो किसी व्यक्ति से आधार देने की अपेक्षा करता है। ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं) .. गया है, नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा की जाती है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने या स्वयं रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा होगी:

परन्तु फायदाग्रहियों को आधार समनुदेशित किए जाने तक, स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदे प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक की पासबुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या

(iii) राशन कार्ड; या

(iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता सं. (पैन) कार्ड, या

(v) पासपोर्ट; या

(vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति ; या

(vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगी हो; या

(viii) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज,

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जाँच उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2 स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधा प्रदान करने के लिए, मन्त्रालय अपने कार्यान्वयन
3. ,रणों के माध्यम से सभी व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है अर्थात:—

(क) व्यक्तिगत आवेदकों या फायदाग्रहियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने हेतु आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए 31 मार्च 2017 तक स्वय को नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जाएगी, यदि उनका पहले से नामांकन नही किया गया है। उन्हे स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी। (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है)

(ख) यदि फायदाग्राही, ब्लाक या तहसील या तालुक में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं सृजित करने की अपेक्षा की जाती है और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकेगा कि वे कार्यान्वयन अभिकरणों के सम्बंधित अधिकारी के साथ या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर आधार के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 23012/04/2016-डीबीटी प्रकोष्ठ]

सुमन बिल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TOURISM

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2017

S.O. 1532(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Tourism in the Government of India (hereinafter referred to as the Ministry) is administering multiple short duration training programmes (hereinafter referred to as the Scheme) of six days to six months duration for creation of employable skills amongst the youth (hereinafter referred to as the beneficiaries) with the basic objective to reduce the skill gap, and to train and up-grade manpower (hereinafter referred to as the benefits) in order to capitalise on the vast tourism potential of the country both in urban as well as rural areas;

And whereas, the aforesaid Scheme is offered through the Ministry's own Institutes, State Institutes of Hotel Management, Food Craft Institutes, Indian Institute of Tourism and Travel Management (IITTM), National Institute of Tourism and Hospitality Management (NITHM), Hyderabad, India Tourism Development Corporation (ITDC), Kerala Institute of Tourism and Travel Studies (KITTS), Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC), Classified hotels, State Tourism Development Corporations (STDCs) and other designated implementing agencies (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, the aforesaid Scheme offered through the Implementing Agencies involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Schemes is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 31/03/2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies which requires an Individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Ministry itself becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card, or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely.—

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 31/03/2017 in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the Ministry or through the web portal provide for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 23012/04/2016-DBT CELL]

SUMAN BILLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.14 08:59:08 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1335] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 11, 2017/वैशाख 21, 1939
No. 1335] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 2017/VAISAKHA 21, 1939

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2017

का.आ. 1512(अ).—आधार का पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग सेवाओं अथवा सहायिकियों अथवा प्रसुविधाओं को परिदान करने में सरकारी वितरण प्रक्रिया को सरल बनाता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, तथा फायदाग्राहियों को उनके हकों को सुविधाजनक एवं परेशानी रहित ढंग से परिदान करता है एवं आधार किसी की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और यह कि, भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विभाग निर्दिष्ट किया गया है), भारत सरकार का वित्त मंत्रालय अटल पेंशन योजना (एपीवाई) (इसके पश्चात् उक्त योजना निर्दिष्ट किया गया है) का संचालन 16 अक्टूबर, 2015 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत की गई अधिसूचना तथा 19 जनवरी, ; ; और 22 मार्च, 2016 की अधिसूचनाओं के द्वारा अपने अभिदाताओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राहियों निर्दिष्ट किया गया है) के लिए किए गए संशोधन के अनुसार कर रहा है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनियामक निर्दिष्ट किया गया है) इस योजना के अंतर्गत फायदाग्राहियों की पहचान के लिए प्रक्रिया को विनियमित तथा अभिकथित करता है। स्कीम का कार्यान्वयन विनियामक के कार्यालय तथा बैंकों एवं डाकघरों (जिसे इसमें इसके पश्चात् मध्यवर्ती निर्दिष्ट किया गया है) की शाखाओं के जरिए किया जाता है।

और यह कि केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देती है तथा पात्र फायदाग्राहियों के लिए अपना सह-अंशदान (जिसे इसमें इसके पश्चात् साभ निर्दिष्ट किया गया है) करती है, जिस पर होने वाले व्यय का वहन भारत की संचित निधि से किया जाता है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय तथा अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्—

1. (1) व्यक्ति, जो योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हों, उनसे, आधार रखने अथवा आधार प्रमाणीकरण के प्रक्रियाधीन होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(2) व्यक्ति, जो योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक हो और जिसके पास आधार संख्या न हो अथवा वे आधार के लिए अभी तक नामांकित न हों, उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 15 जून, 2017 तक आधार में नामांकन के लिए आवेदन करना होगा तथा ऐसे व्यक्तियों को आधार के लिए नामांकन हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) से संपर्क करना होगा।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतनीकरण) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विनियामक अपने कार्यालयों अथवा मध्यवर्तियों, जिन्हें व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत करना अपेक्षित है, को ऐसे फायदाग्राहियों, जो अभी आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं, को आधार नामांकन की सुविधा का प्रस्ताव करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लॉक अथवा तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विनियामक को अपने कार्यालय अथवा मध्यवर्तियों के जरिए यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय के साथ अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

परन्तु यह कि जब तक व्यक्ति को आधार न दिया जाए तब तक उक्त योजना के अधीन लाभ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा, अर्थात्:—

(क) (i) यदि नामांकन करवाया हो तो आधार नामांकन आईडी पर्ची; अथवा

(ii) नीचे दिए गए पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन संबंधी अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक अथवा डाकघर पासबुक; या (ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) राशन कार्ड; या (v) सरकारी कर्मचारी पहचान-पत्र; या (vi) मतदाता पहचान-पत्र; या (vii) मनरेगा कार्ड; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या (x) किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्ष पत्र पर जारी पहचान प्रमाण-पत्र, जिस पर सदस्य का फोटो लगा हो; या (xi) विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह कि उपर्युक्त दस्तावेज की जांच उक्त प्रयोजन हेतु विनियामक द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा निर्विघ्न लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विनियामक अपने कार्यालय तथा मध्यवर्तियों के जरिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं अर्थात्:—

(क) मीडिया तथा व्यक्तिगत सूचना के जरिए व्यापक प्रचार करके फायदाग्राहियों को योजना के अधीन आधार की आवश्यकता की जानकारी दी जाए और यदि वे आधार के लिए पहले से नामांकित न हों तो उन्हें अपने क्षेत्र में निकटतम आधार नामांकन केंद्र में 15 जून, 2017 तक नामांकन करवाने की सलाह दी जाए। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) उन्हें उपलब्ध कराई जाए।

(ख) यदि योजना के फायदाग्राही अपने निकटवर्ती क्षेत्रों, जैसे ब्लॉक अथवा तालुक या तहसील में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन न करवा सकें तो विनियामक को अपने कार्यालयों और मध्यवर्तियों के जरिए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध करना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों को इस प्रयोजन हेतु अपना नाम, पता, मोबाइल संख्या तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट, अन्य ब्यौरा वेब पोर्टल के जरिए या विनियामक के संबंधित पदधारी अथवा मध्यवर्ती को उपलब्ध कराना होगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू - कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11/14/2016-पीआर]

सुचीन्द्र मिश्र, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2017

S.O. 1512(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Financial Services (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Finance in the Government of India is administering the Scheme of Atal Pension Yojana (APY) (hereinafter referred to as the Scheme) as notified under Gazette Notification dated the 16th October, 2015 and as amended *vide* notifications dated the 19th January, 2016 and 22nd March, 2016 for its subscribers (hereinafter referred to as the beneficiaries). The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) (hereinafter referred to as the Regulator) regulates and lays down the procedure for identification of the beneficiaries under the Scheme. The Scheme is implemented through the Regulators' Offices and branches of the Banks and Post offices (hereinafter referred to as the Intermediaries),

And whereas, the Central Government guarantees the minimum monthly pension and makes its co-contribution (hereinafter referred to as the benefits) for the eligible beneficiaries for which the expenditure is incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing or receiving benefits under the Scheme but does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 15th June, 2017 provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Regulator through its offices and the Intermediaries, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Regulator through its offices and the Intermediaries is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Voter Identity Card; or (vii) MGNREGS card; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (xi) Any other document as specified by the Regulator;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Regulator for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Regulator through its Offices and the Intermediaries shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 15th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries of the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Regulator through its offices and the Intermediaries are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Regulator or the Intermediary or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 11/14/2016-PR]

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.13 11:33:07 +05'30'

522

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1389] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2017/वैशाख 26, 1939
No. 1389] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2017/VAISAKHA 26, 1939

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2017

का.आ. 1574(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियो को और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और भारत सरकार में रसायन और उर्वरक मत्रालय, औषध विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) केन्द्रीय सेक्टर स्कीम, अर्थात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के छात्रों को छात्रवृत्ति का कार्यान्वयन कर रहा है;

और इस स्कीम के अधीन छात्रवृत्ति, वृत्तिका या मकान किराया भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) के प्ररूप में फार्मा विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरा कर रहे छात्रों को या कनिष्ठ अध्येता या ज्येष्ठ अध्येता (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को वित्तीय सहायता दी जाती है जिसके लिए सहायता अनुदान इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए देशभर में क्रियाशील विभिन्न नाईपरों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) को सौंपा गया है;

और पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचना करती है, अर्थात्:-

(1) (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने वाले किसी इच्छुक व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक कोई व्यष्टि जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, से तारीख 30.06.2017 तक आधार नामांकन के लिए नाम करना अपेक्षित है, परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और नजदीकी अर्थात ब्लॉक तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न होने की दशा में विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू.आई.डी.ए.आई. के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा।

परंतु उस समय तक जब तक इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही व्यष्टि को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात्

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, उसका आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक अर्थात्:-

(i) मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) बैंक या डाकघर पासबुक जिसमें फोटो चिपका हो, या

(v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालान अनुज्ञप्ति; या

(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच उक्त प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2 इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात:-

(क) इस स्कीम के फायदाग्राहियों के बीच मीडिया के माध्यम से और व्यष्टिक सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार करेगा ताकि उन्हें इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में तारीख 30.06.2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सके। स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उनको उपलब्ध करा दी जाएगी।

यदि फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास जैसे ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा करेगा तथा स्कीम के फायदाग्राही अपने नाम,पता, मोबाइल नम्बर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरों के साथ विभाग के संबद्ध पदधारी या कार्यान्वयन अभिकरण या इस प्रयोजन के लिए उपबंधित पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कर सके।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 50020/26/2016-नाईपर (भाग)]

रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2017

S.O. 1574(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Pharmaceuticals (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Chemicals and Fertilizers in the Government of India is implementing the Central Sector Scheme, namely, Scholarship to the students of National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) (hereinafter referred to as the Scheme);

And whereas, under the Scheme, financial assistance in the form of scholarships, stipends or House Rent Allowances (hereinafter referred to as the benefit) is given to the students pursuing Master of Science in Pharma or Junior Research Fellows or Senior Research Fellows (hereinafter referred to as the beneficiaries) in NIPER, for which Grants-in-Aid are given to various NIPER Institutes (hereinafter referred to as the Implementing Agency) operating across the country for implementation of the Scheme;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely.-

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make an application for Aadhaar enrolment by 30.06.2017 in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of absence of any Aadhaar enrolment centre in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) Voter Identity Card; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Bank or Post office Passbook with Photo; or
(v) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(vi) Any other document as specified by the Central Government.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit to the beneficiaries under the Scheme, the Department through its Implementing Agency shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30.06.2017 in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the nearby vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Department or the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No.50020/26/2016-NPER(Part)]

RAJNEESH TINGAL, Jt. Secy,

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 20 7.05.17 +5:30 +05:30

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1527] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2017/ज्येष्ठ 9, 1939
No. 1527] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2017/ JYAISTHA 9, 1939

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1723(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियो को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है,

और भारत सरकार का रसायन और उर्वरक मंत्रालय का औषध विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) सभी के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाइया उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) की केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम का प्रशासन कर रहा है।

और इस स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्र कहा गया है) को खोलने के लिए और संवर्धित मूल्य श्रृंखला पण्धारकों अर्थात् कैरिंग एंड फॉर्वर्डिंग एजेन्टो और वितरकों को नियुक्त करने के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र औषध उपक्रम ब्यूरो (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) को नियुक्त किया है।

और इस स्कीम के अधीन केन्द्र स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तियों या स्थानीय सरकारी अभिकरणों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अधीन केन्द्रों के वैयक्तिक स्वामियों (जिन्हें इसमे इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) दवाइयों की मासिक बिक्री पर आधारित होती है जिसमें भारत संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अत., अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य) सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओ का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति से आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है और जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की हकदार है, तो दिनांक 30 जून, 2017 तक आधार के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी और ऐसे व्यक्ति का आधार नामांकरण प्राप्त करने के लिए आधार नामांकरण केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी। जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है और यदि ब्लाक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है विभाग से उसके क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय रजिस्ट्रार के साथ समन्वय से या विभाग द्वारा स्वयं ही विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की अपेक्षा होगी।

परन्तु किसी व्यक्ति का आधार नियत किए जाने तक, ऐसे व्यक्ति को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन दी जाएंगी, अर्थात् : -

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, उसका आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज:

(i) मतदाता पहचान कार्ड; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन पत्रिका; या

(v) फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक

(vi) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा अधिकारिक उसके शासकीय पत्र पर जारी पहचान प्रमाण पत्र जिसमें उसका फोटो हो; अथवा

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

4. स्कीम के अधीन, फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधा रहित प्रसुविधा उपलब्ध कराने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं प्रबंध करेगा, अर्थात:

(क) फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से और उन्हें व्यक्तिगत सूचनाएं देकर इसका व्यापक प्रचार किया और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं कराया है तो उनको सलाह दी जाए कि वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्र में 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करा लें। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो विभाग से उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करने की अपेक्षा होगी, तथा फायदाग्राहियों से उसका नाम, पता, मोबाइल नम्बर और अन्य अपेक्षित विवरण देकर विभाग के संबंधित पदधारियों या कार्यान्वयन अभिकरण या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराने का अनुरोध किया जा सकेगा।

529

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 35022/01/2017-आईसी]

सुधाश पंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1723(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers in the Government of India (hereinafter referred to as the Department) is administering the Central Sector Scheme of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (hereinafter referred to as the Scheme) with a view to achieving the objective of making available quality generic medicines at affordable prices to all;

And whereas, to achieve the objectives of the Scheme, the Department has appointed the Bureau of Pharma Public Sector Undertakings of India (hereinafter referred to as the Implementing Agency) to open Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendras (hereinafter referred to as the Kendras) and to appoint the related value chain stakeholders, namely Carrying and Forwarding Agents and Distributors.

And whereas, financial assistance is given to the Non-government organisations, individuals or local government agencies for setting up the Kendras under the Scheme. The incentive (hereinafter referred to as benefits) offered to the individual owners of the Kendras under the Scheme (hereinafter referred to as the beneficiaries) is based on monthly sales of medicines, which involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Any individual eligible for availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30.06.2017 in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by the Department itself becoming Unique Identification Authority of India Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents:

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank or Post Office Passbook with Photo

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted Officer or Tehsildar on official letter head; or

(vii) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Department.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department through its Implementing Agency shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30.06.2017 in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centers in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other required details, with the concerned officials of the Department or the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except in the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 35022/01/2017-IC]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1500] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ ज्येष्ठ 5, 1939
No. 1500] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2017

का.आ. 1695(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में सामर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) दीनदयाल अंत्योदय योजना स्कीम-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(डीएवाई-एनयूएलएम) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का संचालन कर रहा है गरीबी और शहरी गरीब परिवारों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) की असुरक्षा को कम करने के उद्देश्य से उन्हें लाभप्रद स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर सुलभ कराने में और उपयुक्त स्थानों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार के अवसर और कौशल (जिन्हे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) उपलब्ध कराकर सक्षम बनाया जाएगा;

और, स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के अधीन शहरी विकास या नगर प्रशासन या स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी अन्य किसी संबंधित विभाग के अधीन विभिन्न मूलभूत स्तर के संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है;

और, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि में से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओ का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुपालन में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक पात्र किसी व्यष्टि जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र, (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) से संपर्क कर सकता है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग अथवा प्राधिकरण जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, कि ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है और उस दशा में जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आस-पास के क्षेत्र में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, वहां राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग या प्राधिकरण से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रार से समन्वय करते हुए सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कर सकेगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा:

परन्तु इस समय जब तक इस स्कीम के अधीन ऐसे फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध पत्र की एक प्रति, जैसा कि पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट किया गया है, और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पास बुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशनकार्ड; या (iv) स्थाई लेखा संख्या (पैन)कार्ड; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) पासपोर्ट; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) किसी सरकारी शीर्ष नाका पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी ऐसे सदस्य के फोटोयुक्त पहचान का प्रमाण-पत्र, या (ix) राज्य सरकार द्वारा अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशेष रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान कराने के उद्देश्य से, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात:—

(क) इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को फायदा प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में उन्हें जागरूक कराने के लिए मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिक सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से ही नामांकन नहीं कराया है, तो वे अपने क्षेत्रों में उपलब्ध समीपतम नामांकन केन्द्रों में जून 30, 2017 तक स्वयं का नामांकन करा सकें । उपलब्ध स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) यदि, फायदाग्राही आस-पास के क्षेत्र जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने के कारण नामांकन नहीं करा पाते हैं तो राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग अथवा प्राधिकरण सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे विशेष रूप से राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियुक्त संबंधित अधिकारियों के पास अपना नाम, पता, मोबाइल नं. और अन्य अपेक्षित विवरण

देकर आधार नामांकन के लिए या इस प्रयोजनार्थ दिए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में इस राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

[फा. सं. जी-24011/6/2014-यूपीए (एफटीएस : 10625)]

संजय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2017

S.O. 1695(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Scheme of Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM) (hereinafter referred to as the Scheme)** with the objective of reducing poverty and vulnerability of the urban poor households (hereinafter referred to as the beneficiaries) by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities and by facilitating access to suitable spaces, institutional credit, social security, employment opportunities and skills (hereinafter referred to as the benefits);

And whereas, the Scheme is implemented through various grassroots level institutions under the Department of Urban Development or the Municipal Administration or any other concerned Department responsible for the implementation of the Scheme under the State Governments and Union territory Administrations;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme under the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or the Department or authority itself becoming UIDAI Registrar.

Provided that till Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook containing photograph, or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Passport; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on official letter head; or (ix) any other documents as specified by the State Government or Union territory Administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme under the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme under the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details, with the concerned officially designated by the State Government or Union territory Administration or through the web portal provide for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. G-24011/6/2014-UPA (FTS: 10625)]

SANJAY KUMAR, Jt. Secy

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.25 19:51:29 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1530] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2017/ज्येष्ठ 9, 1939
No. 1530] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2017/ JYAISTHA 9, 1939

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1726(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रुप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियो को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियो को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है :

और भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात "मंत्रालय" कहा गया है), अनुसूचित जनजाति के छात्रों (जिन्हे इसमें इसके पश्चात 'फायदाग्राहियों कहा गया है) के लिए नीचे की सारणी के अनुसार संबंधित कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित स्कीमों (जिन्हे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन करता है, नामत: -

क्रम सं.	स्कीम का नाम	स्कीम का प्रकार	कार्यान्वयन अभिकरण
1.	कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम;	केन्द्रीय रुप प्रायोजित स्कीम	राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन
2	अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति;	केन्द्रीय रुप प्रायोजित स्कीम	राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन
3.	अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के उच्चतर शिक्षण हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति;	केन्द्रीय सेक्टर स्कीम	सीधे मंत्रालय द्वारा : - छात्रों को अध्येतावृत्ति भुगतान किया गया -छात्रवृत्ति को 2 भागों में बांटा गया, एक भाग छात्रो के लिए तथा दूसरा संबंधित संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के लिए

4	अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति;	केन्द्रीय सेक्टर स्कीम	विदेश मंत्रालय के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है

और पूर्वोक्त स्कीमों में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतरविलित है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात :-

1. (1) स्कीमों के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार संख्यांक होने या आधार प्रमाणीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करे।

(2) स्कीमों के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करेगा, परन्तु उक्त आधार अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षित है कि वह अपने कार्यान्वयन विभागों तथा मैट्रिकपूर्व या उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए जिन्होंने आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं करवाया है और ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे समीपवर्ती स्थान में कोई आधार नामांकन केंद्र के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षित होगा कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराएं या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का रजिस्ट्रार बनकर तथा नामांकन अभिकरणों के रूप में मैट्रिकपूर्व या उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को नियुक्त करके आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराएं।

परन्तु केंद्रीय सेक्टर स्कीमों हेतु, मंत्रालय से यह अपेक्षित है कि वह अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करे जिन्होंने आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तथा समीपवर्ती स्थान में किसी आधार नामांकन केंद्र के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।

परन्तु यह और कि उस समय तक जब व्यक्ति को आधार सौंपा जाता है, ऐसे व्यक्ति स्कीमों के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात;

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसका आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध जैसा पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट है; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज, अर्थात :-

(i) मतदाता पहचान पत्र, या

(ii) स्थायी खाता संख्या के (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक जिसमें आवेदक की फोटो हो; या

(vi) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लेटर हेड पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो के पहचान का प्रमाण-पत्र; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुशासन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पास बुक; या

(ix) मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा या विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह भी उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीमों के अधीन सुविधाजनक रूप से और निर्बाध प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने कार्यान्वयन विभागों के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्थाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्था करेंगे:-

(क) स्कीमों के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के लिए शैक्षिणिक संस्थाओं के माध्यम से फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करना तथा यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्रों के समीपवर्ती नामांकन केन्द्र में अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) यदि, समीपवर्ती स्थान जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण फायदाग्राही अपना नामांकन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं तो यह अपेक्षित है कि मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों या राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने कार्यान्वयन विभागों के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं और फायदाग्राहियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या शैक्षिक संस्थानों के संबंधित पदाधिकारियों के साथ या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब-पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और पैरा-1 उप-पैरा (3) के दूसरे परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए अपने आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू - कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 19012/01/2017-शिक्षा]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1726(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Tribal Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the following Schemes (hereinafter referred to as the Schemes) through the respective implementing agencies as per the table below for the Scheduled Tribe students (hereinafter referred to as the beneficiaries), namely :-

Sr. No.	*Name of the Scheme*	*Type of Scheme*	*Implementing Agencies*
1	Pre-matric Scholarship Scheme for Scheduled Tribe Students Studying in Class IX and X	Centrally Sponsored Scheme	State Government and Union territory Administration
2	Post-Matric Scholarship for Scheduled Tribe Students	Centrally Sponsored Scheme	State Government and Union territory Administration
3	National Fellowship and Scholarship for Higher Education of Scheduled Tribe Students	Central Sector Scheme	Directly by the Ministry: - Fellowship is paid to the student - Scholarship is divided into two components with one part for student and other for corresponding institute or college or university
4	Scholarship to the Scheduled Tribe Students for studies abroad	Central Sector Scheme	The financial assistance is offered through Ministry of External Affairs

And whereas, the aforesaid Schemes involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India,

Now therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing benefits under the Schemes is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by the 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, for the Centrally Sponsored Schemes the State Government or Union territory Administration through its Implementing Departments and its pre-matric or higher education institutions are required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of absence of any Aadhaar enrolment centre in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar and engaging Pre-Matric or Higher education institutions as enrolment agencies :

Provided that for Central Sector Schemes, the Ministry through its implementing agencies is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of absence of any Aadhaar enrolment centre in the vicinity, the Ministry through its implementing agencies is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI).

Provided further that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents, namely :-

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card, or

(v) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Ministry or the State Government or Union territory Administration :

Provided also that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Schemes, the Ministry through its Implementing Agencies or the State Government or Union territory Administration through its Implementing Departments shall make all required arrangements including the following, namely.-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries through educational institutions where beneficiaries are enrolled to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by the 30th June 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies or the State Government or Union territory Administration through its Implementing Departments is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the second proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Ministry or the State Government or Union territory Administration or the educational institutions or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the state of Jammu and Kashmir.

[F No No. 19012/01/2017-Edu]

RAJESH AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1727(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात "मंत्रालय" कहा गया है), गैर-सरकारी संगठनों या स्वैच्छिक संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से केंद्रीय सेक्टरल स्कीम अर्थात् अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन कर रहा है,

और, कार्यान्वयन अभिकरण को सहायता अनुदान के रूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता जिसके माध्यम से उसके ऐसे व्यक्ति कृत्यकारियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कृत्यकारी कहा गया है), जो अपनी सेवाएं देते हैं मानदेय उपलब्ध कराया जाता है, तथा इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वृत्तिका, आजीविका व्ययों तथा फीस उपलब्ध करवाई जाती है;

तथा, कृत्यकारियों और व्यक्ति फायदाग्राहियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को संदत्त मानदेय, वृत्तिका, आजीविका व्यय तथा फीस (जिन्हें इसमें इसके पश्चात संयुक्त रूप से प्रसुविधाएं कहा गया है) के रूप में वित्तीय सहायता भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्विलित है;

अतः, अब केन्द्रीय आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अनुसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार संख्यांक होने या आधार प्रमाणीकरण कराने का प्रमाण प्रस्तुत करे।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने का इच्छुक किसी व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का / की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय से, उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है, जिनका आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तथा यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं होने की स्थिति में, मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा है.

परन्तु व्यक्ति को आधार दिए जाने के समय तक, ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात् :-

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज अर्थात्,-

(i) मतदाता पहचान-कार्ड; या

(ii) स्थायी खाता संख्या के (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) फोटो सहित बैंक अथवा डाकघर पासबुक; या

(vi) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी लेटर हेड पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो वाले पहचान का प्रमाण-पत्र; अथवा

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि, उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधामुक्त प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

(क) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में स्वयं को 30 जून, 2017 तक नामांकित कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्रों में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं तो मंत्रालय ने उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा है, तथा फायदाग्राहियों से, मंत्रालय के संबंधित पदधारियों या कार्यान्वयन अभिकरण के पास या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से प्रावधान में दिए गए अन्य आवश्यक ब्यौरे सहित अपना नाम, पते और मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराने का अनुरोध किया जाए।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 19012/01/2017-शिक्षा]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1727(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity,

And whereas, the Ministry of Tribal Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Central Sector Scheme namely, Scheme of Grant-in-Aid to Voluntary Organisations working

for welfare of members of Scheduled Tribes (hereinafter referred to as the Scheme) through Non-Governmental Organisations and Voluntary Organisations (hereinafter referred to as the Implementing Agencies),

And whereas, financial Assistance in the form of Grant-in-Aid is provided to the Implementing Agencies which in turn provide honorarium to its individual functionaries who render their services (hereinafter referred to as the functionaries) and further, provide stipend, living expenses and fees to the Scheduled Tribes students (hereinafter referred to as Individual beneficiaries);

And whereas, the financial assistance in the form of honorarium, stipend, living expenses, fees, (hereinafter collectively referred to as the benefits) paid to the Functionaries and Individual Beneficiaries (hereinafter collectively referred to as the beneficiaries), involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by the 30th June 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents, namely :-

(i) Voter Identity Card, or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card, or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Ministry

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by the 30th June 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies is required to create

Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Ministry or the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except in the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. No. 19012/01/2017-Edu]

RAJESH AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1728(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का अनुसूचित जनजातीय मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही व्यक्ति कहा गया है) उनके ऐसे कृत्यकारी व्यक्तियों के लिए, जो अपनी सेवाएं दे रहे है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कृत्यकारी कहा गया है) मानदेय का संदाय करने के लिए, निधियां तथा छात्रवृत्तियां, जीविका व्यय, चिकित्सीय सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, निधियां उपलब्ध करवा कर सेक्टरल स्कीम, अर्थात् विनिर्दिष्ट रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) का कार्यान्वयन कर रहा है।

और कृत्यकारियों और फायदाग्राही व्यक्तियों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से फायदाग्राही कहा गया है) दिए जाने वाले मानदेय, वृत्तिका, जीविका व्यय तथा फीस और चिकित्सा सहायता जैसी सेवाओं (जिन्हें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) के रूप में निधियों और भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ति व्यय अंतर्वलित है,

अतः, अब केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अनुसूचित करती है, अर्थात्: :-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार संख्यांक होने या आधार प्रमाणीकरण करने का प्रमाण प्रस्तुत करे।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है 30 सितम्बर, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (यूनी यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाए उपलब्ध कराने की अपेक्षा है, जिनका आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तथा यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में किसी आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं होने की स्थिति में, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सम्बन्धित विभाग से यह अपेक्षा है कि वह यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराएं।

परन्तु व्यक्ति को आधार दिये जाने के समय तक, ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात:-

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; अथवा

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज अर्थात् :-

(i) मतदाता पहचान कार्ड; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट, या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक; या

(vi) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी लेटर हेड पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो वाले पहचान का प्रमाण-पत्र; अथवा

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) मंत्रालय या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज,

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से उस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों सुविधाजनक और बाधामुक्त प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का संबंधित विभाग निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्: -

(क) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने हेतु फायदाग्राहियों को आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने लिए मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में स्वयं को 30 सितम्बर, 2017 तक नामांकित कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि फायदाग्राही ब्लाक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं तो स्कीम के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के संबंधित विभाग से सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा है, तथा फायदाग्राहियों से राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के संबंधित विभाग के अभिहित पदधारियों के पास या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध किसी वेब पोर्टल के माध्यम से, प्रावधान में दिए गए अन्य आवश्यक ब्यौरे सहित अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत करने के लिए अनुरोध किया जाए।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 19012/01/2017-शिक्षा]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1728(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Tribal Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Central Sector Scheme namely Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) (hereinafter referred to as the Scheme) by providing funds to State Governments and Union territory Administrations for paying honorarium to its individual functionaries who render their services (hereinafter referred to as functionaries) and providing funds and in-kind services namely, scholarships, living expenses, medical assistance, to members of Scheduled Tribes (hereinafter referred to as individual beneficiaries);

And whereas, funds in the form of honorarium, stipend, living expenses, fees, and in-kind services namely, medical assistance, (hereinafter collectively referred to as benefits) are given to the Functionaries and individual

beneficiaries (hereinafter collectively referred to as the beneficiaries), which involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by the **30th September, 2017**, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrollment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme are required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip, or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card, or

(v) Bank Passbook or Post office Passbook with photo, or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook, or

(ix) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose

2 In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department in the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme shall make all required arrangements including the following, namely.—

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by the **30th September, 2017** in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the concerned Department in the State Government or Union territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

3 This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except in the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 19012/01/2017-Edu]

RAJESH AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1729(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मंत्रालय" कहा गया है), व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और प्रचलन के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों तथा अन्य अभिकरणों अर्थात् गैर-सरकारी अथवा स्वैच्छिक संगठनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् समुक्त रूप से कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और चलाने के लिए निधियां प्रदान करके केंद्रीय सेक्टरल स्कीम, अर्थात् जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन कर रहा है;

और, कार्यान्वयन अभिकरणों को उपलब्ध निधियों से उसके कृत्यकारियों और प्रशिक्षकों को मानदेय का संदाय तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, निर्वाहन व्ययों तथा फीसों का संदाय भी किया जाता है;

और, कृत्यकारियों और छात्रों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात संयुक्त रूप से फायदाग्राही कहा गया है), मानदेय, वृत्तिका, निर्वाहन व्यय तथा फीस (जिन्हें इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय सम्मिलित है,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अनुसूचित करती है, अर्थात् :–

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार संख्यांक होने या आधार प्रमाणीकरण करने का प्रमाण प्रस्तुत करे।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग के इच्छुक किसी व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का या की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय ने उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से या स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन के संबंधित विभाग से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा है तथा यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या सहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में कोई आधार नामांकन केंद्र के नहीं होने की स्थिति में मंत्रालय, अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से या संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का संबंधित विभाग यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी.

परन्तु व्यक्ति को आधार दिए जाने के समय तक, ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात् :–

(ख) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ग) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज अर्थात् :–

(i) मतदाता पहचान-कार्ड; या

546

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड, या

(v) फोटो सहित बैंक अथवा डाकघर पासबुक; या

(vi) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सरकारी लेटर हेड पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो वाले पहचान का प्रमाण पत्र; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परन्तु यह और कि, उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किसी विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी, पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधामुक्त प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से या स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात् :-

(क) स्कीम के अधीन प्रसुविधाए प्राप्त करने हेतु फायदाग्राहियों को आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में 30 जून, 2017 तक स्वयं को नामांकित कराने की सलाह दी जाए। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ख) यदि फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते है तो मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से या स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग से सुविधाजनक स्थान पर आधार रजिस्ट्रीकरण सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा है, तथा फायदाग्राहियों से मंत्रालय के अभिकरणों के या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग अभिहित पदधारियों के पास या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध किसी वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराने का अनुरोध किया जा सकेगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 19012/01/2017-शिक्षा]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1729(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Tribal Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Central Sector Scheme namely, Scheme of Vocational Training in Tribal Areas (hereinafter referred to as the Scheme) by providing funds to the State Governments, Union territory Administrations and other agencies namely, Non-Governmental or Voluntary Organisations (hereinafter collectively referred to as the Implementing Agencies) for setting up and running the vocational training centres;

547

And whereas, funds provided to the Implementing Agencies are towards the payment of honorarium to its functionaries and trainers and also for paying living expenses and fees to the Scheduled Tribes students who are undergoing training in the vocational training centres;

And whereas, financial assistance in the form of honorarium, stipend, living expenses and fees (hereinafter referred to as the benefits) is given to the functionaries and students (hereinafter collectively referred to as the beneficiaries), which involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by the 30th June 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAIC www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies or the concerned Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies or the concerned Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents, namely :-

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Ministry or the State Government or Union territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies or the concerned Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) in case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies or the concerned Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agencies of the Ministry or the concerned Department in the State Government or Union territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 19012/01/2017-Edu]

RAJESH AGGARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1730(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है :

और भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लि. (ट्राइफेड) तथा राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात संयुक्त रूप से कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से केन्द्रीय सेक्टर स्कीम अर्थात जनजातीय उत्पादों तथा उपज के विकास तथा विपणन हेतु संस्थागत समर्थन, का कार्यान्वयन कर रहा है;

और कार्यान्वयन अभिकरणों को ऐसे कृत्यकारियों के जो सेवा प्रदान करते हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कृत्यकारी कहा गया है) को मानदेय तथा अन्य प्रसुविधाओं के संदाय हेतु और इसके अतिरिक्त व्यक्तियों से सीधे या सहकारी सोसाइटियों के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, उत्पादों तथा उपज को खरीदने हेतु प्रशिक्षण और निधियां उपलब्ध कराने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है;

और कार्यकृत्यकारियों और व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात संयुक्त रूप से फायदाग्राही कहा गया है) को जनजातीय हस्तशिल्प, उत्पादों तथा उपज को खरीदने (जिन्हें इसके पश्चात संयुक्त रूप से प्रसुविधाएं कहा गया है) हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण या वित्तीय सहायता भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं को लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अनुसूचित करती है, अर्थात: :–

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार संख्यक होने या आधार प्रमाणीकरण करने का प्रमाण प्रस्तुत करे ।

(2) राज्य स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास आधार कार्ड नहीं है या जिसने अभी तक अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं करवाया है यह अपेक्षित है कि वह 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करें, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आदि से उसके ऐसे अधिकारियों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की अपेक्षा है तथा संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्रों में कोई आधार नामांकन केंद्र के नहीं होने की स्थिति में, मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से तथा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से उसके अभिकरणों के माध्यम से, यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा है ।

549

परन्तु उस समय तक, जब तक व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं के निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अध्यधीन दी जाएंगी अर्थात:

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; अथवा

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज, अर्थात :-

(i) मतदाता पहचान कार्ड; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक जिसमें अभेदक की फोटो हो, या

(vi) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लेटर हेड पर जारी ऐसे सदस्य की फोटो के पहचान का प्रमाण-पत्र; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पास बुक; या

(ix) मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह और कि, उक्त दस्तावेजों की जांच, मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधा उपलब्ध कराने हेतु, मंत्रालय के अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात् :-

(क) स्कीमों के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को आधार की आवश्यकता के प्रति जागरुक बनाने के लिए मीडिया तथा व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें उनके निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में 30 जून, 2017 तक स्वयं को नामांकित कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ख) यदि, निकट ब्लॉक या ताल्लुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण फायदाग्राहि अपना नामांकन कराने में समर्थ नहीं हो पाते हैं तो मंत्रालय से यह अपेक्षित है कि वह अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से या राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा फायदाग्राहियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के कार्यान्वयन अभिकरणों, संबंधित पदाधिकारियों या उनके कार्यान्वयन अभिकरणों के पास या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब-पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और पैरा-1 उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देते हुए अपना आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराए।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 19012/01/2017-शिक्षा]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

550

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1730(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Tribal Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the Central Sector Scheme namely, Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products and Produce (hereinafter referred to as the Scheme) through the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED) and the State Tribal Development Cooperative Corporations (STDCCs) under the State Governments or Union territory Administrations (hereinafter collectively referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, Grant-in-Aid is provided to the Implementing Agencies for paying honorarium and other benefits to its functionaries who render services (hereinafter referred to as functionaries) and further for providing training and funds for buying tribal handicrafts, products and produce directly from individuals or through network of cooperative societies;

And whereas, the training or financial assistance for buying tribal handicrafts, products and produce (hereinafter collectively referred to as benefits) is offered to the functionaries and individuals (hereinafter collectively referred to as the beneficiaries), involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by the 30th June, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the Aadhaar Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAIC www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies or the State Government or Union territory Administration through its Agencies are required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies or the State Government or Union territory Administration through its Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI :

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely,-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip, or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents, namely :—

(i) Voter Identity Card, or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head, or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Ministry or the State Government or Union territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies or the State Government or Union territory Administration through its Agencies shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them;

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies or the State Government or Union territory Administration through its Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Implementing Agencies of the Ministry or the State Government or Union territory Administration or their Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except in the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 19012/01/2017-Edu]

RAJESH AGGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.06.01 14:56:54 +05'30'

552

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (II)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2584] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 2017/भाद्र 16, 1939
No. 2584] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2017/BHADRA 16, 1939

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2017

का.आ. 2946(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (जिसे इसमें इसके बाद मंत्रालय कहा गया है), भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को अनुदान, केंद्रीय क्षेत्र के अनुदान सहायता जिसे संस्थान के स्नातक, स्नातकोत्तर, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति और वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के विद्यार्थियों तथा अध्येताओं (जिन्हें इसमें इसके बाद लाभार्थी कहा गया है) को छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाता है।

और पूर्वोक्त स्कीमों में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय आवर्ती व्यय सम्मिलित है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं तथा सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(1) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के ऐसे सभी विद्यार्थियों तथा अनुसंधान अध्येताओं, जो इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं, से यह अपेक्षित होगा कि वे आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार का अधिप्रमाणन करवाएं।

(2) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का ऐसा कोई भी विद्यार्थी या अनुसंधान अध्येता जो इन स्कीमों के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पात्र हैं परंतु उसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, उसे आधार नामांकन के लिए स्कीम में सम्मिलित होने के तीस दिनों के अंदर तक आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार पाने का हकदार हो; और ऐसे विद्यार्थी अथवा अनुसंधान अध्येता किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथोरिटी की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाकर आधार के लिए अपना नामांकन करवा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के नियम 12 के अनुसार, मंत्रालय भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है तथा यदि संबंधित जिला, ब्लॉक, ताल्लुक अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, तो मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारो के समन्वय से सुविधाजनक स्थलों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगी;

परन्तु आधार संख्यांक समानुदेशित किये जाने तक, किसी विद्यार्थी या अनुसंधान अध्येता उसे इन स्कीमों के अंतर्गत देय छात्रवृत्ति या अध्येतावृत्ति निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जा सकेगी, अर्थात:-

(क) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा जारी छात्र पहचान पत्र; और

(ख) (i) यदि छात्र या छात्रा ने नामांकन कराया है, तो उनके आधार नामांकन की पहचान पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) मे यथा विनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए किए गए छात्र या छात्रा के अनुरोध की प्रति; और

(ग) (i) बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक फोटो सहित: या

(ii) स्थायी खाता संख्यांक कार्ड या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति, या

(vii) किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी किसी व्यक्ति का फोटो सहित, पहचान पत्र; या

(viii) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज ।

परन्तु उक्त दस्तावेजों की भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2. स्कीम के अधीन छात्रों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदा प्रदान करने के उद्देश्य से, मंत्रालय भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के माध्यम से सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात:-

(1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार करके आधार संख्यांक की अपेक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें यह सलाह दी जा सकेगी कि वे अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में स्कीम में सम्मिलित होने के तीस दिनो के अंदर तक नामांकन करवाएं, यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं और स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रो की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) फायदाग्राहियों के आस-पास नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ होने की दशा में मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध

कराए और फायदाग्राहियों से अपने पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ अपने नामों को पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरों के साथ मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट संबंधित पदधारियों या कार्यान्वयन एजेंसी या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल पर अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होगी ।

[फा.सं.I-12011/15/2016-आईएसआई]
अरुण कुमार यादव संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(CENTRAL STATISTICS OFFICE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2017

S.O. 2946(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity,

And whereas, the Ministry of Statistics and Programme Implementation (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India gives grants to the Indian Statistical Institute (ISI), under its Central Sector Scheme of 'Grant-in-Aid to Indian Statistical Institute' to be used for providing stipends or fellowships (hereinafter collectively referred to as the benefit) to the students and fellows (hereinafter collectively referred to as beneficiaries) under its undergraduate, post-graduate, junior research fellowship and senior research fellowship programmes (hereinafter referred to as the Schemes);

And whereas, the aforesaid Schemes involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:

1. (1) All students and research scholars of the Indian Statistical Institute who are eligible to receive benefits under the Schemes are required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication

(2) Any student or research scholar of the Indian Statistical Institute who is eligible to receive benefits under the Schemes, but has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment within thirty days of his or her engagement under the scheme, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such student or research scholar may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through Indian Statistical Institute, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective District, Block, Taluka or Tehsil, the Ministry through Indian Statistical Institute shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to a student or research scholar, she or he shall be allowed to receive the stipend or fellowship due to her or him under the Schemes, subject to the production of the following documents, namely,-

(a) Student identity card issued by the Indian Statistical Institute; and

(b) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub paragraph (2) of paragraph 2; and

(c) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card, or

(vi) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or

(vii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or Tehsildar on official letter head; or

(viii) any other document as specified by the Ministry

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the Indian Statistical Institute for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefits to the beneficiaries under the Schemes, the Ministry through Indian Statistical Institute shall make all the required arrangements including the following, namely,-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the benefits under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas within thirty days of his or her engagement under the scheme, in case they are not yet enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the vicinity, the Ministry through Indian Statistical Institute shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Indian Statistical Institute or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya, and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No. I-12011/15/2016-ISI]

ARUN KUMAR YADAV, Jt Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2017

का.आ. 2947(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) केन्द्रीय क्षेत्र की क्षमता विकास स्कीम के एक घटक के रूप में भारत सरकार के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर और शोधकर्ता छात्रों की प्रशिक्षुता स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है तथा मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों, भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों एवं विभिन्न राज्य सरकारों के सांख्यिकी निदेशालयों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है;

और, इस स्कीम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा संस्थाओं (जिसे इसमें इसके बाद फायदाग्राही कहा गया है), सांख्यिकी, गणित सांख्यिकी, प्रचालन शोध, अर्थशास्त्र या जनांकिकी अथवा अनुप्रयोगिक सांख्यिकी क्षेत्र के स्नातकोत्तर और शोधकर्ता छात्रों को देश में सरकारी सांख्यिकी तथा संबंधित आंकड़ा संग्रहण, विश्लेषण, प्रकाशन तथा प्रचार-प्रसार की प्रणाली से उन्हें परिचित कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षुता का अवसर दिया जाता है तथा साथ ही यह स्कीम सांख्यिकी के क्षेत्र में छात्रों को अपना व्यवसाय चुनने के बारे में सुग्राही बनाती है और भारत सरकार की भारतीय सांख्यिकीय सेवा और अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के बारे में उनमें जागरुकता पैदा करती है ।

और, इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुता के सफलतापूर्वक पूरा होने पर छात्रों को मानदेय (जिसे इसमें इसके बाद फायदा कहा गया है) दिया जाता है, जिसके अंतर्गत भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;

केन्द्रीय सरकार अत: अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण मे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) ऐसे छात्र, जो इस योजना के अंतर्गत फायदा पाने के पात्र हैं, मे यह अपेक्षित होगा कि वे आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या अधिप्रमाणन करवाए।

(2) स्कीम में भाग लेने का इच्छुक कोई छात्र, जिनके पास आधार संख्यांक नही हो अथवा जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, को स्कीम में सम्मिलित होने के तीस दिनों के अंदर तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो तथा ऐसे छात्र आधार के लिए नामांकन करने हेतु किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूनिक पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जाकर आधार के लिए अपना नामांकन करवा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के नियम 12 के अनुसार, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है तथा यदि संबंधित जिला, ब्लॉक, ताल्लुक अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाए प्रदान करेगी;

परन्तु व्यक्ति-विशेष को आधार संख्यांक समनुदेशित किए जाने तक, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन फायदा दिया जाएगा, अर्थात:-

(क) विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा छात्र या छात्रा को जारी छात्र पहचान पत्र; और

(ख) (i) यदि छात्र या छात्रा ने नामांकन कराया है, तो उनके आधार नामांकन पहचान स्लिप, या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए किए गए छात्र या छात्रा के अनुरोध की प्रति; और

(ग) (i) बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

(ii) स्थायी खाता संख्यांक कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; अथवा

(vii) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी किसी व्यक्ति का फोटो सहित, पहचान पत्र; या

(viii) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज ।

परन्तु उक्त दस्तावेजों की केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन छात्रों का सुविधाजनक और निर्बाध फायदा प्रदान करने के उद्देश्य से, मंत्रालय सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात:-

(1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार करके आधार संख्यांक की अपेक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें यह सलाह दी जा सकेगी कि वे अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में स्कीम में सम्मिलित होने के तीस दिनों के अंदर तक नामांकन करवाएं, यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं और स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) फायदाग्राहियों के आस-पास नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ होने की दशा में मंत्रालय, अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए तथा फायदाग्राहियों से अपने पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ अपने नामों को पैरा 1 के उपपैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरों के साथ मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट संबंधित पदधारियों या कार्यान्वयन एजेंसी या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल पर अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होगी ।

[फा. सं. I-12011/15/2016-आईएसआई]

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2017

S.O. 2947(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity:

And, whereas, the Ministry of Statistics and Programme Implementation (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering an Internship Scheme for Postgraduate and Research Students of the recognised Universities in India (hereinafter referred to as the Scheme) as one of the components of the Central Sector Scheme of Capacity Development, and implemented through various Offices under the Ministry, various Departments and Ministries of the Government of India and the Directorate of Economics and Statistics of the various State Governments (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, under the Scheme, Post-graduate or Research Students of Statistics, Mathematical Statistics, Operational Research, Economics or Demography or any of the applied field f Statistics of recognised Universities or Institutions (hereinafter referred to as the beneficiaries) are given the opportunity for internship with an objective of familiarising them with the prevailing system of Official Statistics in the country and related data collection, processing and analysis, publication and dissemination and the Scheme also sensitises the students about choosing their career in the field of Statistics and creates awareness amongst the students about Indian Statistical Service and the Sub-ordinate Statistical Service of the Government of India;

And whereas, under the Scheme, honorarium is paid to the students on successful completion of the internship (hereinafter referred to as the benefit), which involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Statistics and Programme Implementation hereby notifies the following, namely.--

1. (1) Any student eligible for availing benefit under the Scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any student desirous of participating in the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment within thirty days of his or her engagement under the scheme, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such student may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective District, Block, Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI :

Provided that till the time Aadhaar number is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) Student identity card issued to her or him by the University or Institution; and

(b) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(c) (i) Bank Passbook or Post Office Passbook with photo: or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card, or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or Tehsildar on official letter head; or

(viii) any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the Central Government for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefit to the students under the Scheme, the Ministry shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and website of the Ministry shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the benefit under the Scheme and the beneficiaries may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas within thirty days of his or her engagement under the scheme in case they are not yet enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the vicinity, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries shall be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as

specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No. I-12011/15/2016-ISI]

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.09.09 10:48:40 +05'30'

560

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

Joint Entrance Examination (Main) Unit

Public Notice

Requirement of Aadhaar for the Applicants of JEE (Main) 2017

In reference to admission notice for JEE(Main) 2017 published in the news papers on 22/11/2016 regarding provision of Aadhaar at the time of filling online application for JEE (Main) 2017, following is being clarified :

1. The use of Aadhaar for the applicants of JEE (Main) 2017 will result in accuracy of the applicants' details. This will also help in ascertaining identities of the applicants at the examination centres in a convenient and hassle free manner. Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity.

2. The provisions of the Aadhaar Act and Regulations under the Act have come into effect from 14th September, 2016 and notifications to this effect have been published in the Official Gazette. Section 57 of the Aadhaar Act 2016 permits the use of Aadhaar number for establishing the identity of an individual for any purpose pursuant to any law or any contract to this effect.

3. Accordingly, CBSE has decided to use Aadhaar for the applicants of JEE (Main) 2017, and hereby notifies the following:

 3.1 Applicants who are in possession of Aadhaar, shall enter Aadhaar number, name, date of birth & gender in online application for JEE (Main) 2017 for the purpose of his/her identity and authentication thereof.

 3.2 Applicants not yet enrolled for Aadhaar, are hereby required to make application for Aadhaar enrolment in case he/she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of Aadhaar Act. Such applicant may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

 3.3 In order to facilitiate such applicants who are not having Aadhaar, the CBSE has specially set up facilitation centres in each city of examination for the purpose of Aadhaar enrolment. The applicants can approach such facilitation centres who will not charge any amount from any applicant for Aadhaar enrolment. The list of the facilitation centre is available on www.jeemain.nic.in. These applicants who have enrolled for Aadhaar and

H-149, Sector - 63, Noida - 201309 (U.P.)
Phone: 7042399520, 7042399521, 7042399525, 7042399526, 7042399529
Website: www.jeemain.nic.in, E-mail Jeemain@nic.in

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
Joint Entrance Examination (Main) Unit

have not received Aadhaar should enter 28 digit Aadhaar Enrolment ID printed on the Aadhaar enrolment slip at the time of filling online application form for JEE(Main) 2017.

3.4 In case Aadhaar enrolment facility is not available at the facilitation centres, the applicants should submit a request for Aadhaar enrolment. The facilitation centre will issue a registration number to such applicants. This registration number should be entered by the applicants at the time of filling online application form for JEE(Main) 2017.

4. A Circular to all CBSE affiliated schools is being issued for the awareness of applicants regarding the requirement of Aadhaar to apply for JEE (Main) 2017.

5. The above provisions shall be applicable in all states except J&K, Assam & Meghalaya.

6. The applicants who have passed or appearing in Class XII examination from the states of J&K, Assam & Meghalaya need to enter the passport number, ration card number, bank account number or any other valid Govt. identity number provided they should select the city of examination in these states only.

Executive Director (JAB)

H-149, Sector - 63, Noida - 201309 (U.P.)
Phone: 7042399520, 7042399521, 7042399525, 7042399526, 7042399529
Website: www.jeemain.nic.in, E-mail: jeemain@nic.in

562

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

CBSE/NEET/2017 31/01/2017

Public Notice

Requirement of Aadhaar for the Applicants of NEET- 2017

As per regulations framed under the Indian Medical Council Act-1956 as amended in 2016 and the Dentists Act-1948 as amended in 2016, CBSE will conduct National Eligibility Cum Entrance Test-UG, 2017 for the admission in MBBS/BDS Courses in India in Medical/Dental Colleges run with the approval of Medical Council of India/Dental Council of India under the Union Ministry of Health and Family Welfare, Government of India except for the Institutions established through an Act of Parliament i.e. AIIMS and JIPMER Puducherry.

It has been decided that candidates, who are Indian Citizens and ordinary residents of India, will register in NEET-2017 using Aadhaar. In this regard, following is communicated to all concerned:

1. The use of Aadhaar for the applicants of NEET- 2017 will result in accuracy of the applicants' details. This will also help in ascertaining identity of the applicants at the examination centres in a convenient and hassle free manner. Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity.

2. The provisions of the Aadhaar Act and Regulations under the Act have come into effect from 14th September 2016 and notifications to this effect have been published in the Official Gazette. Section 57 of the Aadhaar Act 2016 permits the use of Aadhaar number for establishing the identity of an individual for any purpose pursuant to any law or any contract to this effect.

3. Accordingly, CBSE has decided to use Aadhaar for the applicants of NEET- 2017, and hereby notifies the following:

 3.1 Applicants who are in possession of Aadhaar, shall enter Aadhaar number, name, date of birth & gender in online application for NEET-2017 for the purpose of his/her identity and authentication thereof.

 3.2 Applicants not yet enrolled for Aadhaar, are hereby required to make application for Aadhaar enrolment in case he/she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of Aadhaar Act. Such applicant may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092
"Shiksha Kendra", 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110 092
फोन / Telephone : +91-11-22509256, 22509257 वेबसाइट/Website: www.cbse.nic.in

3.3 In order to facilitate such applicants who are not having Aadhaar, the CBSE has specially set up facilitation centres in each city of examination for the purpose of Aadhaar enrolment. The applicants can approach such facilitation centres who will not charge any amount from any applicant for Aadhaar enrolment. The list of the facilitation centre is available on www.cbseneet.nic.in. These applicants who have enrolled for Aadhaar and have not received Aadhaar should enter 28 digit Aadhaar Enrolment ID printed on the Aadhaar enrolment slip at the time of filling online application form for NEET-2017.

3.4 In case Aadhaar enrolment facility is not available at the facilitation centres, the applicants should submit a request for Aadhaar enrolment. The facilitation centre will issue a registration number to such applicants. This registration number should be entered by the applicants at the time of filling online application form for NEET-2017

4. A Circular to all CBSE affiliated schools is being issued for the awareness of applicants regarding the requirement of Aadhaar to apply for NEET-2017.

5. The above provisions shall be applicable in all states except J&K, Assam & Meghalaya.

6. The applicants belonging to the states of J&K, Assam & Meghalaya need to enter the passport number, ration card number, bank account number or any other valid Govt. identity number provided they should select the city of examination in these states only.

DIRECTOR (NEET)

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092
"Shiksha Kendra", 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110 092
फोन / Telephone : +91-11-22509256, 22509257 वेबसाइट/Website: www.cbse.nic.in

564

Most Immediate

F. No. 27012/8/2015-LRD
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Land Resources

NBO Building, Nirman Bhawan,
New Delhi-110011
Dated the 9th March 2017

To:
Chief Secretaries / Administrators of all States / Union Territories

Subject: Prevention / identification of *benami* / fraudulent transactions - Use of consent-based Aadhaar authentication for Registration under the provisions of The Registration Act, 1908 [Policy circular no. 3 of **2017**].

Sir,

1. I am directed to refer to the correspondence resting with letter of even number dated 07-12-2015 on the subject of 'Acceptance of consent based Aadhaar authentication services offered by UIDAI as a valid method of collecting the information mentioned in Section 32 A of the Registration Act, 1908' wherein benefits and desirability of consent-based Aadhaar authentication services for registration of documents were cited.

2. Consent-based Aadhaar authentication services will provide a cost-effective and fully-auditable method of fulfilling the requirements of Section 32 A of the Registration Act 1908 which relates to 'Compulsory affixing of photograph, etc.'.

3. This will facilitate the executants by simplifying and quickening the registration process and also be a substantial step towards preventing / identifying *benami* / fraudulent transactions.

4. The use of Aadhaar number in Registration will need implementation in a manner that is administratively feasible and legally tenable, and in particular does **not** infringe the provisions contained in (i) the Registration Act 1908, (ii) the Prohibition of *Benami* Property Transactions Act 1988, (iii) the Information Technology Act 2000 and (iv) the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016.

10/3/17

5. Section 32 A of the Registration Act 1908 provides for affixing photographs and fingerprints of the executants. To enable consent-based Aadhaar authentication services for registration of documents, the State Government / UT Administration / Inspectors General of Registration of the State / UT will need to exercise the powers contained in Section 69 ('Power of Inspector-General to superintendent registration offices and make rules') of the Registration Act 1908 as amended from time to time and as applicable to the concerned State / UT. For ready convenience, certain relevant Sections of the Registration Act 1908 [Sections 32 A, 34, 35 52 (1) (a) and 69 (1) (j) are given in **Annexure I.**

6. In exercising the rule-making powers under Section 69, the definitions given in the Registration Act 1908 will be used.

7. Wherever applicable the definitions given in the Prohibition of *Benami* Property Transactions Act 1988, the Information Technology Act 2000 and the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016 may be appropriately used.

8. For ready convenience a model template of draft Rules under Section 69 (1) (j) of the Registration Act 1908 is enclosed as **Annexure II.**

9. It would be desirable for the State Government / UT Administration to kindly consider providing Points of Service (POS) at each Sub-Registrar Office (SRO) in the State / UT to enable consent-based Aadhaar authentication for registration of documents.

10. It would also be desirable for UIDAI to kindly provide a ready option of enrolment at or proximal to each SRO to facilitate enrolment in case any executant does not possess Aadhaar number and is desirous of obtaining one at the spot itself so as to use the services of consent-based Aadhaar authentication.

11. Internet connectivity and other requisite infrastructure will also have to be kindly ensured by the State Government / UT Administration.

12. Enabling consent-based Aadhaar authentication services in registration of documents will make the system citizen-friendly and also substantially contribute towards the objective of preventing / identifying *benami* / fraudulent transactions, which is in overall national and public interest.

13. In this overall context it is also relevant that Integration of Computerized Registration with Computerized / Digitized Land Records is *inter alia* being undertaken under the aegis of the Digital India Land Records Modernization Programme

(DILRMP). Having regard to the time and resource etc. considerations at the ends of the State Governments / UT Administrations, it is suggested that the following priority could be considered:

(i) Where integration of computerized registration with computerized / digitized land records (i.e. integration of the two processes of registration and updation of land records) has been completed, the State Government / UT Administration may consider ensuring that the requisite infrastructure (i.e. POS in the SRO, enrolment facility at or proximal to the SRO, internet connectivity, etc.) is put in place and the necessary rules / notifications under the Registration Act 1908, the Information Technology Act 2000 and the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016 are issued at the earliest and preferably within **one month**.

(ii) Where integration of registration with land records is at an advanced stage, the requisite infrastructure is put in place and the necessary rules / notifications are issued at the earliest and preferably within **two months**.

(iii) In the remaining cases, where the integration is at an initial stage or as yet not initiated, the requisite infrastructure is put in place and the necessary rules / notifications are issued at the earliest and preferably within **three months**.

14. It may specifically be seen that *per se* the objective is to put the requisite infrastructure in place and issue the necessary rules / notifications to enable consent-based Aadhaar authentication in **all** SROs in the State / UT, irrespective of whether or not the process of integration of registration with land records has been initiated or completed etc. A reasonable order of priority has however been suggested in para 12 above.

15. It is requested that in view of the national objective of preventing / identifying *benami* / fraudulent transactions, the State Government / UT Administration may kindly consider appropriate action on the above lines on the **highest time-bound priority**.

Yours faithfully

(Hukum Singh Meena)
Joint Secretary to Government of India
Tel. No.23063462

567

Endorsement No. 27012/8/2015-LRD dated 9th March 2017

To:

1. Secretary Ministry of Electronics and Information Technology

2. Director General, Unique Identification Authority of India (UIDAI)

With the request that appropriate action for ensuring enrolment facilities for Aadhaar **at** or **proximal to all** SROs in **all** States / UTs at the earliest and preferably within **three months** may kindly be taken.

(Hukum Singh Meena) 9/3/2017
Joint Secretary to Government of India

Copy for information and necessary action to:

1. Secretaries in-charge of Revenue Departments of all States / Union Territories
2. All Inspectors General of Registration of all States / Union Territories
3. Director General, National Informatics Centre (NIC), Government of India

(Hukum Singh Meena) 9/3/2017
Joint Secretary to Government of India

568

Endorsement No. 27012/8/2015-LRD dated 9th March 2017

Not on original

Copy to: Home Secretary, Government of India.

With the request that appropriate action may kindly be taken in respect of Union Territories.

(Hukum Singh Meena)
Joint Secretary to Government of India

569

No.20/1/2011-Dir.(C)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
(Department of Personnel & Training)

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, dated 14th February, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Revision of Scholarship Scheme for the Children of Non-Statutory Departmental Canteen employees out of Discretionary Fund of Director of Canteens.

The Scheme for grant of scholarship for the children of Non-Statutory Departmental Canteens, out of the funds available in the Discretionary Fund of Director of Canteens was introduced vide this Department's O.M. No. 20/1/88-Dir.(C), dated 3.12.98 and revised vide O.M. No. 20.1.2011-Dir.(C), dated 2.09.2011. In suppression of this office O.M. of even number dated 3.12.1998 and 2.9.2011, the amended scheme has been introduced in consonance of Section 57 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidiaries, Benefits and Services) Act,2016 to encourage higher studies for canteen employees' children whose past performance had been meritorious. The details of the scholarships being instituted and the considerations which will apply are given below :

2. Scholarships

The categorical details of the scholarships are as below :-

Sl No	Name of Scholarship/ Class of studies	No. of Scholarships	Amount of each Scholarship
1.	Class IX, X or Matriculation	Eight (Four Scholarships per class)	Rs 750/- Per Annum
2.	Class XI, XII or Intermediate or PUC (for Science Stream)	Four (Two Scholarships per Class)	Rs. 750/- Per Annum
3.	Class XI, XII or Intermediate or PUC (for Non-Science Stream)	Four (Two Scholarships per Class)	Rs. 750/- Per Annum
4.	Under Graduate Studies of three years' duration (for Science Stream)	Three (One Scholarships per class)	Rs. 1000/- Per Annum
5	Under Graduate Studies of three years' duration (for Non-Science Stream)	Three (One Scholarship per class)	Rs. 1000/- Per Annum
6	Post Graduate studies of two years' duration (for Science stream)	Two (One Scholarship per class)	Rs. 1200/- Per Annum
7.	Post Graduate studies of two years' duration (for Non-Science Stream)	Two (One Scholarship per class)	Rs. 1200/- Per Annum
8.	ITI Course/Diploma Courses in Engineering/Architecture	One	Rs 1000/- Per Annum

9.	B.E./B.Tech	One	Rs. 2500/- Per Annum
10.	Bachelor of Architecture	One	Rs. 2500/- Per Annum
11.	MBBS/Medical Courses	One	Rs. 2500/- Per Annum
12.	Financial Courses	One	Rs. 2500/- Per Annum

3. Awards will be given on yearly basis and every aspirant will have to meet the prescribed norms in regards to the percentage of marks in the previous year of study for being considered for grant of fresh award during the course of his/her studies. The awards will be given strictly in accordance with the principle of the highest one or next highest one (if there are more than one scholarship) getting the Scholarship.

Conditions

(a) Candidates seeking award of Scholarship should have obtained a minimum of 60% marks in the aggregate in the previous year of examination;

(b) Children belonging to SC/ST categories and Handicapped children would be given a relaxation of 10% marks in the minimum standard. 25% of the awards for school level and Under Graduate level studies (Serials (1) to (5) of para (2) will be earmarked for such candidates However, being an award Scheme there will be no strict applications of general orders relating to SC/ST/Physically Handicapped. In the event of the earmarked awards remaining unutilised due to non-satisfaction of the minimum prescribed norms, the award will be transferred to the general category.

(c) One Scholarship will be reserved for girl child for class IX & X. Notwithstanding the prescribed minimum percentage the award will be given to those securing the highest marks. Only aggregate marks will be taken into account However, every applicant should have obtained the minimum pass marks in all subjects;

(d) Children of only those Canteen Employees who are working in Central Govt. Offices/Establishments and who have been declared as Central Govt. employees will be eligible to apply;

(e) The Canteen employees from the Department of Telecommunications. Posts etc. which are already having separate Scholarship Scheme are to certify that their children are not already in receipt of Scholarship under the Schemes of their Department.

Contd.....3/-

571

4. The Scholarship will be awarded considering the performance of the candidates in the previous years of examination. In case the studies were discontinued in the previous years(s) i.e. prior to the academic year but an applicant otherwise becomes eligible for consideration, detailed justification for break in the studies during the preceding year(s) will have to be submitted. All applications will have to be submitted in the appended format only. Applications will have to be accompanied by the attested true copies of the Mark Sheets given by the recognised Institution such as School, Central/State Boards of Education/Universities. Original certificates will be submitted, if called for, for verification.

5. The late date for receipt of applications in the Office of Director(Canteens) has been extended upto15.03.2017. It is expected that awards will be finalised by the month of March of the year. In no case any application received after the prescribed date will be entertained.

6. (i) Individual desirous of availing benefits under the scholarship to wards of employees of Departmental Canteens are required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(ii) An individual desirous of availing benefits under the said scholarship scheme who is not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 28.02.2017, in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in.) to get enrolled for Aadhaar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the said scheme shall be given to the individual, subject to the production of the following documents, namely :-

(a) (i) Aadhaar enrolment ID, if he has enrolled, or

(ii) A copy of request made for Aadhaar enrolment as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) (i) Bank Passbook with Photo or (ii) Voter's ID card or (iii) PAN Card or (iv) Passport; or (v) Driving Licence or (vi) Ration Card; or (vii) Photo ID Card issued by the Government.

The above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Office of Director (Canteen) in the Department of Personnel and Training.

Contd....4/-

7. Those canteen employees who have already applied scholarship for their ward under the previous scheme, are requested to apply a fresh in revised format incorporating the requirement of documents under para 6 above

8. Applications will be forwarded to the office of the Director(Canteens) through concerned Head of Organisation.

9. The awards of Scholarships will be decided by a duly designated Committee, as may be appointed from time to time. The decision taken by the Committee will be final and no representation in the matter will be entertained after awards are finalised.

10. It is requested that wide publicity of this Scheme may be given amongst all concerned.

14/2/17

(Sandeep Jain)
Chief Welfare Officer
Tel No. -011-24625562

To

All Ministries/Departments of the Govt. of India (as per standard list). (Directors/Deputy Secretaries-incharge. Administrative Division/Wing for necessary action for further dissemination to all concerned establishments under them all over India.)

573

ANNEXURE-I

REVISED FORM

APPLICATION FOR AWARD OF SCHOLARSHIP UNDER THE SCHEME NOTIFIED VIDE DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING'S O.M. NO. 20/1/2011-Dir.(C), DATED 2nd SEPTEMBER, 2011.

A) Details of the Applicant (Canteen Employee)

Name _____ Designation _____

Full Office Address : _____ Tel No. _____

Residential Address : _____

Whether SC/ST (If yes, attach certificate) _____

Name of Bank _____ Name of Branch _____ Bank Account No _____

Bank IFSC Code _____ Aadhar No (If any) _____

B) Details of the Son/Daughter of Canteen Employee for whom Scholarship is sought :

Name _____ Son/ Daughter _____ Date of Birth _____

Whether differently-abled (If yes, attach Medical Certificate stating nature and percentage of disability) _____

Name and Duration of the Present Course _____

Stream of study (Science/Non-Science) _____

Name of School/College/Institute alongwith Board/University by which recognized/affiliated _____

Current Standard in School/Year in College _____

Is there any break between previous stage of study & joining the current educational course? (If yes, state reason(s)) _____

C) Details of marks (Subject wise) obtained in the previous year of Class/Course (self-attested copies of mark sheet should be enclosed):

Name of the Examination	Year of Passing	Maximum Marks	Marks Obtained	Percentage of Marks

D) Details of other scholarship(s) already received or applied by the child _____

E) Please attach

(i) Aadhar enrolment ID, if he/she enrolled or A copy of request made for Aadhar enrolment; and

(ii) Copy of Bank Passbook with Photo or Voter's ID Card or PAN Card or Passport or Driving Licence or Ration Card or Photo ID Card issued by the Government.

DECLARATION

I _____ declare that the particulars as given in the above are true and complete to the best of my knowledge and belief.

Date : _____
Place : _____

Signature of the Applicant
(Canteen Employee)

Certified that the entries under Col. A are correct as per Office Records.

Signature of Head of the Office
(With Seal)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 11, 2017/वैशाख 21, 1939
No. 1336] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 2017/VAISAKHA 21, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2017

का.आ.1513(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139कक की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि धारा 139कक के उपबंध किसी ऐसे व्यष्टि को लागू नहीं होंगे, जिसके पास आधार नंबर या नामांकन पहचान नहीं है और जो,--

(i) असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्य में निवास करता है ;

(ii) आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी है ;

(iii) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है ; और

(iv) भारत का नागरिक नहीं है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी ।

[अधिसूचना सं. 37/2017, फा.सं. 370133/6/2017-टीपीएल]

अभिषेक गौतम, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2017

S.O. 1513 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 139AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that the provisions of section 139AA shall not apply to an individual who does not possess the Aadhaar number or the Enrolment ID and is:-

(i) residing in the States of Assam, Jammu and Kashmir and Meghalaya;

(ii) a non-resident as per the Income-tax Act, 1961;

(iii) of the age of eighty years or more at any time during the previous year;

(iv) not a citizen of India.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[Notification No. 37/2017, F. No. 370133/6/2017-TPL]

ABHISHEK GAUTAM, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.12 11:17:25 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 2017/ज्यैष्ठ 11, 1939
No. 439] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2017/ JYAISTHA 11, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2017

सा.का.नि. 538(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खंड (ज), खंड (ञ), खंड (ञ) और खंड (ट) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरा नियम, 2017 है।

 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में,—

 (क) नियम 2 के उप-नियम (1) में,—

 (i) खंड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

 '(ककक) "आधार संख्या" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान), अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप-धारा (क) के अधीन यथा परिभाषित पहचान संख्या अभिप्रेत है;

 '(ककख) "अधिप्रमाणन" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान), अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप-धारा (ग) के अधीन यथा परिभाषित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

'(ककग) "निवासी" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान), अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप-धारा (फ) के अधीन यथा परिभाषित व्यष्टि अभिप्रेत है;

'(ककघ) "पहचान सूचना" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदो और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान), अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप-धारा (ढ) के अधीन यथा परिभाषित सूचना अभिप्रेत है;

'(ककङ.) "ई-अपना ग्राहक जानिए अधिप्रमाणन सुविधा" से आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 में यथा परिभाषित अधिप्रमाणन सुविधा अभिप्रेत है;

'(ककच) "हां/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा" से आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 में यथा परिभाषित अधिप्रमाणन सुविधा अभिप्रेत है;

(ii) खंड (घ) के "पासपोर्ट चालन अनुज्ञप्ति" से आरम्भ होने वाले भाग और "विनियामक के परामर्श से" समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —'

"पासपोर्ट, चालन अनुज्ञप्ति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसमें नाम, पता के ब्यौरे हों या कोई अन्य दस्तावेज, जो विनियामक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, द्वारा जारी पत्र"

(ख) नियम 9 में, उप-नियम (4) के उप-नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्, —

"(4)" जहां ग्राहक कोई ऐसा व्यष्टि है, जो आधार संख्या के लिए नामांकित किए जाने के लिए पात्र है वहां वह उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को, —

(क) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या; और

(ख) आयकर नियम, 1962 में यथा परिभाषित स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप संख्या 60,

और ऐसे अन्य दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत ग्राहक के कारबार की प्रकृति और वित्तीय प्रास्थिति के सम्बन्ध में दस्तावेज भी हैं, जो रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा:

परंतु जहां कोई आधार संख्या ग्राहक को समनुदेशित नहीं की गई है वहां ग्राहक आधार के लिए नामांकन के आवेदन का सबूत देगा और यदि स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो 'शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज' की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह और कि उप-नियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत आने वाले ग्राहक द्वारा फोटोग्राफ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है।

(4क) जहां ग्राहक कोई ऐसा व्यष्टि है जो आधार संख्या के लिए नामांकित होने के लिए पात्र नहीं है वहां वह उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को आयकर नियम, 1962 में यथा परिभाषित स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप संख्यांक 60 प्रस्तुत करेगा:

परंतु यदि ग्राहक स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं करता है तो वह अपनी पहचान और पते के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला 'शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज' की एक प्रमाणित प्रति, हाल ही में खींचे गए एक फोटोग्राफ की प्रति और ऐसे अन्य दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत ग्राहक के कारबार की प्रकृति और वित्तीय प्रास्थिति के सम्बन्ध में दस्तावेज भी है, जो रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा।

(5) उप-नियम (4) और उप-नियम (4क) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यष्टि, जो किसी बैंककारी कंपनी में अल्प खाता खोलने की वांछा करता है, स्वतः अनुप्रमाणित फोटोग्राफ के प्रस्तुत किए जाने पर और खाता खोलने के लिए

प्ररूप पर, यथास्थिति, हस्ताक्षर किए हैं या अंगूठा निशान लगाने पर ऐसा खाता खोलने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

परंतु—

(i) अल्प खाता खोलते समय बैंककारी कंपनी का कोई पदाभिहीत अधिकारी अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करता है कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति में, यथास्थिति, अपने हस्ताक्षर किए है या अंगूठा निशान लगा दिया है;

(ii) अल्प खाता मुख्य बैंककारी समाधान सम्बद्ध कंपनी की शाखाओं में या किसी ऐसी शाखा में, जहां इसे शारीरिक रूप से मॉनीटर करना संभव हो, खोला जाएगा और यह सूचित किया जाएगा कि विदेशी प्रेषण अल्प खाते में जमा नहीं किए जाते हैं और ऐसे खातों में संव्यवहारों का मासिक तथा वार्षिक संव्यवहारों का कुलयोग और अतिशेष सम्बन्धी नियत सीमाओं को ऐसे संव्यवहार किए जाने के लिए अनुज्ञात होने से पूर्व भंग नहीं किया जाता है;

(iii) अल्प खाता आरम्भ में बारह मास की अवधि के लिए और उसके पश्चात् बारह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रवर्तनशील रहेगा यदि ऐसा खाता धारक उक्त खाते के खुलने के बारह मास के भीतर शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज के लिए बैंककारी कंपनी के समक्ष आवेदन किए जाने का साक्ष्य चौबीस मास के पश्चात्, उक्त खाते की बाबत पुनर्विलोकन किए जाने वाले सम्पूर्ण शिथिलीकरण विषयक उपबंधों के साथ उपलब्ध कराता है;

(iv) अल्प खाते को मॉनीटर किया जाएगा और जब धन शोधन या आतंक के वित्त पोषण या अन्य किसी जोखिम दृश्यलेख के बारे में संदेह है तो ग्राहक की पहचान उप-नियम (4) में यथानिर्दिष्ट शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेजों को उसके प्रस्तुतीकरण के माध्यम से और ग्राहक का आधार संख्या या जहां आधार संख्या ग्राहक को समनुदेशित नहीं किया गया है वहां शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज के साथ आधार के लिए नामांकन हेतु आवेदन के सबूत के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साबित की जाएगी;

परंतु यह और कि यदि ग्राहक आधार संख्या के लिए नामांकित होने के लिए पात्र नहीं है तो ग्राहक की पहचान शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साबित की जाएगी।

(v) विदेशी विप्रेषण को अल्प खाते में जमा किए जाने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा तब तक कि ग्राहक की पहचान उप-नियम (4) में निर्दिष्ट शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से और ग्राहक की आधार संख्या या जहां आधार संख्या ग्राहक को समनुदेशित नहीं की गई है वहां शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज के साथ आधार के लिए नामांकन हेतु आवेदन के सबूत के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पूर्णतः साबित नहीं कर दिया जाता है;

परंतु यह कि यदि ग्राहक आधार संख्या के लिए नामांकित होने के लिए पात्र नहीं है तो ग्राहक की पहचान शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साबित की जाएगी।

(6) जहां ग्राहक कंपनी है वहां उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए वह निम्नलिखित की प्रमाणित प्रतियां रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को प्रस्तुत करेगा: —

(i) निगमन का प्रमाणपत्र;

(ii) संगम के ज्ञापन और अनुच्छेद;

(iii) निदेशक बोर्ड से संकल्प और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए प्रदान किया गया मुख्तारनामा;

(iv) (क) आधार संख्या;

(ख) आयकर नियम, 1962 में यथा परिभाषित स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप 60, जो कंपनी की ओर से संव्यवहार करने के लिए किसी मुख्तारनामा रखने वाले प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को जारी किया गया है या जहां आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है वहां आधार के नामांकन हेतु आवेदन का सबूत और यदि स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा;

परंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि कंपनी की ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाले प्रबंधक, अधिकारी या या कर्मचारी आधार संख्या के लिए नामांकित किए जाने हेतु पात्र नहीं हैं और वे स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं करते हैं तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(7) जहां ग्राहक भागीदारी फर्म है वहां वह उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को निम्नलिखित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा: —

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(ii) भागीदारी विलेख; और

(iii) (क) आधार संख्या, और

(ख) आयकर नियम, 1962 में यथा परिभाषित स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप स. 60, जो उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्तियो को जारी किया गया है या जहां आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है वहां आधार के लिए नामांकन हेतु आवेदन का सबूत और यदि स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा;

परंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि कंपनी की ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाला व्यक्ति आधार संख्या के लिए नामांकित किए जाने हेतु पात्र नहीं हैं और वे स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नही करता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(8) जहां ग्राहक न्यास है वहां वह उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा: —

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(ii) न्यास विलेख; और

(iii) (क) आधार संख्या; और

(ख) आयकर नियम, 1962 मे, यथा परिभाषित स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप स. 60, जो उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति को जारी किया गया है या जहां आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है वहां आधार के लिए नामांकन हेतु आवेदन का सबूत और यदि स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा;

परंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि कपनी की ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाला व्यक्ति आधार संख्या के लिए नामांकित किए जाने हेतु पात्र नही हैं और वह स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं करता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(9) जहां ग्राहक कोई अनिगमित संगम या व्यष्टियों का निकाय है वहां वह निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को भेजेगा: —

(I) ऐसे संगम या व्यष्टियों के प्रबंध निकाय का संकल्प;

(ii) उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए उसे अनुदत्त मुख्तारनामा;

(iii) (क) आधार संख्या;

(ख) आयकर नियम, 1962 में, यथा परिभाषित स्थायी लेखा संख्यांक या प्ररूप सं. 60, जो उसकी ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति को जारी किया गया है या जहां आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है वहां आधार के लिए नामांकन हेतु आवेदन का सबूत और यदि स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा; और

(iv) ऐसी सूचना, जो ऐसे संगम या व्यष्टियों के निकाय के विधिक अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा अपेक्षित हो:

परंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि कंपनी की ओर से संव्यवहार करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाला व्यक्ति आधार संख्या के लिए नामांकित किए जाने हेतु पात्र नहीं हैं और वे स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं करता है तो शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) उप-नियम 14 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(15) कोई रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व इस नियम के उपबंधों के अधीन आधार संख्या की प्राप्ति के समय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए या तो ई-अपना ग्राहक जानिए अधिप्रमाणन सुविधा या हां/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करते हुए अधिप्रमाणन करेगा।

"(16) यदि नियम 9 के उप-नियम (4) से उप-नियम (9) में निर्दिष्ट ग्राहक जम्मू-कश्मीर, असम या मेघालय राज्यों का निवासी नहीं है या निवासी है और स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत नहीं करता है, ग्राहक शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी पहचान तथा पते के ब्यौरे, हाल ही में खींचे गए एक फोटोग्राफ और ऐसे अन्य दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत ग्राहक के कारबार की प्रकृति और वित्तीय प्रास्थिति के सम्बन्ध में अन्य दस्तावेज भी हैं, जिनकी रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा अपेक्षा की जाए।

"(17) (क) यदि ग्राहक आधार के लिए नामांकित किए जाने हेतु पात्र है और नियम 9 के उप-नियम (4) से उप-नियम (9) में निर्दिष्ट स्थायी लेखा संख्यांक प्राप्त करता है, आधार संख्या या स्थायी लेखा संख्यांक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के साथ सम्बन्ध पर आधारित खाते के प्रारम्भ के समय प्रस्तुत नहीं करता है, ग्राहक खाता आधारित सम्बन्ध के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करेगा:"

परंतु आधार के लिए नामांकित किए जाने के लिए पात्र ग्राहक इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व रिपोर्ट करने वाले अस्तित्वों के साथ पहले से ही सम्बन्ध आधारित खाता रखते हुए स्थायी लेखा संख्यांक प्राप्त करता है, ग्राहक 31 दिसम्बर, 2017 तक आधार संख्या और स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करेगा।

(ख) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों में स्थानीय प्राधिकरण आधार नामांकन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन गए हैं या बनने की प्रक्रिया में हैं और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के परामर्श से सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष आधार नामांकन शिविर आयोजित कर रहे है और इस नियम में यथा उपबंधित खाता आधारित सम्बन्ध प्रारम्भ करने के इच्छुक कोई भी व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या आधार के लिए नामांकित नहीं कराया है, आधार नामांकन के लिए या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के अड़ोस-पड़ोस में आधार नामांकन केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र पर जा सकता है।

(ग) यदि ग्राहक पूर्वोक्त छह मास की अवधि के भीतर आधार संख्या और स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उस खाता ग्राहक द्वारा आधार संख्या और स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत किए जाने तक प्रवर्तन में नहीं रहेगा।

(18) यदि नियम 9 के उप-नियम (4) से उप-नियम (9) में निर्दिष्ट ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या या स्थायी लेखा संख्यांक से सम्बन्धित पहचान सूचना में ग्राहक का वर्तमान पता नहीं है तो ग्राहक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को शासकीय रूप से विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

[अधिसूचना सं. 2/का. सं. पी. 12011/11/2016-ईएस सेल-डीओआर]

संदीप कौर, उप-सचिव

581

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) मा.फा.नि. सं. 444(अ), 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें सा.का.नि. 717(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 389(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. 816(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2009, सा.का.नि. 76(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010, सा.का.नि. 508(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का नि. 980(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 481(अ), तारीख 24 जून, 2011, सा.का.नि. 576(अ), तारीख 27 अगस्त, 2013, सा.का.नि. 288(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015, सा का.नि. 544(अ), तारीख 7 जुलाई, 2015, सा.का.नि. 693(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2015, सा.का.नि. 730(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2015, सा.का.नि. 882(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2015 और सा.का नि. 347(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2017

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h), clause (i), clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following further amendments to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Second Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, —

(a) in rule 2, in sub-rule (1),-

(i) after clause (aa), following clauses shall be inserted, namely:—

'(aaa) "Aadhaar number" means an identification number as defined under sub-section (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016,

(aab) "authentication" means the process as defined under sub-section (c) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016;

(aac) "Resident" means an individual as defined under sub-section (v) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016;

(aad) "identity information" means the information as defined in sub-section (n) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016,

(aae) "e – KYC authentication facility" means an authentication facility as defined in Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016;

(aaf) "Yes/No authentication facility" means an authentication facility as defined in Aadhar (Authentication) Regulations, 2016.';

(ii) for clause (d), the portion beginning with "the passport, the driving licence" and ending with "in consultation with the Regulator" the following shall be substituted, namely:—

"the passport, the driving licence, the Voter's Identity Card issued by Election Commission of India, job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government, the letter issued by the National Population

Register containing details of name, address or any other document as notified by the Central Government in consultation with the Regulator"

(b) in rule 9, for sub-rule (4) to sub-rule (9), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(4) Where the client is an individual, who is eligible to be enrolled for an Aadhaar number, he shall for the purpose of sub-rule (1) submit to the reporting entity,—

(a) the Aadhaar number issued by the Unique Identification Authority of India, and

(b) the Permanent Account Number or Form No. 60 as defined in Income-tax Rules, 1962,

and such other documents including in respect of the nature of business and financial status of the client as may be required by the reporting entity:

Provided that where an Aadhaar number has not been assigned to a client, the client shall furnish proof of application of enrolment for Aadhaar and in case the Permanent Account Number is not submitted, one certified copy of an 'officially valid document' shall be submitted.

Provided further that photograph need not be submitted by a client falling under clause (b) of sub-rule (1).

(4A) Where the client is an individual, who is not eligible to be enrolled for an Aadhaar number, he shall for the purpose of sub-rule (1), submit to the reporting entity, the Permanent Account Number or Form No. 60 as defined in the Income-tax Rules, 1962:

Provided that if the client does not submit the Permanent Account Number, he shall submit one certified copy of an 'officially valid document' containing details of his identity and address, one recent photograph and such other documents including in respect of the nature or business and financial status of the client as may be required by the reporting entity.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (4) and (4A), an individual who desires to open a small account in a banking company may be allowed to open such an account on production of a self-attested photograph and affixation of signature or thumb print, as the case may be, on the form for opening the account:

Provided that-

(i) the designated officer of the banking company, while opening the small account, certifies under his signature that the person opening the account has affixed his signature or thump print, as the case may be, in his presence;

(ii) the small account shall be opened only at Core Banking Solution linked banking company branches or in a branch where it is possible to manually monitor and ensure that foreign remittances are not credited to a small account and that the stipulated limits on monthly and annual aggregate of transactions and balance in such accounts are not breached, before a transaction is allowed to take place;

(iii) the small account shall remain operational initially for a period of twelve months, and thereafter for a further period of twelve months if the holder of such an account provides evidence before the banking company of having applied for any of the officially valid documents within twelve months of the opening of the said account, with the entire relaxation provisions to be reviewed in respect of the said account after twenty-four months;

(iv) the small account shall be monitored and when there is suspicion of money laundering or financing of terrorism or other high risk scenarios, the identity of client shall be established through the production of officially valid documents, as referred to in sub-rule (4) and the Aadhaar number of the client or where an Aadhaar number has not been assigned to the client, through the production of proof of application towards enrolment for Aadhaar along with an officially valid document;

Provided further that if the client is not eligible to be enrolled for an Aadhaar number, the identity of client shall be established through the production of an officially valid document.

(v) the foreign remittance shall not be allowed to be credited into the small account unless the identity of the client is fully established through the production of officially valid documents, as referred to in sub rule (4) and the Aadhaar number of the client or where an Aadhaar number has not been assigned to the client, through the production of proof of application towards enrolment for Aadhaar along with an officially valid document:

Provided that if the client is not eligible to be enrolled for the Aadhaar number, the identity of client shall be established through the production of an officially valid document.

(6) Where the client is a company, it shall for the purposes of sub-rule (1), submit to the reporting entity the certified copies of the following documents:—

(i) Certificate of incorporation;

(ii) Memorandum and Articles of Association;

(iii) A resolution from the Board of Directors and power of attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf;

(iv) (a) Aadhaar numbers; and

(b) Permanent Account Numbers or Form 60 as defined in the Income-tax Rules, 1962,

issued to managers, officers or employees holding an attorney to transact on the company's behalf or where an Aadhaar number has not been assigned, proof of application towards enrolment for Aadhaar and in case Permanent Account Number is not submitted an officially valid document shall be submitted.

Provided that for the purpose of this clause if the managers, officers or employees holding an attorney to transact on the company's behalf are not eligible to be enrolled for Aadhaar number and do not submit the Permanent Account Number, certified copy of an officially valid document shall be submitted

(7) Where the client is a partnership firm, it shall, for the purposes of sub-rule (1), submit to the reporting entity the certified copies of the following documents.—

(i) registration certificate;

(ii) partnership deed; and

(iii) (a) Aadhaar number; and

(b) Permanent Account Number or Form 60 as defined in the Income-tax Rules, 1962,

issued to the person holding an attorney to transact on its behalf or where an Aadhaar number has not been assigned, proof of application towards enrolment for Aadhaar and in case Permanent Account Number is not submitted an officially valid document shall be submitted:

Provided that for the purpose of this clause, if the person holding an attorney to transact on the company's behalf is not eligible to be enrolled for Aadhaar number and does not submit the Permanent Account Number, certified copy of an officially valid document shall be submitted.

(8) Where the client is a trust, it shall, for the purposes of sub-rule (1) submit to the reporting entity the certified copies of the following documents:—

(i) registration certificate.

(ii) trust deed; and

(iii) (a) Aadhaar number; and

(b) Permanent Account Number or Form 60 as defined in the Income-tax Rules, 1962,

issued to the person holding an attorney to transact on its behalf or where Aadhaar number has not been assigned, proof of application towards enrolment for Aadhaar and in case Permanent Account Number is not submitted an officially valid document shall be submitted:

Provided that for the purpose of this clause if the person holding an attorney to transact on the company's behalf is not eligible to be enrolled for Aadhaar number and does not submit the Permanent Account Number, certified copy of an officially valid document shall be submitted.

(9) Where the client is an unincorporated association or a body of individuals, it shall submit to the reporting entity the certified copies of the following documents:—

(i) resolution of the managing body of such association or body of individuals,

(ii) power of attorney granted to him to transact on its behalf;

(iii) (a) the Aadhaar number; and

(b) Permanent Account Number or Form 60 as defined in the Income-tax Rules, 1962,

issued to the person holding, an attorney to transact on its behalf or where Aadhaar number has not been assigned, proof of application towards enrolment for Aadhaar and in case the Permanent Account Number is not submitted an officially valid document shall be submitted; and

(iv) such information as may be required by the reporting entity to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals:

Provided that for the purpose of this clause if the person holding an attorney to transact on the company's behalf is not eligible to be enrolled for Aadhaar number and does not submit the Permanent Account Number, certified copy of an officially valid document shall be submitted

(c) after sub-rule (14), the following sub-rules shall be inserted, namely,—

"(15) Any reporting entity, at the time of receipt of the Aadhaar number under provisions of this rule, shall carry out authentication using either e-KYC authentication facility or Yes/No authentication facility provided by Unique Identification Authority of India.

(16) In case the client referred to in sub-rules (4) to (9) of rule 9 is not a resident or is a resident in the States of Jammu and Kashmir, Assam or Meghalaya and does not submit the Permanent Account Number, the client shall submit to the reporting entity one certified copy of officially valid document containing details of his identity and address, one recent photograph and such other document including in respect of the nature of business and financial status of the client as may be required by the reporting entity.

(17) (a) In case the client, eligible to be enrolled for Aadhaar and obtain a Permanent Account Number, referred to in sub-rules (4) to (9) of rule 9 does not submit the Aadhaar number or the Permanent Account Number at the time of commencement of an account based relationship with a reporting entity, the client shall submit the same within a period of six months from the date of the commencement of the account based relationship:

Provided that the clients, eligible to be enrolled for Aadhaar and obtain the Permanent Account Number, already having an account based relationship with reporting entities prior to date of this notification, the client shall submit the Aadhaar number and Permanent Account Number by 31st December, 2017.

(b) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the local authorities in the State Governments or Union-territory Administrations have become or are in the process of becoming UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and are organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and any individual desirous of commencing an account based relationship as provided in this rule, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing registrars of UIDAI

(c) In case the client fails to submit the Aadhaar number and Permanent Account Number within the aforesaid six months period, the said account shall cease to be operational till the time the Aadhaar number and Permanent Account Number is submitted by the client.

Provided that in case client already having an account based relationship with reporting entities prior to date of this notification fails to submit the Aadhaar number and Permanent Account Number by 31st December, 2017, the said account shall cease to be operational till the time the Aadhaar number and Permanent Account Number is submitted by the client.

(18) In case the identity information relating to the Aadhaar number or Permanent Account Number submitted by the client referred to in sub-rules (4) to (9) of rule 9 does not have current address of the client, the client shall submit an officially valid document to the reporting entity.".

[Notification No.2/F .No. P.12011/11/2016-ES Cell-DOR]

MANDEEP KAUR, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R. 717(E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389(E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R. 816(E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76(E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508(E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980(E), dated the 16th December, 2010, number G.S.R. 481(E), dated the 24th June, 2011 number G.S.R. 576(E), dated the 27th August, 2013, number G.S.R. 288(E), dated the 15th April, 2015, number G.S.R. 544(E), dated the 7th July, 2015, number G.S.R. 693(E), dated the 11th September, 2015, number G.S.R. 730(E), dated the 22nd September, 2015, number G.S.R. 882 (E), dated the 18th November, 2015 and number G.S.R. 347(E), dated the 12th April, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.23 14:34:45 IST

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

586

No. 01/12/2014- VS (CRS)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
V.S. Division, West Block -I, R.K. Puram, New Delhi - 110066
Tele-fax: 26100678 E-mail: rgi.rgi@nic.in drg-crs.rgi@nic.in sandhya.singh@nic.in

Dated- 04-08-2017

NOTIFICATION

Subject: Requirement of Aadhaar number for Registration of Death of an Individual.

The registration of births and deaths are being done under the provisions of Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969 and the corresponding Rules made thereunder by the State Governments. The office of the RGI is the central authority to coordinate and unify the activities of Chief Registrar of birth and deaths of States/UT's in respect of registration of births and deaths. The extract/certificate of birth and death are issued by the registering authority notified by the State/UT Governments under section 12 and 17 of the RBD Act, 1969. These are issued on the basis of entries collected through birth and death reporting forms prescribed by the State Government.

2. The use of Aadhaar for the applicants of Death Certificate will result in ensuring accuracy of the details provided by the relatives/ dependents / acquaintances of the deceased (hereinafter referred to as the Applicant). It will provide an effective method to prevent identity fraud. It will also help in recording the identity of the deceased person. Further, it will obviate the need for producing multiple documents to prove the identity of the deceased person.

3. The provisions of the Aadhaar Act and Regulations framed there under the Act have come into effect from 14th September 2016 and notifications to this effect have been published in the Official Gazette. Section 57 of the Aadhaar Act 2016 permits the use of Aadhaar number for establishing the identity of an individual for any purpose pursuant to any law or any contract to this effect.

4. Accordingly, Registrar General India, Ministry of Home Affairs in exercise of powers conferred under Section 3(3) of the Registration of Birth and Death Act, 1969, hereby, directs the concerned department in the respective State/UT responsible for registration of birth and death that the Aadhaar number will be required for the purpose of establishing the identity of the deceased for the purpose of Death registration w.e.f 1st October, 2017 in the following manner:

DDG (MB)

587

4.1 An Applicant applying for death certificate is required to provide Aadhaar number or Enrolment ID Number (EID) of the deceased and other details as sought in the application for death certificate for the purpose of establishing the identity of the deceased.

.2 An Applicant who is not aware of the Aadhaar number or Enrolment ID Number (EID) of the deceased will be required to provide a certificate that the deceased person does not possess Aadhaar number to the best of his/her knowledge and it should be duly informed and also prescribed that any false declaration given by the applicant in this regard will be treated as an offence as per the provisions of the Aadhaar Act, 2016 and also Registration of Birth and Death Act, 1969.

4.3 Applicant's Aadhaar number shall also be collected along with the Aadhaar number of the spouse or parents.

5. The concerned department in the respective State/UT responsible for registration of birth and death are directed to ensure compliance by the concerned registration authorities and send a confirmation to this effect by 1st September 2017.

6. The above provisions shall come into effect immediately for residents of all states except J&K, Assam & Meghalaya for which a date will be notified separately.

(SAILESH)
Registrar General, India

To

The Chief Secretaries/Administrators of all States/UT's

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—17 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—17

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939 (शक)
No. 7] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 31st March, 2017/Chaitra 10, 1939 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 31st March, 2017, and is hereby published for general information:—

THE FINANCE ACT, 2017

No. 7 OF 2017

[31*st March*, 2017.]

An Act to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-2018.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Finance Act, 2017.

(2) Save as otherwise provided in this Act, sections 2 to 88 shall come into force on the 1st day of April, 2017.

CHAPTER II

RATES OF INCOME-TAX

Income-tax.

2. (*1*) Subject to the provisions of sub-sections (2) and (*3*), for the assessment year commencing on the 1st day of April, 2017, income-tax shall be charged at the rates specified in Part I of the First Schedule and such tax shall be increased by a surcharge, for the purposes of the Union, calculated in each case in the manner provided therein.

(2) In the cases to which Paragraph A of Part I of the First Schedule applies, where the assessee has, in the previous year, any net agricultural income exceeding five thousand rupees, in addition to total income, and the total income exceeds two lakh fifty thousand rupees, then,—

(*a*) the net agricultural income shall be taken into account, in the manner provided in clause (*b*) [that is to say, as if the net agricultural income were comprised in the total income after the first two lakh fifty thousand rupees of the total income but without being liable to tax], only for the purpose of charging income-tax in respect of the total income; and

(*b*) the income-tax chargeable shall be calculated as follows:—

(*i*) the total income and the net agricultural income shall be aggregated and the amount of income-tax shall be determined in respect of the aggregate income at the rates specified in the said Paragraph A, as if such aggregate income were the total income;

(*ii*) the net agricultural income shall be increased by a sum of two lakh fifty thousand rupees, and the amount of income-tax shall be determined in respect of the net agricultural income as so increased at the rates specified in the said Paragraph A, as if the net agricultural income as so increased were the total income;

(*iii*) the amount of income-tax determined in accordance with sub-clause (*i*) shall be reduced by the amount of income-tax determined in accordance with sub-clause (*ii*) and the sum so arrived at shall be the income-tax in respect of the total income:

Provided that in the case of every individual, being a resident in India, who is of the age of sixty years or more but less than eighty years at any time during the previous year, referred to in item (*II*) of Paragraph A of Part I of the First Schedule, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words "two lakh fifty thousand rupees", the words "three lakh rupees" had been substituted:

Provided further that in the case of every individual, being a resident in India, who is of the age of eighty years or more at any time during the previous year, referred to in item (*III*) of Paragraph A of Part I of the First Schedule, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words "two lakh fifty thousand rupees", the words "five lakh rupees" had been substituted.

(3) In cases to which the provisions of Chapter XII or Chapter XII-A or section 115JB or section 115JC or Chapter XII-FA or Chapter XII-FB or sub-section (*1A*) of section 161 or section 164 or section 164A or section 167B of the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as the Income-tax Act) apply, the tax chargeable shall be determined as provided in that Chapter or that section, and with reference to the rates imposed by sub-section (*1*) or the rates as specified in that Chapter or section, as the case may be: 43 of 1961

Provided that the amount of income-tax computed in accordance with the provisions of section 111A or section 112 of the Income-tax Act shall be increased by a surcharge, for the purposes of the Union, as provided in Paragraph A, B, C, D or E as the case may be, of Part I of the First Schedule:

Provided further that in respect of any income chargeable to tax under section 115A, 115AB, 115AC, 115ACA, 115AD, 115B, 115BB, 115BBA, 115BBC, 115BBD, 115BBDA, 115BBF, 115E, 115JB or 115JC of the Income-tax Act, the amount of income-tax computed under this sub-section shall be increased by a surcharge, for the purposes of the Union, calculated,—

(*a*) in the case of every individual or Hindu undivided family or association of

persons or body of individuals, whether incorporated or not, or every artificial juridical person referred to in sub-clause (*vii*) of clause (*31*) of section 2 of the Income-tax Act, at the rate of fifteen per cent. of such income-tax, where the total income exceeds one crore rupees;

(*b*) in the case of every co-operative society or firm or local authority, at the rate of twelve per cent. of such income-tax, where the total income exceeds one crore rupees;

(*c*) in the case of every domestic company,—

(*i*) at the rate of seven per cent. of such income-tax, where the total income exceeds one crore rupees but does not exceed ten crore rupees;

(*ii*) at the rate of twelve per cent. of such income-tax, where the total income exceeds ten crore rupees;

(*d*) in the case of every company, other than a domestic company,—

(*i*) at the rate of two per cent. of such income-tax, where the total income exceeds one crore rupees but does not exceed ten crore rupees;

(*ii*) at the rate of five per cent. of such income-tax, where the total income exceeds ten crore rupees:

Provided also that in the case of persons mentioned in (*a*) and (*b*) above, having total income chargeable to tax under section 115JC of the Income-tax Act, and such income exceeds one crore rupees, the total amount payable as income-tax on such income and surcharge thereon shall not exceed the total amount payable as income-tax on a total income of one crore rupees by more than the amount of income that exceeds one crore rupees:

Provided also that in the case of every company having total income chargeable to tax under section 115JB of the Income-tax Act, and such income exceeds one crore rupees but does not exceed ten crore rupees, the total amount payable as income-tax on such income and surcharge thereon, shall not exceed the total amount payable as income-tax on a total income of one crore rupees by more than the amount of income that exceeds one crore rupees:

Provided also that in the case of every company having total income chargeable to tax under section 115JB of the Income-tax Act, and such income exceeds ten crore rupees, the total amount payable as income-tax on such income and surcharge thereon, shall not exceed the total amount payable as income-tax and surcharge on a total income of ten crore rupees by more than the amount of income that exceeds ten crore rupees:

Provided also that in respect of any income chargeable to tax under clause (*i*) of sub-section (*1*) of section 115BBE of the Income-tax Act, the amount of income-tax computed under this sub-section shall be increased by a surcharge, for the purposes of the Union, calculated at the rate of twenty-five per cent. of such income-tax.

(*4*) In cases in which tax has to be charged and paid under section 115-O or section 115QA or sub-section (*2*) of section 115R or section 115TA or section 115TD of the Income-tax Act, the tax shall be charged and paid at the rates as specified in those sections and shall be increased by a surcharge, for the purposes of the Union, calculated at the rate of twelve per cent. of such tax.

(*5*) In cases in which tax has to be deducted under sections 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194D, 194LBA, 194LBB, 194LBC and 195 of the Income-tax Act, at the rates in force, the deductions shall be made at the rates specified in Part II of the First Schedule and shall be

increased by a surcharge, for the purposes of the Union, calculated in cases wherever prescribed, in the manner provided therein

(6) In cases in which tax has to be deducted under sections 192A, 194C, 194DA, 194E, 194EE, 194F, 194G 194H, 194-I, 194-IA, 194-IB, 194-IC, 194J, 194LA, 194LB, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194LC, 194LD, 196B, 196C and 196D of the Income-tax Act, the deductions shall be made at the rates specified in those sections and shall be increased by a surcharge, for the purposes of the Union,—

(*a*) in the case of every individual or Hindu undivided family or association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, or every artificial juridical person referred to in sub-clause (*vii*) of clause (*31*) of section 2 of the Income-tax Act, being a non-resident, calculated —

(*i*) at the rate of ten per cent. of such tax, where the income or the aggregate of such incomes paid or likely to be paid and subject to the deduction exceeds fifty lakh rupees but does not exceed one crore rupees;

(*ii*) at the rate of fifteen per cent. of such tax, where the income or the aggregate of such incomes paid or likely to be paid and subject to the deduction exceeds one crore rupees;

(*b*) in the case of every co-operative society or firm, being a non-resident, calculated at the rate of twelve per cent. of such tax, where the income or the aggregate of such incomes paid or likely to be paid and subject to the deduction exceeds one crore rupees;

(*c*) in the case of every company, other than a domestic company, calculated,—

(*i*) at the rate of two per cent. of such tax, where the income or the aggregate of such incomes paid or likely to be paid and subject to the deduction exceeds one crore rupees but does not exceed ten crore rupees;

(*ii*) at the rate of five per cent. of such tax, where the income or the aggregate of such incomes paid or likely to be paid and subject to the deduction exceeds ten crore rupees.

(7) In cases in which tax has to be collected under the proviso to section 194B of the Income-tax Act, the collection shall be made at the rates specified in Part II of the First Schedule, and shall be increased by a surcharge, for the purposes of the Union, calculated, in cases wherever prescribed, in the manner provided therein.

(8) In cases in which tax has to be collected under section 206C of the Income-tax Act, the collection shall be made at the rates specified in that section and shall be increased by a surcharge, for the purposes of the Union,—

(*a*) in the case of every individual or Hindu undivided family or association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, or every artificial juridical person referred to in sub-clause (*vii*) of clause (*31*) of section 2 of the Income-tax Act, being a non-resident, calculated,—

(*i*) at the rate of ten per cent. of such tax, where the amount or the aggregate of such amounts collected and subject to the collection exceeds fifty lakh rupees but does not exceed one crore rupees.

(*ii*) at the rate of fifteen per cent. of such tax, where the amount or the aggregate of such amounts collected and subject to the collection exceeds one crore rupees.

(*b*) in the case of every co-operative society or firm, being a non-resident, calculated at the rate of twelve per cent of such tax, where the amount or the aggregate of such amounts collected and subject to the collection exceeds one crore rupees;

(*c*) in the case of every company, other than a domestic company, calculated,—

(*i*) at the rate of two per cent. of such tax, where the amount or the aggregate of such amounts collected and subject to the collection exceeds one crore rupees but does not exceed ten crore rupees;

(*ii*) at the rate of five per cent. of such tax, where the amount or the aggregate of such amounts collected and subject to the collection exceeds ten crore rupees.

(*9*) Subject to the provisions of sub-section (*10*), in cases in which income-tax has to be charged under sub-section (*4*) of section 172 or sub-section (*2*) of section 174 or section 174A or section 175 or sub-section (*2*) of section 176 of the Income-tax Act or deducted from, or paid on, income chargeable under the head "Salaries" under section 192 of the said Act or in which the "advance tax" payable under Chapter XVII-C of the said Act has to be computed at the rate or rates in force, such income-tax or, as the case may be, "advance tax" shall be charged, deducted or computed at the rate or rates specified in Part III of the First Schedule and such tax shall be increased by a surcharge, for the purposes of the Union, calculated in such cases and in such manner as provided therein:

Provided that in cases to which the provisions of Chapter XII or Chapter XII-A or section 115JB or section 115JC or Chapter XII-FA or Chapter XII-FB or sub-section (*1A*) of section 161 or section 164 or section 164A or section 167B of the Income-tax Act apply, "advance tax" shall be computed with reference to the rates imposed by this sub-section or the rates as specified in that Chapter or section, as the case may be:

Provided further that the amount of "advance tax" computed in accordance with the provisions of section 111A or section 112 of the Income-tax Act shall be increased by a surcharge, for the purposes of the Union, as provided in Paragraph A, B, C, D or E, as the case may be, of Part III of the First Schedule:

Provided also that in respect of any income chargeable to tax under section 115A, 115AB, 115AC, 115ACA, 115AD, 115B, 115BA, 115BB, 115BBA, 115BBC, 115BBD, 115BBDA, 115BBF, 115BBG, 115E, 115JB or 115JC of the Income-tax Act, "advance tax" computed under the first proviso shall be increased by a surcharge, for the purposes of the Union, calculated,—

(*a*) in the case of every individual or Hindu undivided family or association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, or every artificial juridical person referred to in sub-clause (*vii*) of clause (*31*) of section 2 of the Income-tax Act,—

(*i*) at the rate of ten per cent. of such "advance tax", where the total income exceeds fifty lakh rupees but does not exceed one crore rupees.

(*ii*) at the rate of fifteen per cent. of such "advance tax", where the total income exceeds one crore rupees;

(*b*) in the case of every co-operative society or firm or local authority at the rate of twelve per cent. of such "advance tax", where the total income exceeds one crore rupees;

(*c*) in the case of every domestic company,—

(*i*) at the rate of seven per cent. of such "advance tax", where the total income exceeds one crore rupees but does not exceed ten crore rupees.

(*ii*) at the rate of twelve per cent. of such "advance tax", where the total income exceeds ten crore rupees,

(*d*) in the case of every company, other than a domestic company,—

(*i*) at the rate of two per cent. of such "advance tax", where the total income exceeds one crore rupees but does not exceed ten crore rupees,

(*ii*) at the rate of five per cent. of such "advance tax", where the total income exceeds ten crore rupees:

Provided also that in the case of persons mentioned in (a) above, having total income chargeable to tax under section 115JC of the Income-tax Act, and such income exceeds,—

(*a*) fifty lakh rupees but does not exceed one crore rupees, the total amount payable as "advance tax" on such income and surcharge thereon shall not exceed the total amount payable as "advance tax" on a total income of fifty lakh rupees by more than the amount of income that exceeds fifty lakh rupees;

(*b*) one crore rupees, the total amount payable as "advance tax" on such income and surcharge thereon shall not exceed the total amount payable as "advance tax" on a total income of one crore rupees by more than the amount of income that exceeds one crore rupees:

Provided also that in the case of persons mentioned in (*b*) above, having total income chargeable to tax under section 115JC of the Income-tax Act, and such income exceeds one crore rupees, the total amount payable as "advance tax" on such income and surcharge thereon shall not exceed the total amount payable as "advance tax" on a total income of one crore rupees by more than the amount of income that exceeds one crore rupees:

Provided also that in the case of every company having total income chargeable to tax under section 115JB of the Income-tax Act, and such income exceeds one crore rupees but does not exceed ten crore rupees, the total amount payable as "advance tax" on such income and surcharge thereon, shall not exceed the total amount payable as "advance tax" on a total income of one crore rupees by more than the amount of income that exceeds one crore rupees:

Provided also that in the case of every company having total income chargeable to tax under section 115JB of the Income-tax Act, and such income exceeds ten crore rupees, the total amount payable as "advance tax" on such income and surcharge thereon, shall not exceed the total amount payable as "advance tax" and surcharge on a total income of ten crore rupees by more than the amount of income that exceeds ten crore rupees.

Provided also that in respect of any income chargeable to tax under clause (*i*) of sub-section (*1*) of section 115BBE of the Income-tax Act, the "advance tax" computed under the first proviso shall be increased by a surcharge, for the purposes of the Union, calculated at the rate of twenty-five per cent. of such "advance tax".

(*10*) In cases to which Paragraph A of Part III of the First Schedule applies, where the assessee has, in the previous year or, if by virtue of any provision of the Income-tax Act, income-tax is to be charged in respect of the income of a period other than the previous year, in such other period, any net agricultural income exceeding five thousand rupees, in addition to total income and the total income exceeds two lakh fifty thousand rupees, then, in charging income-tax under sub-section (*2*) of section 174 or section 174A or section 175 or sub-section (*2*) of section 176 of the said Act or in computing the "advance tax" payable under Chapter XVII-C of the said Act, at the rate or rates in force,—

(*a*) the net agricultural income shall be taken into account, in the manner provided in clause (*b*) [that is to say, as if the net agricultural income were comprised in the total income after the first two lakh fifty thousand rupees of the total income but without being liable to tax], only for the purpose of charging or computing such income-tax or, as the case may be, "advance tax" in respect of the total income; and

(*b*) such income-tax or, as the case may be, "advance tax" shall be so charged or computed as follows:—

(*i*) the total income and the net agricultural income shall be aggregated and the amount of income-tax or "advance tax" shall be determined in respect of the aggregate income at the rates specified in the said Paragraph A, as if such aggregate income were the total income;

(*ii*) the net agricultural income shall be increased by a sum of two lakh fifty thousand rupees, and the amount of income-tax or "advance tax" shall be determined in respect of the net agricultural income as so increased at the rates specified in the said Paragraph A, as if the net agricultural income were the total income:

(*iii*) the amount of income-tax or "advance tax" determined in accordance with sub-clause (*i*) shall be reduced by the amount of income-tax or, as the case may be, "advance tax" determined in accordance with sub-clause (*ii*) and the sum so arrived at shall be the income-tax or, as the case may be, "advance tax" in respect of the total income:

Provided that in the case of every individual, being a resident in India, who is of the age of sixty years or more but less than eighty years at any time during the previous year, referred to in item (*II*) of Paragraph A of Part III of the First Schedule, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words "two lakh fifty thousand rupees", the words "three lakh rupees" had been substituted:

Provided further that in the case of every individual, being a resident in India, who is of the age of eighty years or more at any time during the previous year, referred to in item (*III*) of Paragraph A of Part III of the First Schedule, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words "two lakh fifty thousand rupees", the words "five lakh rupees" had been substituted:

Provided also that the amount of income-tax or "advance tax" so arrived at, shall be increased by a surcharge for the purposes of the Union, calculated in each case, in the manner provided therein.

(*11*) The amount of income-tax as specified in sub-sections (*1*) to (*10*) and as increased by the applicable surcharge, for the purposes of the Union, calculated in the manner provided therein, shall be further increased by an additional surcharge, for the purposes of the Union, to be called the "Education Cess on income-tax", calculated at the rate of two per cent. of such income-tax and surcharge so as to fulfil the commitment of the Government to provide and finance universalised quality basic education:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to cases in which tax is to be deducted or collected under the sections of the Income-tax Act mentioned in sub-sections (*5*), (*6*), (*7*) and (*8*), if the income subjected to deduction of tax at source or collection of tax at source is paid to a domestic company and any other person who is resident in India.

(*12*) The amount of income-tax as specified in sub-sections (*1*) to (*10*) and as increased by the applicable surcharge, for the purposes of the Union, calculated in the manner provided therein, shall also be increased by an additional surcharge, for the purposes of the Union, to be called the "Secondary and Higher Education Cess on income-tax", calculated at the rate of one per cent. of such income-tax and surcharge so as to fulfil the commitment of the Government to provide and finance secondary and higher education:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to cases in which tax is to be deducted or collected under the sections of the Income-tax Act mentioned in sub-sections (*5*), (*6*), (*7*) and (*8*), if the income subjected to deduction of tax at source or collection of tax at source is paid to a domestic company and any other person who is resident in India.

(*13*) For the purposes of this section and the First Schedule,—

(*a*) "domestic company" means an Indian company or any other company which, in respect of its income liable to income-tax under the Income-tax Act, for the assessment year commencing on the 1st day of April, 2017, has made the prescribed arrangements for the declaration and payment within India of the dividends (including dividends on preference shares) payable out of such income;

(*b*) "insurance commission" means any remuneration or reward, whether by way of commission or otherwise, for soliciting or procuring insurance business (including business relating to the continuance, renewal or revival of policies of insurance);

(*c*) "net agricultural income" in relation to a person, means the total amount of agricultural income, from whatever source derived, of that person computed in accordance with the rules contained in Part IV of the First Schedule;

(*d*) all other words and expressions used in this section and the First Schedule but not defined in this sub-section and defined in the Income-tax Act shall have the meanings, respectively, assigned to them in that Act.

CHAPTER III

DIRECT TAXES

Income-tax

Amendment of section 2

3. In section 2 of the Income-tax Act,—

(*I*) in clause (*24*), after sub-clause (*xvii*), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(*xviia*) any sum of money or value of property referred to in clause (*x*) of sub-section (2) of section 56;";

(*II*) in clause (*42A*),—

(*a*) in the third proviso [as inserted by section 3 of the Finance Act, 2016], after the words and brackets "a company (not being a share listed in a recognised stock exchange in India)", the words "or an immovable property, being land or building or both," shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2018; 28 of 2016.

(*b*) in *Explanation* 1, in clause (*i*),—

(*A*) after sub-clause (*he*), the following sub-clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2018, namely:—

"(*hf*) in the case of a capital asset, being equity shares in a company, which becomes the property of the assessee in consideration of a transfer referred to in clause (*xb*) of section 47, there shall be included the period for which the preference shares were held by the assessee; ";

(*B*) after sub-clause (*hf*) as so inserted, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(*hg*) in the case of a capital asset, being a unit or units, which becomes the property of the assessee in consideration of a transfer referred to in clause (*xix*) of section 47, there shall be included the period for which the unit or units in the consolidating plan of a mutual fund scheme were held by the assessee;".

Amendment of section 9

4. In section 9 of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), in clause (*i*), in *Explanation* 5,—

(*i*) the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2012, namely:—

"Provided that nothing contained in this *Explanation* shall apply to an asset or capital asset, which is held by a non-resident by way of investment, directly or indirectly, in a Foreign Institutional Investor as referred to in clause (a) of the *Explanation* to section 115AD for an assessment year commencing on or after the 1st day of April, 2012 but before the 1st day of April, 2015:";

(*ii*) after the first proviso as so inserted, the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2015,

namely.—

"Provided further that nothing contained in this *Explanation* shall apply to an asset or capital asset, which is held by a non-resident by way of investment, directly or indirectly, in Category-I or Category-II foreign portfolio investor under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.". 15 of 1992.

Amendment of section 9A.

5. In section 9A of the Income-tax Act, in sub-section (*3*), in clause (*j*), after the proviso, the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2016, namely:—

"Provided further that nothing contained in this clause shall apply to a fund which has been wound up in the previous year;".

Amendment of section 10.

6. In section 10 of the Income-tax Act,—

(*a*) in clause (*4*), in sub-clause (*ii*), in the proviso, for the word, brackets and letter "clause (*q*)", the word, brackets and letter "clause (*w*)" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of April, 2013,

28 of 2016.

(*b*) after clause (*12A*) [as inserted by section 7 of the Finance Act, 2016], the following clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2018, namely:—

"(*12B*) any payment from the National Pension System Trust to an employee under the pension scheme referred to in section 80CCD, on partial withdrawal made out of his account in accordance with the terms and conditions, specified under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 and the regulations made thereunder, to the extent it does not exceed twenty-five per cent. of the amount of contributions made by him;"; 23 of 2013.

(*c*) in clause (*23C*),—

(*I*) after sub-clause (*iiiaaa*), the following sub-clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 1998, namely:—

"(*iiiaaaa*) the Chief Minister's Relief Fund or the Lieutenant Governor's Relief Fund in respect of any State or Union territory as referred to in sub-clause (*iiihf*) of clause (*a*) of sub-section (*2*) of section 80G; or";

(*II*) after the eleventh proviso, the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2018, namely:—

"Provided also that any amount credited or paid out of income of any fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (*iv*) or sub-clause (*v*) or sub-clause (*vi*) or sub-clause (*via*), to any trust or institution registered under section 12AA, being voluntary contribution made with a specific direction that they shall form part of the corpus of the trust or institution, shall not be treated as application of income to the objects for which such fund or trust or institution or university or educational institution or hospital or other medical institution, as the case may be, is established;".

(*d*) after clause (*37*), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2015, namely:—

'(*37A*) any income chargeable under the head "Capital gains" in respect of transfer of a specified capital asset arising to an assessee, being an individual or

a Hindu undivided family, who was the owner of such specified capital asset as on the 2nd day of June, 2014 and transfers that specified capital asset under the Land Pooling Scheme (herein referred to as "the scheme") covered under the Andhra Pradesh Capital City Land Pooling Scheme (Formulation and Implementation) Rules, 2015 made under the provisions of the Andhra Pradesh Capital Region Development Authority Act, 2014 and the rules, regulations and Schemes made under the said Act.

Andhra Pradesh Act 11 of 2014.

Explanation.—For the purposes of this clause, "specified capital asset" means,—

(*a*) the land or building or both owned by the assessee as on the 2nd day of June, 2014 and which has been transferred under the scheme; or

(*b*) the land pooling ownership certificate issued under the scheme to the assessee in respect of land or building or both referred to in clause (*a*); or

(*c*) the reconstituted plot or land, as the case may be, received by the assessee *in lieu* of land or building or both referred to in clause (*a*) in accordance with the scheme, if such plot or land, as the case may be, so received is transferred within two years from the end of the financial year in which the possession of such plot or land was handed over to him;";

(*e*) in clause (*38*), after the second proviso and before the *Explanation* [as inserted by section 7 of the Finance Act, 2016], the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2018, namely:— 28 of 2016

"Provided also that nothing contained in this clause shall apply to any income arising from the transfer of a long-term capital asset, being an equity share in a company, if the transaction of acquisition, other than the acquisition notified by the Central Government in this behalf, of such equity share is entered into on or after the 1st day of October, 2004 and such transaction is not chargeable to securities transaction tax under Chapter VII of the Finance (No. 2) Act, 2004.";

23 of 2004.

(*f*) after clause (*48A*), the following clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2018, namely:—

"(*48B*) any income accruing or arising to a foreign company on account of sale of leftover stock of crude oil, if any, from the facility in India after the expiry of the agreement or the arrangement referred to in clause (*48A*) subject to such conditions as may be notified by the Central Government in this behalf;".

Amendment of section 10AA.

7. In section 10AA of the Income-tax Act, after sub-section (*1*), the following *Explanation* shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2018, namely:—

"*Explanation.*—For the removal of doubts, it is hereby declared that the amount of deduction under this section shall be allowed from the total income of the assessee computed in accordance with the provisions of this Act, before giving effect to the provisions of this section and the deduction under this section shall not exceed such total income of the assessee.".

Amendment of section 11

8. In section 11 of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), the *Explanation* below clause (*d*) shall be numbered as *Explanation* 1 thereof and after *Explanation* 1 as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2018, namely:—

"*Explanation* 2.—Any amount credited or paid, out of income referred to in clause (*a*) or clause (*b*) read with *Explanation* 1, to any other trust or institution

registered under section 12AA, being contribution with a specific direction that they shall form part of the corpus of the trust or institution, shall not be treated as application of income for charitable or religious purposes.".

9. In section 12A of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), with effect from the 1st day of April, 2018,— Amendment of section 12A.

(*i*) after clause (*aa*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*ab*) the person in receipt of the income has made an application for registration of the trust or institution, in a case where a trust or an institution has been granted registration under section 12AA or has obtained registration at any time under section 12A [as it stood before its amendment by the Finance (No. 2) Act, 1996], and, subsequently, it has adopted or undertaken modifications of the objects which do not conform to the conditions of registration, in the prescribed form and manner, within a period of thirty days from the date of said adoption or modification, to the Principal Commissioner or Commissioner and such trust or institution is registered under section 12AA,";

33 of 1996.

(*ii*) after clause (*b*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*ba*) the person in receipt of the income has furnished the return of income for the previous year in accordance with the provisions of sub-section (*4A*) of section 139 within the time allowed under that section,".

10. In section 12AA of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 2018,— Amendment of section 12AA.

(*a*) in sub-section (*1*), after the word, brackets and letters "clause (*aa*)", the words, brackets and letters "or clause (*ab*)" shall be inserted;

(*b*) in sub-section (*2*), after the word, brackets and letters "clause (*aa*)", the words, brackets and letters "or clause (*ab*)" shall be inserted.

11. In section 13A of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 2018,— Amendment of section 13A

(*I*) in the first proviso,—

(*i*) in clause (*b*),—

(*A*) after the words "such voluntary contribution", the words "other than contribution by way of electoral bond" shall be inserted;

(*B*) the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(*ii*) in clause (*c*), the word "; and" shall be inserted at the end,

(*iii*) after clause (*c*), the following clause shall be inserted, namely:—

'(*d*) no donation exceeding two thousand rupees is received by such political party otherwise than by an account payee cheque drawn on a bank or an account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through electoral bond.

Explanation.—For the purposes of this proviso, "electoral bond" means a bond referred to in the *Explanation* to sub-section (*3*) of section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934.';

2 of 1934

(*II*) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that such political party furnishes a return of income for the previous year in accordance with the provisions of sub-section (*4B*) of section 139 on or before the due date under that section.".

Amendment of section 23.

12. In section 23 of the Income-tax Act, after sub-section (*4*), the following sub-section shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2018, namely:—

"(*5*) Where the property consisting of any building or land appurtenant thereto is held as stock-in-trade and the property or any part of the property is not let during the whole or any part of the previous year, the annual value of such property or part of the property, for the period up to one year from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority, shall be taken to be *nil* "

Amendment of section 35AD

13. In section 35AD of the Income-tax Act, in sub-section (*8*), in clause (*f*), after the words "shall not include" the words "any expenditure in respect of which the payment or aggregate of payments made to a person in a day, otherwise than by an account payee cheque drawn on a bank or an account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account, exceeds ten thousand rupees or shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2018.

Amendment of section 36.

14. In section 36 of the Income-tax Act, in sub-section (*1*), in clause (*viia*), in sub-clause (*a*), for the words "seven and one-half per cent.", the words "eight and one-half per cent." shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2018.

Amendment of section 40A.

15. In section 40A of the Income-tax Act,—

(*a*) in sub-section (*2*), in clause (*d*), in the proviso, after the words "Provided that", the words, figures and letters "for an assessment year commencing on or before the 1st day of April, 2016" shall be inserted:

(*b*) with effect from the 1st day of April, 2018.—

(*A*) in sub-section (*3*), for the words "exceeds twenty thousand rupees", the words "or use of electronic clearing system through a bank account, exceeds ten thousand rupees." shall be substituted;

(*B*) in sub-section (*3A*),—

(*i*) after the words "account payee bank draft,", the words "or use of electronic clearing system through a bank account" shall be inserted,

(*ii*) for the words "twenty thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted;

(*iii*) in the first proviso, for the words "exceeds twenty thousand rupees", the words "or use of electronic clearing system through a bank account, exceeds ten thousand rupees," shall be substituted;

(*iv*) in the second proviso, for the words "twenty thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted,

(*C*) in sub-section (*4*),—

(*i*) after the words "account payee bank draft", the words "or use of electronic clearing system through a bank account" shall be inserted;

(*ii*) after the words "such cheque or draft", the words "or electronic clearing system" shall be inserted.

Amendment of section 43

16. In section 43 of the Income-tax Act, in clause (*1*), with effect from the 1st day of April, 2018,—

(*a*) after the proviso and before *Explanation* 1, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that where the assessee incurs any expenditure for acquisition of any asset or part thereof in respect of which a payment or aggregate of payments made to a person in a day, otherwise than by an account

payee cheque drawn on a bank or an account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account, exceeds ten thousand rupees, such expenditure shall be ignored for the purposes of determination of actual cost.";

(*b*) in *Explanation* 13, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where any capital asset in respect of which deduction or part of deduction allowed under section 35AD is deemed to be the income of the assessee in accordance with the provisions of sub-section (*7B*) of the said section, the actual cost of the asset to the assessee shall be the actual cost to the assessee, as reduced by an amount equal to the amount of depreciation calculated at the rate in force that would have been allowable had the asset been used for the purpose of business since the date of its acquisition.".

Amendment of section 43B.

17. In section 43B of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 2018,—

(*i*) in clause (*e*), after the words "scheduled bank", the words "or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank" shall be inserted;

(*ii*) in *Explanation* 4, after clause (*c*), the following clause shall be inserted, namely:—

'(*d*) "co-operative bank", "primary agricultural credit society" and "primary co-operative agricultural and rural development bank" shall have the meanings respectively assigned to them in the *Explanation* to sub-section (*4*) of section 80P.'.

Amendment of section 43D.

18. In section 43D of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 2018,—

(*i*) in clause (*a*), after the words 'scheduled bank or", the words "a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank or" shall be inserted;

(*ii*) in the long line, after the words "scheduled bank or", the words "a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank or" shall be inserted;

(*iii*) in the *Explanation*, after clause (*f*), the following clause shall be inserted, namely:—

'(*g*) "co-operative bank", "primary agricultural credit society" and "primary co-operative agricultural and rural development bank" shall have the meanings respectively assigned to them in the *Explanation* to sub-section (*4*) of section 80P.'.

Amendment of section 44AA.

19. In section 44AA of the Income-tax Act, in sub-section (2), the following provisos shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2018, namely:—

'Provided that in the case of a person being an individual or a Hindu undivided family, the provisions of clause (*i*) and clause (*ii*) shall have effect, as if for the words "one lakh twenty thousand rupees", the words "two lakh fifty thousand rupees" had been substituted:

Provided further that in the case of a person being an individual or a Hindu undivided family, the provisions of clause (*i*) and clause (*ii*) shall have effect, as if for the words "ten lakh rupees", the words 'twenty-five lakh rupees" had been substituted.'.